वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2016 - 2017



यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

वार्षिक प्रतिवेदन - 2016-17

Annual Report - 2016-17

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02
निदेशक मंडल Board of Directors	03
वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-19
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संबोधन Managing Director & CEO's Statement	20-22
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	23-48
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	50-61
कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	62-80
कार्पोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	81-84
तुलन-पत्र 2016-17 Balance Sheet 2016-17	85-86
लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	87-88
लेखों से संबंधित अनुसूची / Schedule to Accounts	89-144
भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	145-146
नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	147-149
बासेल-III प्रकटीकरण / Basel-III Disclosures	150-217
परोक्षी फार्म / Proxy Form	218-219
उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	220

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	बैठक-स्थल / Vennue
वार्षिक आम बैठक 2016-17 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & of Annual General Meeting 2016-17	**28.06.2017 प्रातः 10.30 A.M.**	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, आईबी 201, सेक्टर III, आईए ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106 Eastern Zonal Cultural Centre, IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata-700106
• **परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form**	**23.06.2017**	

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

मे. गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants

मे. ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants

मे. निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants

मे. ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants

वास्ते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
For **TEJ RAJ & PAL**
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
इकाई : यूको बैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली
हैदराबाद - 500 032

टेलीफोन सं. : (040) 67161500; फैक्स सं. : (040)23420814
ई.मेल आईडी : einword.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

M/s Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B,
Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,
Hyderabad – 500 032

Telephone No. : (040) 67161500; Fax No. : (040)23420814
E-mail ID : einword.ris@karvy.com
Website : www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharastra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	105-108 अरुणाचल भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 फोन : 011-4350-9200
At New Delhi	:	105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001 Phone : 011-4350-9200
कोलकाता	:	49, जतीन दास रोड (देशोप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029 फोन : 033-2464-7231/ 32
At Kolkata	:	49, Jatin Das Road (Opp. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029 Phone : 033-2464-7231 / 32

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री आर. के. टक्कर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य
कार्यपालक अधिकारी
SHRI R. K. TAKKAR
Managing Director & CEO



श्री चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
SHRI CHARAN SINGH
Executive Director



श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर
कार्यपालक निदेशक
SHRI G. SUBRAMANIA IYER
Executive Director



सुश्री. सिंधु पिल्लई
निदेशक
MS. SINDHU PILLAI
Director



डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director



श्री अनिल शर्मा
निदेशक
SHRI ANIL SHARMA
Director

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय

10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता - 700 001

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 28 जून, 2017 को पूर्वाह्न 10.30 ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, आईबी 201, सेक्टर III, आईए ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगीः

1) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा बीती अवधि में बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विर्मा करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।

2) निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

'संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना,1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), भारत सरकार ('जीओआई'), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी')और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (आई सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विमियम अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी सबंद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं/परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतदद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद 'निदेशक मंडल' कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक ₹10/- के 70,00,00,000 ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्था आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ('एनआरआई') कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों,अर्ह संस्थागत खरीदारों ('क्यू आई बी') जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्यूअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई') या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिदेर्शों के अनुसार

UCO BANK

Head Office

10, B. T. M. Sarani, Kolkata- 700 001

Notice

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on 28th June, 2017 at 10.30 A.M. at Eastern Zonal Cultural Centre, IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata-700106 to transact the following business:-

1) To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2017, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 70,00,00,000 equity shares of ₹10/- each (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Portfolio Investors ("FPIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies,

बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इशू, निजी प्लेसमेंट/ अर्ह संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सेचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 के प्रावधानों,आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से 'समुचित प्राधिकारी' कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन,सहमति, अनुमति और या/मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (जिसे इसके बाद 'अपेक्षित अनुमोदन' कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और/या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर नियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो,पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) को ईक्विटी शेयर जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में'

i. पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।
ii. बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हों, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
iii. आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी ।

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

'आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी

Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bankby way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment option.

'RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003., the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

i. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."
ii. The Bank is, in pursuant to provisons of Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
iii. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange

मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों / बैंकरों/ हामीदारों/निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी / अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीान, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने,जिन्हें वे आवयक,उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है,जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत जरुरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आाय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्टरूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है,ऐसा माना जाएगा।

'आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरीए दिए गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी /(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

3) निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

'संकल्प किया जाता है कि अधिनियम,योजना,एलओडीआर के विनियम 41 के प्रावधानों और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए यूनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा विनियमों के विनियम 4ए तथा भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय-समय पर किसी भी सांविधिक संोधन(नों), अधिनियमन समेत के प्रावधानों के अनुसार है। (सेबी विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन, सहमति व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहां कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंजूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तों एवं संशोधनों, जैसा कि ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति(यों) तथा मंजूरी(यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड

Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

3) To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT subject to the provisions of the Act, Scheme, Regulation 41 of LODR and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited as per SEBI (LODR) Regulations, 2015 (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("SEBI Regulations"), and subject to the approval, consent and sanction of RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by

द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों, को एक या अधिक बार में देने, ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों(कर्मचारियों),जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, ₹10/- प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य के 5,00,00,000 तक इक्विटी शेयरों,कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (आगे से "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के रूप में संदर्भित) के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मूल्य या मूल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तों पर सहमति को दर्ज किया जा सकता है ।

'इसके अतिरिक्त सकंल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन(नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा ।

'इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करारों के निबंधन व शर्तों व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शोयर सूचीबद्ध हैं "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के तहत आबंटित इक्विटी शेयरों की लिर्स्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।

'इसके अतिरिक्त बोर्ड ऐसे निबंधन व शर्तों, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के कार्यांवयन, संगठन, प्रभाव में लाने तथा समय समय पर "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के निबंधन व शर्तों में सांशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अवधि, पात्रता मानदंड या "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" को इस तरीके से जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करें, सस्पेंड, आहरण, निरस्त, या संशोधित करना शामिल हो, परंतु उस तक ही सीमित नहीं और साथ ही "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के कार्यांवयन तथा प्रस्तावित "एसबीईबी-ईएसपीएस 2017" के अनुपालन में जारी शेयरों के संबंध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया हो, प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है ।

'इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि निदेशकों की समिति(यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी(यों) को इसमें प्रदत सभी या कुछ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाए, जो कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 एवं अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माना जाए ।

4) निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

'यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), और/या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवयकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरियों, यदि कोई हों, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को

the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Chairman/Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 5,00,00,000 equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to "SBEB-ESPS 2017"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "SBEB-ESPS 2017", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "SBEB-ESPS 2017"on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "SBEB-ESPS 2017", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "SBEB-ESPS 2017"in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "SBEB-ESPS 2017"and to the shares to be issued pursuant to the proposed "SBEB-ESPS 2017" without being required to seek and further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws.

4) To consider and if thought fit pass with or without modification(s) the following resolution as a special resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by

मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएँ, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित कुल ₹1,150 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ मात्र) के प्रतिशेयर ₹27.44 (रुपये सत्ताईस पैसे चवालीस मात्र) के प्रीमियम सहित, प्रति ईक्विटी शेयर ₹37.44 (रुपये सैंतीस पैसे चवालीस मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रुपए दस मात्र) अंकित मूल्य के 30,71,58,119 (तीस करोड़ इकहत्तर लाख अट्ठावन हजार एक सौ उन्नीस मात्र) ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद 'मंडल' कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित तारीख 29 मई, 2017 होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियाँ मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते/प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए या अधिरोपित किया जाए और जिसमें मंडल की सहमति हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त ईक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवयकता न पड़े, अथवा इस उद्देय या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(आर. के. टक्कर)

ह/-
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 30 मई, 2017

them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot 30,71,58,119 (Thirty Crore Seventy One Lakh Fifty Eight Thousand One Hundred Nineteen only) equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of ₹ 37.44 (Rupees Thirty seven and paise Forty Four only) per equity share including premium of ₹27.44 (Rupees Twenty Seven and paise Forty Four only) per share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to ₹1,150 crore (Rupees One Thousand One Hundred and Fifty crore only) on preferential basis to Government of India.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 29th May 2017.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

(R.K. Takkar)

sd/-
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 30th May, 2017

नोट:

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता- 700 001 के पास इस बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **23 जून, 2017** को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700 001 में इस बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **23 जून, 2017** को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित परोक्षी फार्म, यदि हो, तभी प्रभावी होगा जब वह **23 जून, 2017** को उपर्युक्त पते पर को बैंक की कार्य-समाप्ति तक या उसके पूर्व उक्त दस्तावेजों के साथ बैंक में भी जमा कर दिया जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों **/** परोक्षीधारकों **/** प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे बैटक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी **/** प्राधिकृत प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि लिखें। शेयरधारक **/** परोक्षीधारक**/** प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ पैन कार्ड, निर्वाचन आईडी, पासपोर्ट आदि अवश्य रखें। समुचित पहचान के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जाएगा।

शेयरधारक रजिस्टर बंद करना

वार्षिक बही बंद करने के प्रयोजन से शेयरधारक रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बहियाँ गुरुवार, 22 जून, 2017 से बुधवार, 28 जून 2017 तक (उक्त दोनों दिन सहित) बंद रहेंगी।

लाभांश:

आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी.नं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/ 2004-05 दिनांक 04.05.2005 के अनुसार केवल वे ही बैंक लाभांश घोषित करने के पात्र हैं जो उपर्युक्त परिपत्र में सूचीकृत मानदंडों का अनुपालन करते हैं। चूँकि बैंक का नेट एनपीए अग्रिमों के 7% से ज्यादा है तथा चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ₹1851 करोड़ की हानि दर्शाए जाने के कारण भी निदेशक मंडल ने लाभांश की संस्तुति नहीं की है।

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 23rd June,2017.An employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section , Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting , i.e., on or before the closing hours of the Bank on 23rd June, 2017.The proxy form, if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 23rdJune, 2017 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passportetc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, 22nd June, 2017 to 28th June, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure.

DIVIDEND

As per RBI Notification No. DBOD.No.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005, only those Banks which comply with the criteria listed out in the above said circular are eligible to declare dividend. Since, Net NPA of the Bank is more than 7% of the advances and also for the reason that Bank posted loss of ₹1851 Crore during the current year, no dividend is recommended by the Board.

अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/ अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनियाँ अधिनियम, 1956 की धारा 205C(1) के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें।

डाक पता/बैंक अधिदेश में परिवर्तन और अंतरण दावा

मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पतों आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को दें।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयर

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनके निक्षेपागार भागीदार के पास उनका डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश, ई-मेल पते आदि ठीक से अद्यतन किए गए हैं।

अंतरण दर्ज करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाण-पत्र बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,

यूनिट : यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032 को भेजे जाएँ।

अदावाकृत शेयर

बैंक के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाण-पत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित अधूरे डाक पते एवं बाद में परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों/मालिकों से दावा/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तीकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों/मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2014-15 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND LODGEMENT OF TRANSFERS

Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District,Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc.,

Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addressesetc. are duly updated with their Depository Participant.

Lodgement of Transfers

Share Certificates along with transfer deeds should be forwarded to Bank's Registrar and Share Transfer Agents, M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

दिनांक 31.03.2017 को अदावाकृत शेयरों का विवरण निम्न प्रकार है:

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2017 :

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2016	205	28300
ii.	वर्ष 2016-17 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2016-17	NIL	NIL
iii.	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2017	205	28300

अदावाकृत शेयरों के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मदों पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मणियन एंड कं., कंपनी सचिवों को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेंगे।

रिमोट ई-मतदान के निर्देश

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग किया जाए:
   कार्वी वेबसाइट से: https://evoting.karvy.com
2. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही निर्दिष्ट तारीख को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
3. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की सूचना की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा।
4. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
5. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुन: प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
6. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
7. लॉग इन में सफल होने पर सिस्टम आपको 'इवेंट यानी 'यूको बैंक का चयन करने के लिए कहेगा।
8. अंतिम तारीख यानी 21 जून, 2017 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
9. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुन:संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
10. विविध फोलियो/ डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डी-मैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

Voting through Electronic Means

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Annual General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian& Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

1. To use the following URL, for Remote e-voting:
   From Karvy website: https://evoting.karvy.com
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank.
8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 21st June, 2017 can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.

11. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुन: संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
12. पोर्टल 25.06.2017 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 27.06.2017 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
13. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से संपर्क कर सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव:

रिमोट ई-मतदान के अलावा, मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतदान की शुरुआत इस आशय की घोषणा के तुरंत बाद कर दी जाएगी और मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 21.06.2017 को धारित शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एबं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।

तुलन पत्र / वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

बैठक में विचाराधीन कार्यसूची मदों पर शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली पूछताछ, यदि कोई हो, का स्वागत है। ऐसी पूछताछ पर्याप्त समय पहले सामने आए तो बैंक प्रभावी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में रहेगा।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-323, गचीबावली,फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद – 500 032दूरभाष: (040) 67161500 फैक्स: (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare .com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस(तीसरा तल), कोलकाता- 700 001 दूरभाष: 033-44557227, फैक्स: 033-22485625

नोटिस की कार्यसूची मद सं. 2 पर उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण:

अक्तूबर, 2003 के दौरान बैंक ने प्राथमिक रूप से पूँजी पर्याप्तता को सशक्त बनाने के लिए प्रति शेयर ₹2/- के प्रीमियम पर प्रत्येक ₹10/- के 20 करोड़

11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be opened for voting from: 9 a.m. on 25.06.2017 to 5 p.m. on 27.06.2017.
13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd.

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF AGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 21.06.2017

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Computershare (P) Limited).

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholdersare advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

Shareholders Queries

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST AGENDA ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

During October, 2003, Bank made its Initial Public Offer by issue of 20 Crore equity shares of ₹10/- each at a premium of

ईक्विटी शेयर के निर्गम द्वारा शुरूआती सार्वजनिक पेशकश की। बाद में बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेयर निर्गमित करके पूँजी जुटाई है। शुरूआती सार्वजनिक पेशकश के बाद पूँजी संरचना में निम्नांकित परिवर्तन हुए हैं :

₹ 2/- per share, primarily to strengthen capital adequacy. Subsequently Bank has raised capital by Issue of equity shares to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis. Following are changes in capital structure subsequent to Initial Public Offer:

निर्गम की तारीख Date of Issue	विवरण Details	पूँजी वृद्धि/कमी (रु. करोड़ में) Increase/Decrease in Capital (₹ In Crore)	संचयी प्रदत्त पूँजी (रु. करोड़ में) Cumulative Paid up Capital (₹ in Crore)
01.10.2003	शुरूआती सार्वजनिक पेशकश / Initial public offer	200	799.36
22.12.2008	ईक्विटी का पीएनसीपीएस (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर) में परिवर्तन Conversion of equity into PNCPS (Perpetual Non Cumulative Preferential Shares)	(250)	549.36
25.03.2011	प्रति शेयर ₹120.27 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹120.27 per share	78.16	627.52
30.03.2012	प्रति शेयर ₹82.49 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम Preferential Isue to Government of India and LIC of India at an issue price of ₹ 82.49 per share	37.19	664.71
08.03.2013	प्रति शेयर ₹77.46 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Isue to Govt. Of India at an issue price of ₹77.46 per share	87.92	752.63
18.02.2014	प्रति शेयर ₹77.19 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹77.19 per share	25.91	778.54
27.02.2014	प्रति शेयर ₹77.19 के निर्गम मूल्य पर पीएनसीपीएस का ईक्विटी में परिवर्तन/ Conversion of PNCPS into equity at an issue price of ₹77.19 per share	236.17	1014.71
27.03.2015	प्रति शेयर ₹70.21 के निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to LIC of India at an issue price of ₹70.21 per share	60.88	1075.59
10.05.2016	प्रति शेयर ₹41.47 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹41.47 per share	225.46	1301.05
05.10.2016	प्रति शेयर ₹41.45 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to Govt of India at an issue price of ₹41.45 per share	186.97	1488.02
29.11.2016	प्रति शेयर ₹37.74 के निर्गम मूल्य पर भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी निर्गम/ Preferential Issue to LIC of India at an issue price of ₹37.74 per share	71.70	1559.72

31 मार्च, 2017 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 10.93 रहा है। चूँकि आंतरिक पूँजी सृजन नहीं हुआ है, कारोबार विस्तार एवं बासेल III मानदंडों को पूरा करने के लिए हर प्रकार से बाजार एवं अन्य 'शोतों से ईक्विटी पूँजी जुटाकर टियर-I पूँजी बढ़ाने की आवयकता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह उपलब्ध कराता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इयू या प्रस्ताव दिए जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही अनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जब तक कि ोयररधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले।

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2017 is 10.93.Since there is no internal capital generation, there is every need to augment Tier - I capital by raising equity capital from market and other sources for business expansion and meeting Basel III norms.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting

कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा ोयरधारकों को अन्यथा अनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।

संकल्प, बैंक को जन इयू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इयू और / या निजी प्लेसमेंट के अधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर/ अधिमानी ोयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इयू आगम बैंक को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता को साक्त करने में सक्षम करेगा।
आगे, आईसीडीआर विनियमनों द्वारा पारिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प निदेशक मंडल को साक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल को अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किए बगैर बैंकहेतु निधि उगाही के लिए आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है। आईसीडीआर विनियमनों के पाठ VIII अनुसार क्यूआईपी इयू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती है, जिसका मूल्य 'प्रासंगिक तिथि' के बाद के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। 'प्रासंगिक तिथि' का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।
प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम वशर्ते प्रचलित बाजार परिस्थिति व अन्य विनियामक आवयकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकार, लीड प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य प्राधिकरण व आवयकता अनुसार प्राधिकरण के साथ परार्मा में निर्धारित की जाएंगी।

चूंकि प्रस्ताव का मूल्य-निर्धारण बाद के स्तर के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य उद्धृत किया जा सके। यद्दपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय-समय पर संशोधित अनुसार यूको बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 एवं लागू या आवयक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमों/ सहमति अनुसार होगा।
उपरोक्त कथित कारणों हेतु मुद्दे केशर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में एक सक्षमकर्ता संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है।
आबंटित ईक्विटी शेयर सर्व प्रकार से बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समतुल्य निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रयोजन से बैंक को एक विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों की अनुमति प्राप्त करने की जरूरत होगी। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी अनुमति का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल नोटिस में किए गए उल्लेख के अनुसार विशेष संकल्प पारित किए जाने की संस्तुति करता है। बैंक के किसी भी निदेशक का, उनकी स्वयं की शेयरधारिता तक की सीमा को छोड़कर, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प(पों) से कोई सरोकार या हित नहीं है।

इस नोटिस के एजेंडा मद 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरण :

दीर्घ अवधि के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवयकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बैंक अपने कर्मचारियों को 'एसबीईबी-ईएसपीएस 2017' के अंतर्गत जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है । उक्त प्रस्ताव, यदि आवयकता हो तो भारत सरकार / आरबीआई/स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है ।

decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares by way of Follow on public issue, Qualified Institutional Placement, Preferential Issue and/or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

The detailed terms and conditions for the offer will bedetermined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authorityor authorities as may be required, considering theprevailing market conditions and other regulatory requirements.

As the pricing of the offering cannot be decidedexcept at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 and the UCO Bank (Shares and Meetings)Regulations, 2003 as amended from time to time orany other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise theterms of the issue.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s),except to the extent of their shareholding, if any inthe Bank.

EXPLANATORY STATEMENT FOR THE AGENDA ITEM NO.3 OF THIS NOTICE

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy of the Bank proposes to issue shares under "SBEB-ESPS 2017" to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/Stock Exchanges and other regulatory bodies, it required.

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि 'एसबीईबी-ईएसपीएस 2017' के तहत वर्णित है अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या'इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति'(समिति) के अनुसार बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेाक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेाकोंसहित सभी स्थाई कर्मचारियों ('पात्र कर्मचारियों') को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देयों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों एवं दिाानिर्देशों के अधीन होगी।

i) बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढ़ावा देना;

ii) बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;

iii) बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्विटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

एलओडीआर विनियमों का विनियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इयू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वही प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प,यदि पास हो जाता है तो वह बैंक की बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा ।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार,बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिाानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी ।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2/2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित 'एसबीईबी-ईएसपीएस 2017' के व्यापक निबंधन एवं शर्तों के साथ होगा :

1. योजना का संक्षिप्त विवरण :

बैंक,उन निबंधन वशर्तों पर जैसा कि 'एसबीईबी-ईएसपीएस 2017' के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या 'इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति' (समिति) के अनुसार बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी,कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है, इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ ₹10 के अंकित मूल्य पर 5.00 करोड़ के इक्विटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. प्रदान किए जाने वाले ोयरों की कुल संख्या

5,00,00,000 इक्विटी शेयरों को 'एसबीईबी-ईएसपीएस 2017' के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, 'एसबीईबी-ईएसपीएस 2017' के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वो इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए ।

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Chairman/Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "SBEB-ESPS 2017"or as may be decided by the Board or "Committee of Directors for issue of equity shares"(Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, interalia, with the following objectives :

i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;

ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;

iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities or the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "SBEB-EPS 2017".

1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Chairman/Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "SBEB-ESPS 2017"or as may be decided by the Board of "Committee of Directors for issue of equity shares" (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 5.00 crore equity shares at a face value of ₹10/- each with appropriate premium, at the time of offer.

2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 5,00,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the SBES-ESPS 2017. However, the portion of shares offered, pursuant to the SBEB-ESPS 2017, to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

3. एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हकदार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेाक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी,कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी

4. वेस्टिंग की आवयकता व वेस्टिंग की अवधि

लागू नहीं

5. अधिकतम अवधि (सेबी विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो,के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

6. विकल्प प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य,क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण का फॉर्मूला

क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मुला का निर्धारण सेबी विनियम के अनुसार इक्विटी शेयरों के निर्गमन हेतु निदेशकों की समिति द्वारा ऑफर के समय किया जाएगा ।

7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह

8. एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मूल्याकंन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी,कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिदेर्शों के अधीन भाग लेने के हकदार होंगे ।

9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में जारी विकल्प,एसएआर,शेयर,जैसा भी मामला हो,की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 5,00,00,000 इक्विटी शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी जारी किए जाने वाले शेयर जारी पूँजी के 1% से अधिक नहीं होने चाहिए।

10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूँकि नए शेयरों का एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यांवित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के जरिए

एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 सीधे बैंक द्वारा कार्यांवित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों ामिल है

एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा।

3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE SBEB-ESPS 2017

All permanent employees of the Bank including Chairman/ Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank.

4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AT THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED.

Not Applicable

6. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for issue of Equity shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue/offer.

8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE SBEB-ESPS 2017

All permanent employees including Chairman/Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

9. MAXIUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 5,00,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

10. MAXIUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under SBES-ESPS 2017, no other benefits will be provided to eligible employees.

11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

SBES-ESPS 2017 will be implemented and administered directly by the Bank.

12. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the SBES-ESPS 2017, the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

13. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यांवयन हेतु प्रदान की जनेवाली ऋण की राशि,उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदिः

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रन नहीं उठता ।

14. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतितता (सेबी विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है।

चूँकि बैंक द्वारा एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है,न्यास द्वारा सेकंडरी अधिग्रहण का प्रन नहीं उठता ।

15. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नितियों के अनुरूप होगी, इस अर्थ की वीवरणी

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नितियों के अनुरूप होगी ।

16.प्रकिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी ।

चूँकि एस.बी.ई.बी.-ई.एस.पी.एस 2017 के तहत सिर्फ शेयर जारी किए जाते हैं,एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रन नहीं उठता।

17. निम्नलिखित विवरणी,यदि लागू हो :

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेाक रिपोर्टमें प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ('ईपीएस') पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा ।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवयकता पड़ने पर पालन करेगा ।

लॉक-इन-अवधि :

एसबीईबी-ईएसपीएस 2017 के तहत जारी इक्विटी शेयरों को सेबी विनियम के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक किया जाएगा ।

इस लिए बैंक विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करनी होगी । अतः उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है।

बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्प (पों) के प्रति इच्छुक नहीं हैं,बिना बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के।

नोटिस की कार्यसूची मद सं. 4 पर उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के अनुसार आवयक किया गया प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) अधिमानी निर्गम के उद्देय

भारत सरकार ने अपने पत्र सं.एफ.नं.एफ/38/2014-बीओए दिनांक 16 मार्च, 2017के माध्यम से अपने पक्ष में ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन

13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPAY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC.

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBES-ESPS 2017 by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

As the shares are directly issued to the eligible employees under the SBES-ESPS 2017 by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15.

16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the SBES-ESPS 2017, the valuation of options or SARs does not arise.

17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

LOCK IN PERIOD :

The equity shares issued under SBEB-ESPS 2017 shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST AGENDA ITEM NO. 4 OF THE NOTICE AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI ICDR REGULATIONS 2009 ARE AS FOLLOWS:

a) Objects of the Preferential Issue

The Government of India vide its letter No.F.No. F/38/2014-BOA dated 16th March, 2017 decided to infuse capital of ₹1150 crore

के जरिए ₹1,150 करोड़ (रुपये एक हज़ार एक सौ पचास करोड़ मात्र) के पूँजी प्रवेश का निर्णय किया। इस बढ़ी हुई पूँजी का उपयोग पूँजी पर्याप्तता में सुधार लाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों हेतु निधि उपलब्धता के लिए किया जाएगा।

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी निधि निम्नानुसार हैः

(Rupees One thousand one hundred and fifty crore only) by way of preferential allotment of equity shares in its favour. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The capital fund to Risk Weighted Assets as on 31.03.2017 is as under:

विवरण Particulars	**राशि (₹) करोड़ में** Amount in (₹) in Crore	**जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी निधि का % (बासल III)** % of capital funds to risk weighted asset (Basel-III)
जोखिम भारित आस्तियाँ / Risk Weighted Assets	119332.00	
टियर I पूँजी / Tier I Capital	9868.74	8.27
टियर II पूँजी / Tier II Capital	3176.36	2.66
कुल पूँजी / Total Capital	13045.10	10.93

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जा रहा है जो बैंक का प्रवर्तक है।

b) The entire issue will be subscribed by the Government of India - Promoter of the Bank.

ग) निर्गम मूल्य अब तक संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 के अनुसार निर्धारित होगा। निर्गम मूल्य निश्चित करने की तय तारीख 29.05.2017 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य ₹ 37.44 निर्धारित किया गया है।

c)The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The issue price so determined is ₹37.44 considering that the relevant date i.e. 29.05.2017 for ascertaining the Issue Price.

घ) निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्नः

d) Shareholding Pattern before and after the Issue

क्र. सं. Sl. No.	**श्रेणी** Category	**निर्गम से पूर्व** Before the Issue		**निर्गम के बाद** After the issue	
		धारित शेयरों की सं. No. of shares held	**शेयर धारिता का प्रतिशत** Percentage of shareholding	**धारित शेयरों की सं.** No. of shares held	**शेयर धारिता का प्रतिशत** Percentage of shareholding
क/A.	**प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)** Promoter's Holding (Government of India)	119,57,69,733	76.67	150,29,27,852	80.50
ख/B.	**गैर-प्रवर्तक धारिता** Non -Promoter Holding	36,39,58,424	23.33	36,39,58,424	19.50
ग/C.	**कुल**/Total	155,97,28,157	100.00	186,68,86,276	100.00

ङ) बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में बतायी गई निर्दिष्ट समय-सीमा में ही निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

च) चूँकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

f) As the entire issue is to be made to Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

छ) निर्गम के पहले और बाद भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

g) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under.

	शेयरों की संख्या Number of Shares	**पूँजी का प्रतिशत** Percentage to Capital
निर्गम-पूर्व / Pre- issue	119,57,69,733	76.67
निर्गम-पश्चात / Post -issue	150,29,27,852	80.50

ज) बैंक में प्रवर्तक की निर्गम-पूर्व की अवधारिता 76.67% है और सार्वजनिक शेयरधारिता 23.33% है, जो सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियम 36 और संशोधित प्रतिभूति संविदा विनियम नियमावली 1957 के अंतर्गत निर्धारित 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से कम है। बैंक ने सरकार, अर्थात बैंक के प्रवर्तक को आगे किए जानेवाले ईक्विटी पूंजी के प्रस्तावित निर्गम के अनुमोदन के लिए, साथ ही आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि स्वीकृत कराने के लिए भी सेबी से संपर्क किया है ताकि न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों का अनुपालन किया जा सके।

झ) बैंक के ईक्विटी शेयर छह से अधिक माह के लिए सूचीकृत हैं और इसीलिए सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं। अत: सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) एवं (जी) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ञ) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।

ट) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व-अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मंजूर वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से छह माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।

ठ) सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिससे प्रमाणित होता हो कि इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है जिसे असाधारण सामान्य बैठक के पटल पर रखा जाएगा।

ड) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते के निर्धारण के अनुसार ईक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

ढ़) भारत सरकार ने प्रासंगिक तारीख से पहले के छह माह के दौरान बैंक का कोई भी ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

ण) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 के अनुसरण में, अधिमानी आधार पर शेयर निर्गम एवं आबंटन के साथ ही बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश करने के विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

त) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।

थ) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक आरक्षित रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।

द) आपके निदेशकगण सूचना में यथानिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

ध) बैंक के निदेशकों में से किसी का भी इस संकल्प से कोई सरोकार या हित नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

(आर . के . टक्कर)

ह/
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 30 मई, 2017

h) The Pre issue holding of the Promoter in the Bank is 76.67% and the public shareholding is 23.33% which is less than the minimum public shareholding of 25% stipulated under Regulation 36 of SEBI Listing Regulations and amended Securities Contract Regulations Rules, 1957. Bank has approached SEBI for its approval to the proposed issue of equity capital to the Government of India i.e Promoter of the Bank and also granting time for a period of one year from the date of allotment for complying with norms for minimum public shareholding norms.

i) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable. Hence disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

j) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.

k) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.

l) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Annual General Meeting.

m) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

n) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

o) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-av-s offering shares to all the shareholders of the Bank.

p) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

q) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

r) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

s) None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors

(R.K. Takkar)
sd/-

Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 30th May, 2017

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

Managing Director & CEO's Statement



प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

यूको परिवार के प्रिय सदस्यगण,

अपने बैंक की 14वी वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक का कार्यनिष्पादन परिणाम समक्ष रखते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख पैरामीटरों में बैंक के कार्यनिष्पादन तथा बैंक द्वारा की गई कार्यनीतिगत पहल के विषय में इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। पूर्वपीठिका के रूप में मैं बैंक के कार्यनिष्पादन तथा अपने हितधारकों हेतु संधारणीय मूल्य अर्जित करने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता हूं।

अर्थव्यवस्था :

मिश्रित वैश्विक आर्थिक दशा के बावजूद यह अनुमान है कि उपभोग की बढ़ती मांग तथा बढ़ते लोक निवेश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 की 7.1% की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2017-18 में 7.4% की वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ डिजिटल लेनदेन, पारदर्शिता आदि पर सरकार का फोकस और अनेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक सुधार वित्तीय बाज़ार को पिरामिड के तल, खास कर अछूते पड़े ग्रामीण बाज़ारों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगें। बैंक इन अवसरों से लाभ उठाने तथा इन्हें कारोबार के लिए लाभप्रद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंकिंग उद्योग 5.1% की ऋणवृद्धि का साक्षी रहा जबकि 31 मार्च 2017 तक जमावृद्धि 11.8% दर से बढ़ी। ऋण की वृद्धि पर ऋण के राइट-ऑफ, यूडीएवाई (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना के तहत बैंक ऋण की स्वैपिंग, ऋण चुकौती के लिए एसबीएन के उपयोग तथा अवसादग्रस्त निवेश चक्र का प्रभाव पड़ा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आर.बी.आई ने दो बार नीतिगत दरो में बदलाव किया है।

बैंक का कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2016-17 चुनौतियों तथा परिवर्तनों का वर्ष है। चुनौतियों का सामना करने तथा संपोषणीय लाभप्रदता पाने के लिए अपना टर्नएराउंड आरंभ करने के लिए बैंक ने अपने को फिर से अभिमुख किया है।

Message of the MD & CEO:

Dear Shareholders,

It's Heartening to welcome you to the 14th Annual General Meeting of our Bank, and place forth the bank's performance during the financial year 2016-17. The performance of the bank in various key parameters and the strategic initiatives taken by the bank during the period is dealt with elaborately, in the report. To set the stage for the same, I would provide the overview of the bank's performance and the proposed course of action to create sustainable value for our stakeholders.

Economy:

Despite mixed global outlook, our economy is estimated to grow at 7.4% in 2017-18 against 7.1% during FY 2016-17, based on the pick-up in consumption demand and increased public investment. The government's focus in fortifying the rural sector, coupled with emphasis upon digital transaction, transparency, and a galore of other economic and social reforms would pave way for deepening of the financial services market to the bottom of the pyramid; particularly into the largely untapped rural markets. The bank is committed to capitalize on this opportunity and translate into profitable avenues of business.

Banking industry witnessed a muted credit growth of 5.1% , while deposit grew at 11.8% by 31st March 2017. Credit growth was impacted by loan write offs, swapping of bank credit under UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) scheme, use of SBNs for repaying loans and depressed investment cycle. RBI has changed the policy rates two times in FY 2016-17.

Bank's Performance:

FY 2016-17 was a period of challenges and changes. The bank reoriented itself actively to thwart the challenges and prepared for a turnaround journey to achieve sustainable profitability.

- मार्च 16 के ₹342626 करोड़ की तुलना में मार्च 17 में बैंक ने ₹332940 करोड़ का वैश्विक कारोबार किया। आंशिक रूप से इसका कारण है बल्क जमाओं को कम करने का समझबूझ कर लिया गया निर्णय तथा रिटेल करोबार पर फोकस करने का निश्चय। औद्योगिक क्षेत्र में ऋण की मांग में आई कमी तथा आय में हुई अत्यल्प वृद्धि से भी ऐसा हुआ।
- मार्च 16 के ₹207118 करोड़ की तुलना में मार्च 17 में बैंक ने ₹201285 करोड़ का वैश्विक जमा संग्रह किया।
- एक वर्ष पहले के ₹135508 करोड़ की तुलना में मार्च 17 में बैंक ने ₹131655 करोड़ का वैश्विक ऋण दिया।
- कुल जमा में बैंक के कासा का प्रतिशत 33.92% रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान बचत बैंक जमा में 27.25% की वृद्धि हुई, जिसका एक कारण विमुद्रीकरण रहा।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 की ₹2799 करोड़ की शुद्ध हानि की तुलना में बैंक को वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹1851 करोड़ की शुद्ध हानि हुई। बैंक अपने टर्नएराउंड के पथ पर है। आस्ति गुणता रिव्यू के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिन भी उधारखातों को चिह्नित किया था, बैंक ने उन सभी खातों में आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान की सभी अपेक्षाएं पूरी की हैं।
- मार्च 2017 तक बैंक के ग्राहकों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई एवं यह 3.10 करोड़ तक पहुँच गई है।
- सरकार की समावेशन आकांक्षाओं को पूरा करने के क्रम में बैंक ने पीएमजेडीवाई (57,28,882 खाते), पीएमएसबीवाई (11,13,611 नामांकन), पीएमजेजेबीवाई (6,17,865 नामांकन) एवं एपीवाई (49,614 सबस्क्राइबर) आदि योजनाओं में अपनी भागीदारी करके अधिकाधिक संख्या में नागरिकों को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लिया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान की गई पहल

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक के समस्त संसाधन ऐसे कारगर उपायों में प्रयुक्त कर दिए गए जो बैंक के लिए दीर्घकालीन लाभों के रूप में प्रतिफलित होंगे। इस वर्ष के दौरान बैंक ने जो अनेक पहल की हैं उनकी एक परिचायक सूची इस प्रकार है:

- अपने ग्राहकों के लिए खास पेशकश करने हेतु बैंक ने अनेक ऑनलाइन पोर्टलों के साथ गठजोड़ किया है।
- अपने विद्यमान आवास ऋणकर्ताओं के लिए बैंक ने ब्याज कैपिटलाएज़ेशन योजना शुरू की।
- व्यापारियों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए दिनांक 31.03.2017 तक 14 भिन्न-भिन्न पेमेंट गेटवे एग्रीगेटरों को एकीकृत किया गया है।
- हमारे मर्चेन्ट ग्राहकों की जरुरतें पूरी करने के लिए पॉइन्ट ऑफ सेल टर्मिनल सुविधा की शुरूआत की गई।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एवं एपीवाई के लिए इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन खरीददारी की सुविधा प्रदान की गई।
- डिज़िटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यूको पे ई-बटुआ शुरू किया गया तथा उसका जोर-शोर से विपणन किया गया है।
- महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए शुल्क/प्रभार एकत्रित करने तथा शैक्षणिक संस्थाओं या अन्य कार्पोरेटों/संस्थाओं को ऑनलाइन/ ऑफलाइन भुगतान करने हेतु अन्य संस्थाओं के लिए एक स्मार्ट तरीका, यूको स्मार्ट पे, शुरू किया गया।
- यूको एम-बैंकिंग में पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना) एप्लिकेशन मोड्यूल सक्रिय किया गया है।

- Global business of the bank stood at ₹332940 crore as of Mar'17, against ₹342626 crore as of Mar'16. This is partly attributed to the conscious shedding of bulk deposits & focusing upon retail business, and also because of slowdown in industrial credit offtake and poor earnings growth.
- Global deposits stood at ₹201285 as of Mar'17, against ₹207118 as of Mar'16.
- Global advances stood at ₹131655 crore as of Mar'17, against ₹135508 crore a year ago.
- Bank's CASA proportion was 33.92% of Total deposits. Savings deposits rose by 27.25% during the financial year, partly due to demonetization.
- Bank has registered a net loss of ₹1851 crore for FY 2016-17, against a loss of ₹2799 crore for FY 2015-16. The bank is under its turnaround phase. The bank has complied with the asset classification and provisioning requirements in respect of all the borrower accounts identified by RBI during asset quality review.
- The bank's customer base expanded by 8% to reach 3.10crore by Mar'17.
- Bank has contributed to the government's inclusion aspirations by participating in schemes like PMJDY (57,28,882 accounts), PMSBY (11,13,611 enrolments), PMJJBY (6,17,865 enrolments), and APY (49,614 subscribers), for bringing maximum number of citizens into the fold of financial services.

Initiatives during FY 2016-17:

During the year FY 2016-17, all resources of the bank were dedicated towards measures that would result in long -term benefits for the bank. The following is an indicative list of the many initiatives taken by the bank during the year:

- The bank has tied up with several online portals to provide exclusive offers to its customers.
- Bank had introduced Interest capitalization scheme for our existing Home Loan customers.
- Till 31.03.2017, 14 different payment gateway aggregators have been integrated for online payment to merchants.
- POS terminal facility has been introduced to cater to the needs of our merchant customers.
- Online Subscriptions facility through internet Banking for Sovereign Gold Bonds & APY has been implemented.
- UCO Pay e-wallet has been launched and aggressively marketed to promote digital transactions.
- UCO Smart Pay, a Smart way for the collection of fees/ charges for College/School and other institutions for paying online/offline to educational institutions or any other corporates/institutions has been launched.
- PMMY (Pradhan Mantri Mudra Yojana) application module has been operationalized in UCO M-Banking.

- यूको बैंक वेबसाइट/पोर्टल में एमएसई एप्लिकेशन मोड्यूल सक्रिय किया गया है।
- 24x7 साइबर सुरझा परिचालन केन्द्र (एसओसी) चालू किया गया है।

भावी योजनाएं

कासा बढ़ाने, अग्रिम को तेज़ी से बढ़ाने, प्रभावी ऋण निगरनी तथा वसूली द्वारा आस्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने के तीन उद्देश्य इस वर्ष भी प्रासंगिक रहेंगे। ये, और इसके साथ साथ अन्य कार्यनीतिगत पहलें न केवल बैंक की टर्नएराउंड योजना में सहायक होगी, वरन कारोबार के विद्यमान तरीकों को मज़बूती देते हुए 'स्थिर वैकल्पिक राजस्व आदर्श (स्टेबल अल्टर्नेटिव राजस्व मॉडल) की स्थापना करके वे अपने हितधारकों के लिए दीर्घावधिक मूल्य अर्जन भी करेंगी।

यूको बैंक की यह प्रतिबद्धता कि हम "समाज के प्रति दायित्वशील कार्पोरेट हैं", उसे सभी कार्यक्षेत्रों में दिशा दिखाती है। उत्पाद तथा प्रक्रिया के निर्माण-क्रम में प्रौद्योगिकीगत नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो मानवीय संवेदना के साथ ग्राहकों को आनंददायक बैंकिंग-अनुभव कराने में कर्मचारियों के सहायक होंगे।

(आर के टक्कर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- An MSE application module has been made active in UCO Bank website/portal.
- 24x7 Cyber Security Operation Centre (SOC) has been operationalized.

Future Course:

The triple objectives of increasing CASA, increasing advances and improving asset quality by effective credit monitoring and recovery measures, stays valid for this year too. These, along with the other strategic approaches will not only help in turnaround plans of the bank, but also create long-term value for the stakeholders by establishing Stable Alternate Revenue Streams, apart from fortifying the existing avenues of business.

UCO Bank's commitment to be 'Corporate with Social Responsibility', guides it in all its undertakings. Technological innovations will be encouraged to build products and processes that facilitates the bank's employees to deliver delightful banking experience with human touch.

(R K Takkar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2016-17
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2016-17

I. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण:

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक वृद्धि 2016 के अनुमानित 3.1% से बढ़कर 2017 में 3.5% और 2018 में 3.6% होने का अनुमान लगाया गया है। 2016 की दूसरी छमाही से खासकर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, आर्थिक गतिविधि कुछ तीव्रता के साथ बढ़ी। उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक कार्यनिष्पादन मिश्रित प्रकार का रहा है। एक समूह रूप में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के 2017 एवं 2018 में 2.0% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। उभरते हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सामूहिक रूप से 2017 एवं 2018 में क्रमश: 4.5% एवं 4.8% की दर से वृद्धि होगी।

गैसोलीन और अन्य ऊर्जा संबंधी उत्पादों की रिटेल कीमतों के बढ़ जाने के कारण वैश्विक उपभोक्ता मूल्य स्फीति में भी उछाल आया है। 2016 की तुलना में 2017 में अधिक मुद्रास्फीति अपेक्षित है। समग्रत: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2016 से 0.8% से बढ़कर 2017 में 2.0% हो जाने की भविष्यवाणी की गई है। पण्य वस्तुओं की ऊँची कीमतों के कारण पिछले वर्ष के 4.4% की तुलना में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बढ़कर 4.7% हो जाने का अनुमान है। वैश्विक व्यापार के परिमाण में 2016 में 2.2% की वृद्धि अनुमानित की गई है। 2017-18 में वैश्विक व्यापार के लगभग 4% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

2. घरेलू अर्थव्यवस्था

वर्ष 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.6% रही, जिसकी तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान वृद्धि दर 7.1% होने का अनुमान है। जिन क्षेत्रों में 7.0% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई वे हैं 'लोक प्रशासन, 'रक्षा एवं अन्य सेवाएँ, 'वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ, तथा 'विनिर्माण। 'कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन, 'खनन एवं उत्खनन, 'विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य यूटिलिटी सेवाएँ, 'निर्माण तथा 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं में क्रमश: 4.1%, (-) 1.8%, 6.5%, 2.9%, एवं 6.0% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद 6.75% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 7.5% तक पहुँचना अपेक्षित है। 2017-18 से आगे देखते हुए और सामान्य मानसून एवं मैत्रीपूर्ण वैश्विक वातावरण मानकर चलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अपेक्षा करता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8.1% की वास्तविक जीवीए वृद्धि होगी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 2016 के 4.83% से घटकर मार्च 2017 में 3.81% पर आ गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) 5.7% पर रही।

8 नवंबर, 2016 को सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाने की घोषणा की जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। सबसे बड़े दो मूल्यवर्ग के नोट अर्थात ₹500 एवं ₹1000 के नोट वापस ले लिये गए। सरकार ने इन नोटों को कुछेक प्रयोजनों तक ही सीमित रखा। हालांकि इस कदम से अर्थव्यवस्था पर कुछ अल्पावधि एवं झटके लगनेवाले प्रभाव पड़े परंतु दीर्घकाल में यह कदम अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद हो सकता है।

खासकर इक्विटी सेगमेंट में एफआईआई के चलते आगम तथा वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में सीएडी के कम हो जाने से उत्पन्न सकारात्मक

I. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.GLOBAL ECONOMY

Global growth is projected to increase from an estimated 3.1% in 2016 to 3.5% in 2017 and 3.6% in 2018. Economic activity gained some momentum in the second half of 2016, especially in advanced economies. Economic performance across emerging markets and developing economies has remained mixed. Advanced economies as a group is forecasted to grow by 2.0% in 2017 and 2018. Growth in the group of emerging markets and developing economies is to rise to 4.5% and 4.8% in 2017 and 2018, respectively.

Global consumer price inflation has also ticked up as the retail prices of gasoline and other energy related products have increased. Inflation is expected to be higher in 2017 than in 2016. For advanced economies as a whole, inflation is forecasted to be 2.0% in 2017, up from 0.8% in 2016. Inflation in emerging market and developing economics is projected to rise to 4.7% in 2017 from 4.4% last year due to higher commodity prices. Global trade is estimated to have grown in volume by 2.2% in 2016. Global trade is projected to grow at a rate of close to 4% in 2017-18.

2. DOMESTIC ECONOMY

The growth in GDP during 2016-17 is estimated at 7.1% as compared to the growth rate of 7.6% in 2015-16. The sectors which registered growth of over 7.0% are 'Public administration, defence& other services', 'financial, real estate & professional services', and 'manufacturing'. The growth in the 'Agriculture, forestry &fishing', 'mining & quarrying , 'Electricity, gas water supply & other utility services', 'Construction'and'Trade, hotels, transports, communication& services related to broadcasting' is estimated to be 4.1%, (-) 1.8%, 6.5%, 2.9% and 6.0% respectively.

As per the Economic Survey 2016-17 India's GDP is expected to grow at 6.75% to 7.5% in FY 2018. Looking beyond 2017-18 and assuming a normal monsoon and a congenial global environment, RBI expects a real GVA growth of 8.1% in FY 2018-19.

CPI inflation declined to 3.81% in March 2017 from 4.83% as of Mar 2016.Headline inflation (WPI) stood at 5.70% during FY 2016-17.

On November 8, 2016, the Government announced a historic measure, with profound implication for the economy. The two largest value notes, ₹500 and ₹1000 were withdrawn. The government restricted the usage of these notes only to a few purposes. Though this measure had its short-term and modest repercussions on the economy, it could be beneficial for the economy in the long run.

Inflows on account of FIIs, particularly into the equity segment, and positive sentiments generated by narrow CAD in first HY of

रुझान की वजह से रुपये को एक संकरे दायरे में ही चलायमान रहने में मदद मिली। इसके बाद रुपये में आया अवमूल्यन बहुत हद तक यूएस के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों के पश्चात वैश्विक दृष्टि से यूएस डॉलर के सशक्त होने और फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति में कड़ाई के कारण माना जा सकता है। तथापि वर्ष 2016-17 में रुपये का प्रदर्शन अन्य अधिकांश उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से बेहतर रहा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत का निर्यात $274.6 बिलियन रहा जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% की वृद्धि दर्ज हुई। आयात (-) 0.17% तक घटकर $380.36 बिलियन पर रहा। परंतु पूरे वर्ष का व्यापार घाटा पिछले वर्ष के $118.7 बिलियन से 11% घटकर $105.7 बिलियन पर आ गया।

बजट, वित्तीय बाजार और बैंकिंग क्षेत्र:

संघीय बजट ने उल्लेख किया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में भारत का सीएडी सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.3% तक घट गया जो पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 1% था। वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% लक्षित किया गया है और सरकार आनेवाले वर्षों में 3% की उपलब्धि के लिए संकल्पित है। अपेक्षा की जाती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुष्ट करने, किफायती आवास उपलब्ध कराने तथा विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने जैसी पहल द्वारा और अधिक एफडीआई आकर्षित करने के सरकार द्वारा संघीय बजट 2017-18 में रखे गए विविध प्रस्तावों के फलस्वरूप संवृद्धि को गति मिलेगी। जीएसटी बिल भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो रेट कटौती, दिसंबर, 2016 में फेड रेट अधिक हो जाने के अंदेशे, विमुद्रीकरण तथा उसके फलस्वरूप बढ़ी तरलता के चलते सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक.) बाजार की प्राप्तियाँ अस्थिर रहीं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की द्वितीय छमाही में स्टॉक बाजार में 6.3% का लाभ रहा।

31 मार्च, 2017 तक बैंकिंग उद्योग में 5.1% की स्थिर ऋण वृद्धि हुई जबकि जमा 11.8% की दर से बढ़ी। परंतु इस शिथिलता के पीछे कई कारक हैं। ऋणों को बट्टे खाते डालने, यूडीएवाई (उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना) के तहत बैंक ऋण की स्वैपिंग, ऋण चुकौती के लिए एसबीएन के उपयोग और मंदी के शिकार निवेश चक्र के कारण ऋणों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो बार नीतिगत दरें परिवर्तित की हैं। संघीय बजट, 2017 के अनुसार मार्च, 2017 तक बैंकों ने 10 लाख नए विक्रय केंद्र टर्मिनलों की शुरूआत करने का लक्ष्य रखा है।

भारत को एक कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षा ने बैंकों पर डिजिटल बैंकिंग के प्रवर्तन का दारोमदार रखा है।

II. 2016-17 में बैंक का कार्य-निष्पादन:

1. यूको के डिलिवरी चैनल:

1.1 पारंपरिक नेटवर्क :

बैंक के पास भारत एवं विदेश में भौगोलिक दृष्टि से भलीभाँति फैला शाखा नेटवर्क है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बैंक के 8 सर्किल कार्यालय, 42 अंचल, 3100 घरेलू शाखाएँ और चार विदेशी

2016-17 helped the rupee to move within a narrow range. The subsequent depreciation of rupee could be attributed largely to the strengthening of the US dollar globally, following the US presidential election results and tightening of monetary policy by the Federal Reserve. Nevertheless, in 2016-17, the rupee has performed better than most of the other emerging market economics (EMEs).

India's export during the year 2016-17, stood at $ 274.6 billion, registering 4.7% rise over the previous year. Imports declined by (-) 0.17% to $ 380.36 billion. However, the trade deficit fell for the entire year by 11 % to $ 105.7 billion from $ 118.7 billion the previous year.

Budget, Financial Markets and Banking Sector:

The union budget mentioned India's CAD declined to about 0.3% of GDP in the first HY of FY 2016-17 from 1% of GDP in the previous year. Fiscal deficit for 2016-17 is targeted at 3.2% of GDP and government remains committed to achieve 3% in the coming years. Various proposals made by the Government in the union budget 2017-18 to boost rural economy, provide affordable housing and to attract higher FDI through initiatives like abolishing the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) are expected to stimulate growth. The GST bill,is also a good step for the economy.

Yields in the Government securities (G-Sec.) market remained volatile due to repo rate cut by RBI, expectation of Fed rate hike in December 2016, demonetization and resultant surge of liquidity. Stock market gained 6.3% in the second half of the financial year 2016-17.

There was a muted credit growth of 5.1% in banking industry while deposit grew at 11.8% by 31st March 2017. Several factors however, overstate this slowdown. Credit growth was impacted by loan write offs, swapping of bank credit under UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) scheme, use of SBNs for repaying loans and depressed investment cycle. RBI has changed the policy rates two times in FY 2016-17. Banks have targeted to introduce additional 10 lakh new POS terminals by March 2017, as per the union budget, 2017.

Government's ambition of making India a cashless economy has vested upon the banks the onus of promoting digital banking.

II. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2016-17:

1. UCO's Delivery Channels:

1.1. BRICK and MORTAR Network:

Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. As on 31.03.2017, Bank has 8 Circle Offices, 42 Zones, 3100domestic branches and 4 overseas branches (two

शाखाएँ(सिंगापुर एवं हाँग-काँग में दो-दो) तथा दो विस्तार पटल हैं। तेहरान, ईरान में बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया गया है जो 25.03.2017 से कार्य कर रहा है।

घरेलू शाखाओं की संख्या 31 मार्च, 2016 को मौजूद 3077 से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को 3100 हो गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक शाखा नेटवर्क इस प्रकार हैः

each in Singapore and Hong Kong), 2 Extension Counters. Bank's Representative Office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f 25.03.2017.

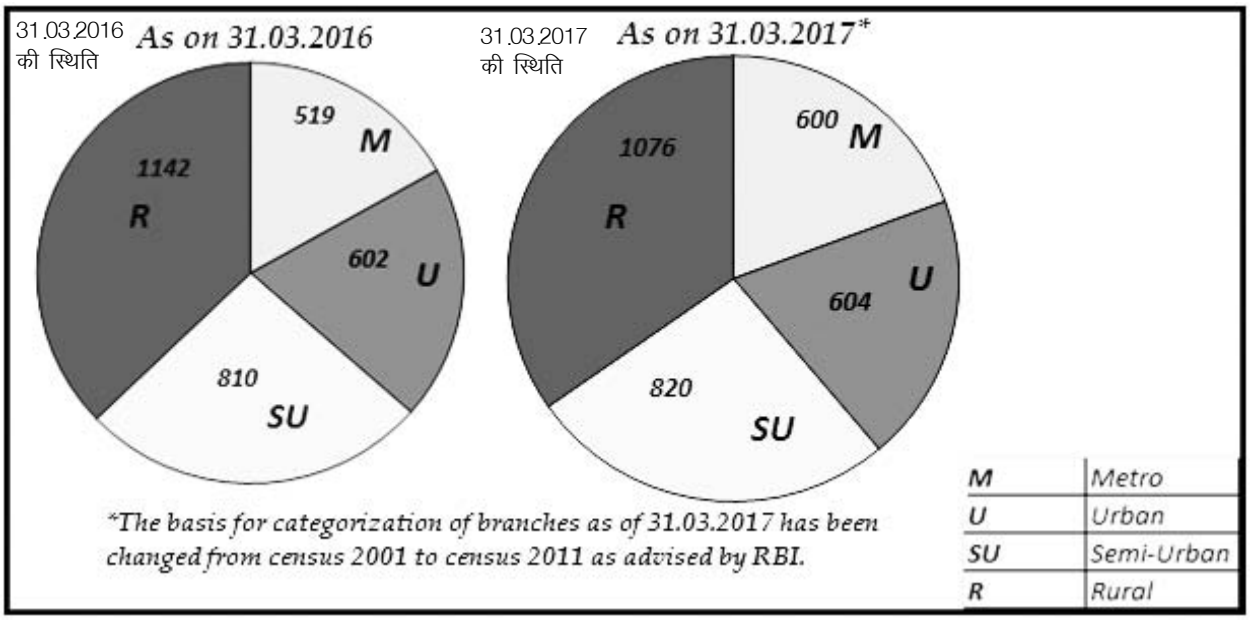
The number of domestic branches has increased from 3077 as on 31st Mar, 2016 to 3100 as on 31st Mar, 2017. The Global branch network over 5 years is as under:

(Global)

	मार्च / March, '13	मार्च / March '14	मार्च / March '15	मार्च / March '16	मार्च / March '17
शाखा/Branch	2614	2894	3020	3077	3104

31मार्च, 2016 एवं 31 मार्च, 2017को जनसंख्या श्रेणीवार शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया हैः

The population category-wise break-up of branches as on 31.03.2016 and 31.03.2017 is given below.



1.2 घरेलू शाखाओं में 5 फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएँ, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएँ, 22 सेवा शाखाएँ स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं। 1 सीपीपीसी और 1 एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा भी हैं। देश भर के विविध केंद्रों की प्रमुख नगरीय शाखाओं से जुड़े 28 रिटेल लोन हब एवं 72 मुद्रा तिजोरियां, 54 सिटी बैक कार्यालय भी काम कर रहे हैं।

1.2. The domestic branches include 5 FC branches, 7 AMBs, 22 service branches functioning independently, 1 CPPC and 1 Integrated Treasury Branch. Further, 28 Retail Loan Hubs and 72 Currency Chests, 54 City Back Offices are also functioning across the country, attached to the major city branches of various centres.

2. वैकल्पिक डिलिवरी चैनल:

2.1. 31 मार्च, 2017 की स्थिति को बैंक के पास 2779 एटीएम थे जिनमें से 2201 ऑनसाइट तथा 578 ऑफसाइट हैं। बैंक ने 31.03.2016 की स्थिति के 8566186 डेबिट/एटीएम कार्ड की तुलना में 31.03.2017 की स्थिति को 9706629 कार्ड जारी किए हैं। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में 13.31% की वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक रुपे कार्ड एवं किसान खाते से लिंक किए गए एटीएम समर्थित किसान कार्ड जारी कर रहा है।

2.2. यूटिलिटी बिल भुगतानों, हवाई जहाज एवं रेल टिकट बुक करने, ऑनलाइन खरीदारी, अंत:बैंक एवं अंतर-बैंक निधि अंतरण आदि के लिए ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। शेष राशि की जानकारी, खाता विवरण, लेन-देन संबंधी एसएमएस एलर्ट, परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का भुगतान एवं अन्य कई बैंकिंग सेवाएं भी बैंक प्रदान कर रहा है। 31.03.2017 की स्थिति को कुल ई-बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31.03.2016 की स्थिति के 530566 से बढ़कर 689572 हो गई जिसमे वर्ष-दर-वर्ष 29.97% की वृद्धि दर्ज की गई।

2. Alternative Delivery Channels:

2.1. As on 31.3.2017, Bank had 2779 ATMs out of which 2201are onsite and 578 are offsite. Bank has issued 9706629 Debit/ ATM cards as on 31.3.2017 as compared to 8566186 cards as on 31.03.2016 thereby achieving an increase of 13.31% over the previous year. The bank is issuing Rupay cards under financial inclusion and ATM enabled Kisan Cards linked to Kisan account.

2.2. Internet banking facility is available to customers for utility bills payment, for air and rail ticket booking , online shopping, inter-bank and intra bank fund transfer etc. Bank is also providing services like balance enquiry, account statement, transaction related SMS alerts , payment of indirect taxes, Direct taxes and many other banking services. The total e-banking users as on 31.03.2017are689572, as against 530566, as on 31.03.2016, registering a Y-O-Y increase of 29.97%.

2.3 वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा आरंभ की है, जिसमें ग्राहक मोबाइल फोन के जरिए अपने बैंकिंग लेन-देन करने कि सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब एसएमएस/जीपीआरएस कनेक्शन मोड का उपयोग करके अपने हैंडसेट से शेष पूछताछ, खाता विवरण, मोबाइल रीचार्ज, अंत:बैंक एवं अंतर-बैंक निधि अंतरण जैसी बैंकिंग गतिविधियाँ कर रहे हैं। 31.03.2016 की स्थिति को कुल 272969 एम-बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31.03.2017 की स्थिति को बढ़कर 534007 हो गई जिसमे वर्ष-दर-वर्ष 95.63% की वृद्धि दर्ज की गई।

2.4 इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने अपने मर्चेन्ट ग्राहकों को पॉइन्ट ऑफ सेल टर्मिनल सुविधा देने की शुरूआत की है। यह सेवा 5 सितंबर, 2016 को प्रारंभ की गई जिसमें 55 पीओएस टर्मिनल स्थापित किए गए। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बैंक ने विभिन्न मर्चेन्ट स्थापनों को 5145 पीओएस टर्मिनल प्रदान किए हैं। इनमें प्रतिदिन औसतन 4200 लेन-देन दर्ज हुए और प्रतिदिन की लेन-देन राशि औसतन एक करोड़ रुपये की रही।

2.5 बैंक सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को धड़ल्ले से अपना रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में हमारे ऑनलाइन खाता खोलने के चैनल से बैंक को 25306 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 31.03.2017 की स्थिति को 24352(96%) प्रोसेस किए जा चुके थे।

3. कारोबार प्रोफाइल:

3.1 वैश्विक:

बैंक की कुल जमा पिछले वर्ष के ₹207118 करोड़ की तुलना में मार्च, 2017 की स्थिति को ₹201285 करोड़ हो गई। बैंक का सकल अग्रिम पिछले वर्ष के ₹1,35,508 करोड़ की तुलना में मार्च, 2017 की स्थिति को ₹1,31,655 करोड़ का रहा है। बैंक का कुल कारोबार 31.03.2016 की स्थिति के ₹3,42,626 करोड़ की तुलना में मार्च, 2017 की स्थिति को ₹3,32,940 करोड़ का रहा है।

3.2 घरेलू:

घरेलू कार्यनिष्पादन के मामले में बैंक की कुल जमा पिछले वर्ष के ₹1,90,885 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 की स्थिति को ₹1,85,102 करोड़ की रही। बैंक का घरेलू अग्रिम पिछले वर्ष के ₹1,18,791 करोड़ की तुलना में मार्च, 2017 की स्थिति को ₹112917 करोड़ रहा। ब्याज लागत को कम करने के एक उपाय के रूप में बल्क जमा को छोड़ने के उपाय के कारण मार्च, 17 की स्थिति में बैंक की कुल जमा में कमी आई है। बैंक के एलसी बीडी कारोबार के घटने और प्रमुख उद्योगों की वृद्धि की गिरावट की वजह से बैंक के कुल अग्रिम में कमी आई है।

2.3. Bank has introduced Mobile Banking services during the year 2011-12, whereby customers can take advantage of conducting their banking transactions through mobile phones. Through the mobile banking facility, customers are now performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra & inter-bank funds transfer with their mobile handset using SMS/GPRS modes of connection. M-banking users as on 31.03.2017are534007 as against 272969 as on 31.03.2016 recording an increase of 95.63% Y-o-Y.

2.4. Bank has introduced the service of POS Terminal facility to our merchant customers during the financial year. The service was launched on 5th Sep, 2016 with a deployment of 55 POS terminals. As of 31st Mar, 2017, Bank has provided 5145 POS Terminals to various merchant establishments. The average number of transactions clocked was 4200 per day and the average amount transacted per day stood at an average of Rupees one crore.

2.5. Bank is rapidly adapting technology in all spheres. In FY 2016-17, the bank received 25306 applications through our online account opening channel, of which 24352 (96%) were processed as on 31.03.2017.

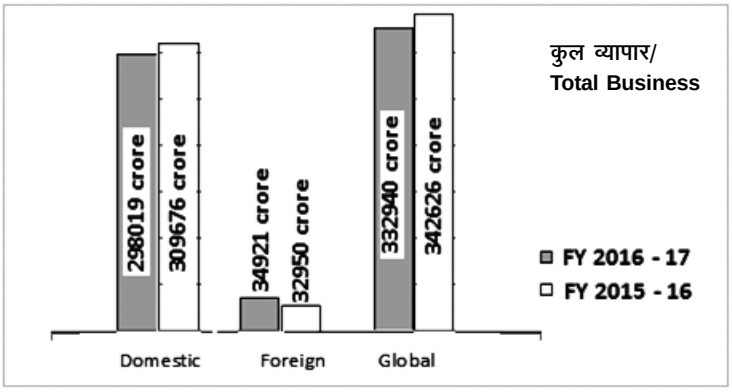
3. Business Profile:

3.1. GLOBAL:

Total deposits of the bank stood at ₹ 2,01,285 crore as on March 2017 compared to ₹ 2,07,118 crore a year ago and gross advances of bank as on March 2017 are at ₹1,31,655 crore compared to ₹1,35,508 crore a year ago. Total Business of Bank stood at ₹3,32,940 crore as of March 2017 as against ₹3,42,626 crore as on 31.03.2016.

3.2. DOMESTIC.

On the domestic front, total deposit stood at ₹1,85,102 crore as on 31.03.2017 as against ₹1,90,885 crore in the previous corresponding year . Domestic Advances of bank stood at ₹1,12,917 crore as of March 2017 as compared to ₹1,18,791 crore in the previous year. Total Deposit of Bank has declined as of Mar'17 due to shedding of bulk deposit as a measure to reduce interest cost. Gross Advances of Bank has declined due to decline in LC BD business of the bank and subdued growth in the Major industries.

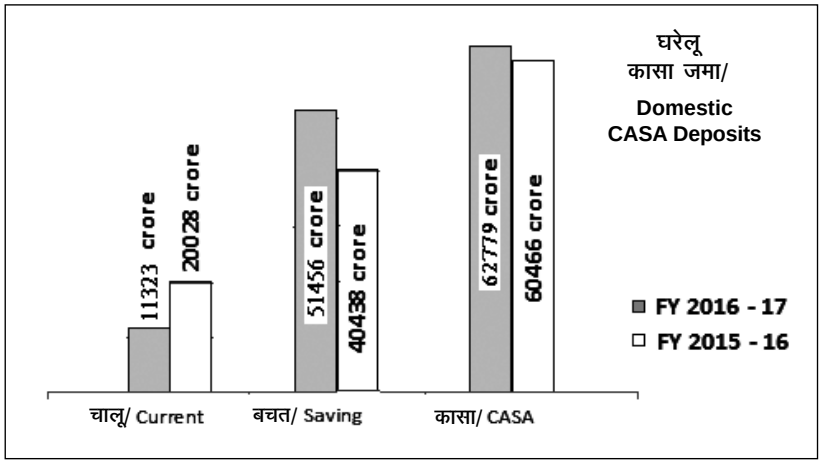


3.3 कासा (घरेलू):

मार्च 2017 की स्थिति को बैंक की घरेलू चालू एवं बचत (कासा) जमा ₹62779 करोड़ की रही। कुल घरेलू जमा में बैंक का कासा जमा 33.92% रहा। बैंक की बचत जमा मार्च, 2017 की स्थिति को ₹51,456 करोड़ हो गई जिसमें 27.25% की वृद्धि हुई। चालू जमा मार्च, 2016 की स्थिति के ₹20,028 करोड़ की तुलना में मार्च, 2017 की स्थिति को ₹11323 करोड़ रही जिसकी वजह ईरान की जमा का घटना था। मार्च, 2017 तक बैंक का ग्राहक आधार 8 % बढ़कर 3.10 करोड़ हो गया।

3.3 CASA (Domestic):

Domestic Current and Saving (CASA) deposits of the bank stood at ₹62,779 crore as of March 2017. The bank's CASA deposit to domestic deposits constituted 33.92% of Total Deposits. Savings deposit rose by 27.25% to ₹51,456 crore as at March 2017. Current deposit stood at ₹11,323 crore as of Mar'2017 as against ₹20,028 crore in Mar'16 on account of decline in Iran Deposits.The bank's customer base expanded by 8% to reach 3.10 crore by Mar'17.



3.4 वित्तीय कार्यनिष्पादन:

बैंक को 31.03.2017 को समाप्त सम्पूर्ण वर्ष में ₹1851 करोड़ की नेट हानि हुई है जिसकी तुलना में इससे पिछले वर्ष ₹2799 करोड़ की शुद्ध हानि हुई थी। मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का परिचालन लाभ ₹2926 करोड़ का रहा जिसकी तुलना में पिछले वर्ष यह ₹3603 करोड़ था।

बैंक का कुल प्रावधान और आकस्मिक खर्च घटकर ₹4777 करोड़ हो गया जिसकी तुलना में पिछले वर्ष यह ₹6403 करोड़ था।

बैंक की कुल आय पिछले वर्ष के ₹20157 करोड़ की तुलना में मार्च 2017 की स्थिति को ₹18440 करोड़ रही। ऋण और अग्रिम से ब्याज आय ₹9871 करोड़ की हुई, निवेशों से प्राप्त ब्याज ₹5734 करोड़ का रहा। शुद्ध ब्याज आय मार्च 16 की स्थिति के ₹4848 करोड़ की तुलना में मार्च, 17 की स्थिति को ₹3817 करोड़ की रही। मार्च, 17 की स्थिति को अर्जित गैर-ब्याज आय ₹2114 करोड़ हुई जबकि इससे पिछले वर्ष में यह ₹1596 करोड़ की थी।

बैंक का ब्याज व्यय मार्च, 2016 की स्थिति के ₹13713 करोड़ से घटकर मार्च, 2017 की स्थिति को ₹12509 करोड़ हो गया। बैंक का कुल खर्च मार्च, 2016 की स्थिति के ₹16554 करोड़ के मुकाबले मार्च, 17 की स्थिति को ₹15514 करोड़ का रहा। मार्च, 2017 की स्थिति को बैंक की जमा लागत घटकर 5.83% रह गई और अग्रिमों से आय घटकर 9.60% हो गई जबकि मार्च, 16 की स्थिति को यह क्रमश: 6.11% एवं 10.17% थी। आय-लागत अनुपात 47.19% से बढ़कर 50.67% हो गया।

3.4 Financial Performance:

The bank incurred a Net Loss of ₹1851 crore for the whole year ending 31.03.2017 compared to the net loss of ₹2799 crore for the corresponding previous year. Operating Profit for the year ended Mar, 2017 is ₹2926 crore compared to ₹3603 crore for the last year.

Total provisioning and contingencies of bank decreased to ₹4777 crore compared to ₹6403 crore for the last year.

The bank's total income stood at ₹18440crore as of March 2017 compared to ₹20157crore last year. Interest income from loans and advances stood at ₹9871crore and interest from investment stood at ₹5734 crore. Net Interest income was ₹3817crore as of Mar'17 against ₹4848crore as of Mar'16. The Non-Interest income earned is ₹2114crore as on Mar'17 as compared to ₹1596crore in the corresponding previous year.

The bank's interest expenses declined to ₹12509 crore for March 2017 from ₹13713 crore in March 2016. Bank's total expenses stood at ₹15514 crore as on Mar'17against ₹16554 crore as of March, 2016. The Bank's cost of deposit declined to 5.83% and yield on advances decroreeased to 9.60% as at March 2017 from 6.11% and 10.17% respectively in Mar'16. Cost to income ratio incroreeased to 50.67% from 47.19%.

4. पूँजी:

2016-17 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की निवल मालियत पिछले वर्ष के ₹9720 करोड़ से बढ़कर ₹10037 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 में दिनांक 21.09.2016 को भारत सरकार ने ईक्विटी शेयर के अधिमानित आबंटन के द्वारा बैंक में ₹775 करोड़ की पूँजी निविष्ट की तथा बैंक ने इस

4. Capital :

Net worth of the Bank has increased to ₹10037 crore during the financial year ending 2016-17 from ₹9720 crore of the corresponding previous year.In 2016-17, Govt. of India infused ₹775 crore capital in the bank by way of preferential allotment of Equity Shares on 21.09.2016 and Bank allotted 18,69,72,255

हेतु अधिमान्य आधार पर प्रति शेयर ₹41.45 के निर्गम मूल्य पर भारत सरकार को दिनांक 05.10.2016 को 18,69,72,255 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम ने ₹270.60 करोड़ की पूँजी निविष्ट की तथा बैंक ने इस हेतु अधिमान्य आधार पर प्रति शेयर ₹37.74 के निर्गम मूल्य पर एलआईसी को दिनांक 29.11.2016 को 7,17,00,000 ईक्विटी शेयर आबंटित किए। भारत सरकार ने दिनांक 31.03.2017 को ₹1150 करोड़ भी प्रदान किए जिसे "शेयर एप्लीकेशन मनी खाता" में रखा गया।

5. पूँजी पर्याप्तता अनुपात:

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को बासेल-III संरचना के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.93% रहा जो 10.25% की विनियामक आवश्यकता से ज्यादा था। बासेल- III संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता का ब्योरा नीचे दर्शाया जा रहा है।

equity shares to the Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.45 per share for the same on 05.10.2016. Further, Life Insurance Corporation of India infused ₹270.60 crore and bank allotted 7,17,00,000 equity shares to LIC on preferential basis at an issue price of ₹37.74 per share for the same on 29.11.2016. The Government of India also infused ₹1150 crore on 31.03.2017 which was maintained in the "Share Application Money Account".

5.Capital Adequacy Ratio:

As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio of 10.93 % as at 31.03.2017 was higher than the regulatory requirement of 10.25%. Details of Capital Adequacy under Basel-III framework are shown as under.

(₹ करोड़ में / in ₹ crore)

विवरण/Particular	31.03.2017		31.03.2016	
	सीआरएआर (%) / CRAR(%)	राशि/Amount	सीआरएआर (%) / CRAR(%)	राशि/Amount
टियर-I/Tier- I	8.27	9868.74	7.63	9915.83
टियर-II/Tier- II	2.66	3176.36	2.00	2598.98
कुल पूँजी/Total Capital	10.93	13045.10	9.63	12514.81

6.कोष एवं अंतरराष्ट्रीय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की कार्पोरेट निवेश नीति के अनुरूप मैक्रो-इकोनोमिक परिदृश्य एवं बाजार की गति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बैंक अपने कोष एवं निवेश का परिचालन करता आ रहा है। बदले हुए परिदृश्य में, जहां अत्याधुनिक तकनीक कोष एवं जोखिम प्रबंधन को धारदार बना रही है, प्रभावी एवं सक्षम तरीके से संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल करने और निवेश एवं ट्रेडिंग पर आय को अधिकतम बढ़ाने के लिए बैंक ने वैश्विक स्तर पर उपयोगी एक समेकित कोष प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत की है।

बैंक के सकल वैश्विक निवेश में 11.76% की कमी हुई और यह 31.03.2016 की स्थिति के ₹82361 करोड़ से घटकर 31.03.2017 की स्थिति को ₹72628 करोड़ हो गया। गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) में 0.41% की आंशिक वृद्धि हुई और यह 31.03.2016 की स्थिति के ₹12655 करोड़ से 31.03.2017 की स्थिति को ₹12707 करोड़ हो गया। एसएलआर निवेश 31.03.2017 की स्थिति को 14.04% की कमी दर्ज करते हुए ₹59921 करोड़ पर रहा, जबकि 31.03.2016 की स्थिति को यह ₹69706 करोड़ था। कोष प्रचालनों के जरिए लाभ को अधिकतम करने के सभी प्रयास किए गए। बैंक ने 31.03.2017 की स्थिति को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश प्रचालनों से ₹7507.47 करोड़ की आय अर्जित की, जिसकी तुलना में 31.03.2016 की स्थिति को समाप्त वर्ष के दौरान यह आय ₹6565.18 करोड़ की थी। इसमें 14.35% की बढ़त दर्ज हुई।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने ₹534.94 करोड़ के 174 निर्यात बिलों का परक्रामण किया तथा संग्रहण एवं अग्रिम भुगतान श्रेणी के अंतर्गत 10000 बिलों में कुल ₹7447 करोड़ का भुगतान सुलभ कराया।

बैंक ने ₹1224.42 करोड़ तक का व्यापार लाभ कमाया। 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश आय ₹5681.76 करोड़ की तुलना में ₹5736.41 करोड़ रही जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 0.96% की आंशिक वृद्धि दर्ज हुई।

6.TREASURY & INTERNATIONAL

Bank has been performing its Treasury & Investment Operations by keeping track of the macroeconomic scenario and market developments in accordance with the regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time as also the Bank's Corporate Investment Policy approved by the Board of Directors. In the changed scenario where state of the art technology is providing cutting edge in Treasury & Risk Management, Bank has also embarked upon globally deployable Integrated Treasury Management Solution for an effective and efficient way to optimize resource utilization and maximize returns on investment and trading.

The aggregate Domestic Investment declined by 11.76%from ₹82361 crores as on 31.03.2016 to ₹72628 crores as on 31.03.2017. Non SLR Investment (Domestic) grew marginally by 0.41% from ₹12655 crores as on 31.03.2016 to ₹12707 crores as on 31.03.2017. SLR Investment declined by 14.04% from ₹69706 crores as on 31.03.2016 to ₹59921 crores as on 31.03.2017. All efforts were made to maximise profits through treasury operations. During the year ended 31.03.2017, bank earned Profit from Investment Operations amounting to ₹7507.47 crore vis-à-vis ₹6565.18 crore during the ended 31.03.2016 thereby registering an increase of 14.35% y-o-y.

During FY 2016-17 Bank negotiated 174 number of export bills amounting ₹534.94 crore and facilitated payment aggregating ₹7447 crore comprising 10000 number of bills under collection and advance payment category.

Bank clocked Trading Profit to the tune of ₹1224.42 crores. Income from Investment during the year ended 31.03.2017 was ₹5736.41 Crore vis-à-vis ₹5681.76 Crore thereby registering a marginal increase of 0.96% on y-o-y basis.

6.1 निर्यात वित्त :

भारत भर में स्थित 65 'बी श्रेणी की शाखाओं के साथ यूको बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों की जरूरतें पूरी करने के लिए कटिबद्ध है। मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेन्ट कारोबार ₹34,174 करोड़ का था जो पिछले वर्ष की तुलना में 47.94% कम है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति को हमारे बैंक का निर्यात ऋण बकाया ₹2,133.95 करोड़ का है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति की अपेक्षा 9.09% की गिरावट दर्ज की गई है।

फरवरी, 2012 से 'यूको बैंक भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक की अनिवार्यता के अनुसार "रुपया भुगतान प्रणाली" के अंतर्गत ईरान के साथ द्विपक्षीय बैंकिंग व्यापार लेन-लेन सुलभ करा रहा है जिससे भारतीय निर्यातकों को ईरान को अनुमत वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में सुविधा होती है।

7. सामाजिक बैंकिंग:

7.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम:

बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवाएँ देता रहा है।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम ₹56177 करोड़ के रहे जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.53% थे।

7.1.1 कृषि को अग्रिम:

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹20092 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 14.85% है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹12232 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 9.04% है।

7.1.2 सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई):

बैंक देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका तथा देश में रोज़गार अवसरों को उत्पन्न करने में उससे मिलनेवाले सहयोग को स्वीकारता है। दिनांक 31.03.2017 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम(एमएसई) के तहत दिए गए अग्रिम ₹22691 करोड़ तथा 31 मार्च, 2017 को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) के तहत दिए गए अग्रिम ₹26154 करोड़ के रहे।

7.1.2.1 सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उद्यम(एमएसएमई) के तहत पहल:

- एमएसई इकाइयों के वित्तपोषण हेतु कार्यशील पूँजी सीमा के संशोधित दिशानिर्देशों में उसे अनुमानित वार्षिक बिक्री राशि के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। जो एमएसएमई इकाइयाँ अपने ग्राहकों से डिजिटल लेन-देन करती हैं उनको स्वीकृत की जानेवाली कार्यशील पूँजी सीमाओं के आकलन में उन्हें बिक्री राशि के 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है।
- सभी विद्यमान मानक और संतोषजनक खातों में, मौजूदा एमएसएमई उधार इकाई में 15% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। इस पहल से 'विमुद्रीकरण अभियान के चलते अस्थायी नकदी कमी से उबरने में उधारकर्ताओं को मदद मिलेगी।
- हथकरघा बुनकरों के लिए 'यूको बुनकर ऋण योजना' नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिससे उनको अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यूको एम-बैंकिंग में पीएमएमवाई एप्लीकेशन मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है। अब संभाव्य उधारकर्ता यूको एम-बैंकिंग के जरिए मुद्रा ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

6.1. Export Finance:

With 65 'B' Category Branches across India, UCO Bank is committed to actively cater to the needs of its Exporters. Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended March, 2017 stood at ₹34,174 crore which is 47.94% lower than previous year. Bank's Export Credit outstanding as on 31st March, 2017 is ₹2,133.95 crore, registering a decline of 9.09% over 31st March, 2016.

'UCO Bank' has been facilitating Bi-lateral Banking Trade Transactions with Iran under "Rupee Payment Mechanism" since Feb, 2012 as mandated by Govt. of India/RBI, there by facilitating Indian Exporters, exporting permissible goods and services to Iran.

7. SOCIAL BANKING

7.1. Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2017, the Priority Sector Advances of the Bank stood at Rs.56177 crore constituting 41.53% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

7.1.1. Agriculture Advances:

Total Agriculture Advances of the Bank stood at Rs.20092 crore constituting 14.85% of ANBC. Direct Agriculture stood at ₹12232 crore constituting 9.04% of ANBC.

7.1.2. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):

Bank recognizes the important role of MSME in the economic development of the Country which is also supporting in generating employment opportunities in the Country. The advances under Micro & Small Enterprises (MSE) as on 31.03.2017 stood at ₹22691 crore and under Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), the advances are ₹26154 crore as of 31.03.2017.

7.1.2.1. INITIATIVES UNDER MSME:

- Revised guidelines for Working Capital limit for financing MSE units has been enhanced from 20% of projected annual sales to 25% of projected annual sales. The assessment of Working Capital limits sanctioned to MSME units that transact digitally with their customers has been enhanced from 20% of projected sales to 30% of projected sales.
- 15% additional working capital limit in existing MSME borrowal units is granted, in all existing standard & satisfactory accounts. This initiative will help the borrowers to tide over the temporary cash crunch arising out of the 'Demonetization initiative'.
- Launched a new scheme, 'UCO BunkarRinnYojana' for financing handloom weavers. This will help the handloom weavers to expand their business.
- A PMMY application module has been operationalized in UCO M-Banking. The prospective borrowers may now apply for MUDRA loans through UCO M-Banking.

- यूको बैंक वेबसाइट/पोर्टल पर एक एमएसई एप्लीकेशन मॉड्यूल सक्रिय किया गया है। संभाव्य उधारकर्ता यूको बैंक वेबसाइट के जरिए एमएसई ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

7.1.3 कमजोर वर्गों को ऋण:

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया अग्रिम ₹12942 करोड़ का रहा, जो समायोजित नेट बैंक ऋण का 9.57% है।

7.1.4 अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण:

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय अग्रिम ₹7525 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 13.40% है।

7.2 अनूठी योजनाएं:

बैंक की दो अनूठी योजनाएँ हैं – (1) "यूको उत्थान" – अपनाए गए गांवों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के उत्थान के लिए तथा (2) "यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना" – समग्र विकास के लिए गाँवों को अपनाना।

7.2.1 यूको उत्थान योजना : गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सामाजिक-सह-वित्तीय उत्थान योजना

योजनांतर्गत जिन गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार बड़ी संख्या में हैं उनको बैंक अपनी निकटतम शाखा के माध्यम से अपनाता है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाया जा सके और गाँवों में समग्रत: परिवर्तन लाया जा सके। इस योजना में शिक्षा, ग्रामीण आवास हेतु वित्तपोषण, स्वयंसेवी समूहों का गठन एवं सूक्ष्म वित्तीयन, हस्तकला एवं ग्रामीण हस्तशिल्पियों का विकास, जैसे क्षेत्रों को शामिल कर, ग्रामवासियों की एक समग्र विकास योजना बनाकर उस पर कार्रवाई की जाती है तथा डीआरआई योजना के तहत वित्त प्रदान किया जाता है।

बैंक ने 10 राज्यों, यानी असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यूको उत्थान योजना के तहत 21 गाँवों को अपनाया है।

बैंक ने इन गाँवों में बहुत से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपनी आजीविका बेहतर बनाने, अपनी आय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

इन प्रयासों से ऐसे 21 गाँवों के 2497 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता के द्वारा बेहतर ढंग से अपनी आजीविका अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। गरीबी रेखा से नीचे के ये परिवार डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, पान की खेती, शाक सब्जी उगाना, साइकिल मरम्मत, जूता मरम्मत, फल बेचना, किराना दुकान, चाय का स्टॉल लगाना, बीड़ी बनाना, ट्रॉली चलाना, मिस्त्री का कारोबार आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर आय अर्जन कर रहे हैं।

7.2.2 यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना – गाँव के समग्र विकास के लिए

बैंक ने 6 राज्यों, यथा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 गांवों को उनके समग्र विकास के लिए यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत अपनाया है।

इन गाँवों में बैंक ने ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, उन्हें वित्तीय सहयोग दिया है तथा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों की भी शुरूआत की है। वित्तीय सहयोग के अंतर्गत बैंक ने छोटे व्यापारियों को जनरल केडिट कार्ड (जीसीसी), हस्तशिल्पियों को आर्टिसन केडिट कार्ड (एसीसी), किसानों को किसान केडिट कार्ड(केसीसी), स्वयं सहायता समूहों को ऋण,

- An MSE application module has been made active in UCO Bank website/portal. The prospective borrowers can apply MSE loans through UCO Bank website.

7.1.3. Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at Rs.12942 crore as of 31st March, 2017 constituting 9.57% of ANBC.

7.1.4. Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank as on 31.03.2017 stood at ₹7525 crore constituting 13.40% of Priority Sector Advances.

7.2. Unique Schemes:

The Bank has two unique schemes - (1) "UCO Uthaan" for upliftment of BPL families of adopted villages & (2) "UCO SamagraGraminVikasYojna" - Adoption of villages for all-round development.

7.2.1. UCO Uthaan Scheme: Social-cum-Financial upliftment scheme for BPL families

Under the Scheme, villages having large number of BPL families are adopted by the Bank through its nearest branch to bring the BPL families out of the clutches of poverty and tobring about a holistic change in the villages. Under the scheme, a holistic development plan of the villages is drawn and followed up for covering areas like education, financing for rural housing, formation of SHG and micro-financing, development of handicrafts & rural artisans and extending finance under DRI Scheme.

The Bank has adopted 21 villages in 10 states i.e. Assam, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh & West Bengal under UCO Uthaan Scheme.

Bank has conducted several financial literacy camps in these villages and has provided financial assistance particularly to BPL families to improve their livelihood, to generate more income so that they come above poverty line.

By these efforts, 2497 BPL families, in these 21 adopted villages, have been provided with credit assistance by Bank to uplift their livelihood in better way during last 3 years. These BPL families are generating their income by adopting several activities like dairy farming, goat farming, betel leaf cultivation, vegetable growing, cycle repairing, shoe mending, fruit vending, grocery shop, tea stall, beedi making, trolley plying, mason jobs etc.

7.2.2. UCO SamagraGraminVikasYojna : For all-round development of villages

The Bank has adopted 10 villages in 6 states i.e. Gujarat, Himachal Pradesh, Odisha, Kerala, Uttar Pradesh & West Bengal for its all-round development under UCO Samagragramin VikasYojna.

In these villages, Bank has conducted financial literacy camps to educate the villagers, extended financial support to them and has also initiated developmental activities under Corporate Social Responsibility. Under financial assistance, Bank has given General Credit Cards (GCC) to small traders, Artisan Credit Cards (ACC) to artisans, Kisan Credit Cards (KCC) to farmers, loan to

पशुपालन गतिविधियाँ करने के लिए ऋण, महिला एवं अजा / अजजा हिताधिकारियों को ऋण प्रदान किए हैं। कई छोटे व्यापारियों ने बैंक ऋण की सहायता से खुद का कारोबार शुरूकर दिया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा बैंक ने विभिन्न स्कूलों को सीलिंग पंखे, वाटर प्यूरिफायर, स्कूल के पुस्तकालय के लिए स्टील की अलमारी, किताबें, स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म दिए हैं, गांवों में पीने के पानी के लिए हैंड पंप लगवाने, गांवों में सड़कों पर सौर लाइट लगवाने, पक्की सड़क बनवाने के काम किए हैं।

बैंक ने उपर्युक्त 10 गांवों में से दो बैंक सेवा रहित गांवों के ग्रामवासियों को मोबाइल वैन के जरिए दरवाजे तक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की हैं। यह वैन सप्ताह के दौरान किसी पूर्व निर्धारित दिन और समय पर इन दो गांवों में आती है और ग्रामवासियों को उनके दरवाजे पर सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस पहल के कारण ग्रामवासियों की बचत करने की आदत बढ़ी है। इन वैनों के माध्यम से ग्रामवासी वित्तीय रूप से शिक्षित भी हो रहे हैं।

इन गतिविधियों से अपनाए गए गांवों में समग्रत: विकास हो रहा है और ग्रामवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है।

SHGs, loan for doing animal husbandry activities, loan to women & SC/ST beneficiaries. Many small traders have started their own business with the support of Bank loan.Through CSR activities, Bank has given Ceiling Fans, Water purifiers to different schools, Steel Almirahs, Books for school library, School uniform for school going children, installation of hand pumps for drinking water in the villages, installation of Solar street lights in the villages, construction of metallic road.

In two villages, out of above 10 villages, Bank has provided doorstep banking facilities to the villagers of these unbanked villages through Mobile Van. The Van visits these two villages on a predetermined day and time during the week and provides all types of banking facilities to the villagers at their doorstep. There has been increase in the saving habits of the villagers due to this initiative. Through these vans, villagers are also being financially educated.

By these activities, there is an all-round development in the adopted villages and the villagers are very much benefitted.

8. वित्तीय समावेशन:

भारत 6 लाख से अधिक गांवों का देश है जहाँ बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं रहा है। 28 अगस्त, 2014 को प्रारंभ की गई भारत सरकार की अभियान-स्वरूप परियोजना "पीएम जन धन योजना" का उद्देश्य वंचित जनसमूह को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत लाकर उसका सक्रिय हिस्सा बनाना है, ऐसे लोगों में बचत करने की आदत विकसित करनी है जो अब तक आर्थिक मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सके हैं और गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की ऋण जरूरतों पर ध्यान देकर उधार देनेवाले साहूकारों की बेईमानी को समाप्त करना है। ऐसी स्थितियों में बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 57.21 लाख से ज्यादा खाते खोलकर उनमें ₹1263 करोड़ की राशि जुटाई है।

8.FINANCIAL INCLUSION:

India is a country of more than 6 lakh villages wherein providing banking facility has been a challenge. Govt. of India's mission mode project "PM Jan DhanYojna", launched on 28th Aug, 2014, aims to bring excluded masses under the umbrella of structured banking system, to inculcate the habit of saving among the people who are so far excluded from the economic mainstream and thereby to eliminate the dishonest practices of money lenders by catering to credit needs of people below poverty line. Rising to the occasion, Bank has opened more than 57.21 lakh accounts so far under PMJDY and mobilized ₹1263 crore in these accounts.

8.1 माइक्रो एटीएम - यूको सारथी

बैंक ने यूको सारथी नामक रुपे कार्ड लेन-देन समर्थित टैब आधारित माइक्रो एटीएम की शुरूआत की है जिसका इस्तेमाल विविध प्रकार की बैंकिंग सेवाएँ देने के लिए बीसी (बैंक मित्र) एजेंटों द्वारा किया जा रहा है। ये माइक्रो एटीएम व्यापक विस्तार में बैंकिंग सेवाएँ देने योग्य तैयार किए गए हैं जिनमें बैंक के ग्राहक को आरडी और एफडी ऑनलाइन खुलवाना, आधार समर्थित सेवाएँ, ई-केवाईसी; रूपे कार्ड पिन आधारित लेन-देन; मौजूदा ग्राहकों एवं अन्य नागरिकों, दोनों के लिए आईएमपीएस के जरिए तत्काल धन प्रेषण, मोबाइल रीचार्ज और अन्य बिल भुगतान; पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसे सूक्ष्म बीमा उत्पाद और एपीवाई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ शामिल हैं। माइक्रो एटीएम में आधार पंजीकरण, आधार मोबाइल अपडेट जैसी सेवाएँ जोड़ दी गई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान 3000 से ज्यादा माइक्रो एटीएम नियोजित किए हैं।

8.1 Micro ATM - UCO SARATHI

Bank has launched,"RuPay Card transaction enabled Tab based Micro ATM" called UCO SARATHI, which can be used by BC Agents (Bank Mitr) for offering a wide range of Banking Services. These Micro ATMs are equipped with plethora of banking services including Online opening of RD & FD to Bank's customer, Aadhaar enabled services, eKYC; RuPay Card PIN based transactions; real time Remittance through IMPS system for both existing and walk-in customers, mobile recharge and other bill payments; Micro Insurance products like PMJJBY & PMSBY and social security schemes like APY (Atal Pension Yojna). Services like Aadhaar Seeding, Aadhaar Mobile Update etc. are added to the Micro ATM. Deployment of Micro ATMs has crossed 3000 mark during the financial year.

8.2 पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई का कार्यान्वयन

अब तक बैंक सेवाओं से वंचित जनसमूह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के एजेंडे पर काम करते हुए बैंक ने बीमा और पेंशन उत्पादों जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का अपनी शाखाओं और बीसी नेटवर्क के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

निरंतर वित्तीय समावेशन के अंतर्गत किए जा रहे प्रयास धीरे-धीर रंग ला रहे हैं और बैंक ने इन गतिविधियों के माध्यम से मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। जहाँ शाखाओं का विरलीकरण, लेन-देन लागत की कमी और कासा आधार की वृद्धि

8.2 Implementation of PMJJBY and PMSBY:

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has successfully implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan MantriJeevanJyotiBimaYojna(PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network.

Gradually, efforts under Financial Inclusion are showing results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in

वित्तीय समावेशन परियोजना के अमूर्त लाभ रहे हैं; वहीं विविध उत्पादों के तहत अर्जित कमीशन के रूप में मूर्त लाभ भी प्राप्त हुए हैं।

पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत 4.81 लाख नामांकन किए गए हैं, वहीं पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत 11.03 से अधिक जीवन बीमा किए गए हैं। वर्ष के अंतर्गत कुल 1208 दावे पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत और 182 दावे पीएमएसबीवाई के अंतर्गत निपटाए गए।

वर्ष के अंतर्गत अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकनों का आंकड़ा 50000 पार कर चुका है। एपीवाई और डीबीटीएल के जरिए बैंक को क्रमश: ₹57 लाख और ₹1.99 करोड़ का कमीशन अर्जित हुआ है।

9. रिटेल बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने विभिन्न प्रतिस्पर्धी और प्रवर्तनकारी उत्पाद सृजित किए और मौजूदा आस्ति उत्पादों में भी कई बदलाव किए गए।

9.1 रिटेल आस्तियाँ

हमारा रिटेल ऋण संविभाग मार्च-2016 से 6.33% बढ़ा है। यूको आवास ऋण संविभाग मार्च-2016 से 6.99% तक बढ़ा है, यूको संपत्ति ऋण में मार्च-2016 से 30.50% की वृद्धि देखी गई है। यूको स्वर्ण ऋण संविभाग में मार्च-2016 से 19.30% की वृद्धि देखी गई है।

9.2 नई पहल

9.2.1 योजनागत रिटेल उधार:

बैंक ने अपने मौजूदा आवास ऋण ग्राहकों के लिए ब्याज पूँजीकरण योजना की शुरूआत की थी। निष्ठावान ग्राहकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा हमारे स्टाफ के लिए रियायती ब्याज दरें लाई गई हैं। बाजार जरूरतों के अनुरूप अन्य कई आस्ति उत्पादों में बदलाव किए गए। वित्तीय समावेशन विभाग ने वर्ष भर यूको आवास ऋण मुहिम आयोजित कर ₹850 करोड़ से भी अधिक राशि जुटाई।

बैंक ने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर शिक्षा ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग की शुरूआत की है। ₹7.5 लाख तक के स्वीकृत शिक्षा ऋणों की चूक के मामले में कवरेज देने के लिए शिक्षा ऋणों हेतु बैंक ने एक ऋण गारंटी निधि योजना कार्यान्वित की है। बिहार राज्य के विद्यार्थियों के लिए हमने बिहार विद्यार्थी केडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। आठ प्रीमियर शिक्षण संस्थानों के आकर्षक विशेषताओं के साथ सुपर प्रीमियर शिक्षा ऋण योजना प्रारंभ की गई। आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप यूको कौशल ऋण योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना था।

प्री-यूज़्ड कार ऋण योजना में कुछ बदलाव किए गए, खासकर उन उधारकर्ताओं के लिए जो प्रमाणित कार डीलरों जैसे मारूति ट्रू वैल्यू आदि से प्री-यूज़्ड कारें खरीद रहे हैं। योजना को और अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यूको कैश ऋण योजना में बदलाव किए गए हैं।

9.2.2 अन्य पहल

बैंक ने संबंधित मोबाइल ऐप पर उड़ानों, होटलों की बुकिंग पर अपने ग्राहकों को तत्काल छूट की पेशकश करने के लिए क्लियरट्रिप.कॉम एवं यात्रा.कॉम के साथ गठजोड़ किया। गोईबीबो.कॉम के साथ संयुक्त रूप से आकर्षक छूटों और शून्य सुविधा शुल्क पर यूको मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुकिंग की शुरूआत की गई। हमारे बैंक ने अफिलियेट मर्चेन्ट प्रोग्राम के लिए बिज़ साइंसेज़ के साथ गठजोड़ किया है जिसमें बैंक के वॉलेट यूको पे का उपयोग करने पर ग्राहकों

CASA base are intangible benefits of FI Project; tangible benefits have come in the form of commission earned under various products.

Under PMJJBY scheme, there are 4.81 lac subscribers, whereas under PMSBY scheme more than 11.03 lac people are insured. During the year a total of 1208 claims were settled under PMJJBY and 182 under PMSBY.

Total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 51000 during the year. Through APY and DBTL, bank has earned a commission of ₹57 lac and ₹1.99 crore respectively.

9 . RETAIL BANKING:

During the FY 2016-17, Bank came out with various competitive and innovative products and also several modifications were done in existing asset products.

9.1 RETAIL ASSETS

Our retail loan portfolio has grown 6.33% over March-16. UCO Home loan portfolio has grown by 6.99% over March-16, UCO Property loan has witnessed growth of 30.50% over March-16. UCO GOLD LOAN portfolio has witnessed a growth of 19.30% over March-16.

9.2 New Initiatives:

9.2.1 Schematic Retail Lending:

Bank had introducedInterest capitalization scheme for our existing Home Loan customers. Concessional rates of interest for loyal customers, PSU employees, central & state government employees and our staff has been introduced. Several otherasset products were modified in line with market requirements. Department organized UCO HOME LOAN CAMPAIGNS throughout the year and mobilised over ₹850 Cr.

The bank has begun processing Education Loan applications on Vidhya Lakshmi portal. Bank has implemented Credit Guarantee fund Scheme for Education Loans for coverage of education loans sanctioned up to ₹7.5 lac in case of default. We have launched Bihar Student Credit Card Scheme for the students of Bihar state. Super Premier Education Loan Scheme with attractive features was launched for admission in eight premier educational institutes. UCO Skill Loan Scheme was launched in line with IBA guidelines to promote ambitious skill development programme of Government of India.

Modifications were made in Pre-used Car Loan Scheme, especially for those borrowers who are purchasing pre used cars from certified car dealer's viz. Maruti true value etc. Modifications under UCO Cash Loan Scheme have been made to make the scheme more attractive & competitive.

9.2.2. Other initiatives

Our Bank tied up with Cleartrip.com and Yatra.com to offer instant discounts to our customers on bookings of flights, hotels etc. on their respective mobile apps. Ticket booking through UCO MOBILE App had been introduced with attractive discounts & zero convenience fee in association with Goibibo.com. Our Bank tied up with Biz sciences for affiliate merchant programme in which offers of Amazon,

को अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि की ओर से प्रस्तावों की पेशकश की जाएगी।

हमारे ग्राहकों हेतु विशेष छूट की पेशकश के लिए हमारे बैंक ने फ्रीचार्ज के साथ गठजोड़ किया। हमारे बैंक के लॉयल्टी प्रोग्राम में 60000 से भी अधिक ग्राहक पंजीकृत हैं तथा विमुद्रीकरण के कारण पिछली तिमाही में हमारे पीओएस/ईपीओएस दोगुने हो गए हैं।

9.3. बैंकाश्योरेंस

वर्तमान में बैंक कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का कारपोरेट एजेंट है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने नई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री से ₹30.60 करोड़ का प्रथम प्रीमियम जुटाया। गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में हमारा बैंक रिलाएंस जनरल इंश्योरेस कंपनी लि. के उत्पादों की बिक्री के लिए उसका कारपोरेट एजेंट है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने जनरल बीमा कारोबार में ₹30.23 करोड़ का प्रीमियम जुटाया।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने मेसर्स फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्युरेंस कंपनी लि. और मेसर्स लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्युरेंस कंपनी लि. के उत्पाद अपनी शाखाओं में बेचने के लिए 01 अप्रैल, 2017 से उनके साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत गठजोड़ किया। अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त कंपनियों के साथ ही रिलाएंस जनरल इंश्योरेस कंपनी लि. के उत्पाद हमारे ग्राहकों की बीमा जरूरतों की पूर्ति करते हुए उनको अलग-अलग तरह के बीमा उत्पाद उपलब्ध कराएंगे।

कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेस लि. के साथ गठजोड़ समझौते के तहत, समूह केडिट बीमा योजना के प्रयोजन से बैंक ने लगभग 9000 आवास शिक्षा एवं रिटेल ऋण उधारकर्ताओं के जीवन के जोखिम का कवरेज किया।
बैंक ने काफी संख्या में ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति (एसपी) तैयार किए हैं जो बैंक के लिए बैंकाश्युरेंस कारोबार जुटाने हेतु देश भर की विभिन्न शाखाओं में पदस्थपित हैं। ये विनिर्दिष्ट अधिकारी भारतीय नियमन एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विधिवत प्रशिक्षित एवं प्रमाणित हैं।

10. वसूली:

पिछले तीन वर्षों से बैंकिंग उद्योग में अनर्जक आस्ति (एनपीए) का बढ़ता चलन बैंक के लिए चिंता का विषय है। हमारे बैंक का सकल एनपीए स्तर मार्च, 2016 के 15.43% से बढ़कर मार्च, 2017 में 17.12% हो गया है और जीएनपीए की मात्रा भी क्रमश: ₹20907.73 करोड़ से बढ़कर ₹22540.95 करोड़ हो गई है। परंतु एनएनपीए पिछले वर्ष के 9.09% से घटकर इस वर्ष 8.94% रह गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ₹9909.28 करोड़ की नई एनपीए गिरावट का साक्षी रहा है। नकद वसूली पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़कर ₹2038.66 करोड़ की हुई है। एनपीए में समग्र कटौती वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹4299.67 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹8276.05 करोड़ की रही है। बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना और खराब ऋणों की वसूली ही वह क्षेत्र है जिस पर बैंक का पूरा ध्यान है।

10.1 वसूली कार्यनिष्पादन:

संगठन के सभी स्तरों पर संशोधित समझौता निपटान योजना, सरफेसी अधिनियम, डीआरटी एवं लोक अदालत आदि से लाभ लेने के लिए बैंक के वसूली तंत्र को पूरी तरह तैयार किया गया है। देशव्यापी स्तर पर बड़े वसूली कैंप, रोड शो, एमएओ अभियान, जानबूझकर चूककर्ताओं की घोषणा आदि द्वारा वसूली में तेजी लाने के प्रयास किए गए। अंचल कार्यालय स्तर पर कॉल सेंटरों के गठन तथा अन्य सभी कार्यनीतियों के फलस्वरूप संकटग्रस्त खातों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई में मजबूती आई है।

Flipkart etc. would be offered to customers for using bank's wallet UCO Pay.

Our Bank tied up with freecharge, to offer special discounts to our customers. We have more than 60000 customers registered on our Bank's loyalty programme and our POS/ ePOS transactions have doubled in the last quarter due to demonetization.

9.3 Bancassurance:

At present, our Bank is Corporate Agent for Life Insurance Corporation of India (LICI) for Life Insurance business under Corporate Agency tie-up arrangements. During FY 2016-17, Bank canvassed ₹30.60 crore of First Premium by selling new Life Insurance policies. In General Insurance Business our Bank is Corporate Agent for selling the products of Reliance General Insurance Company Ltd. During the Financial Year, Bank canvassed ₹30.23 crore premium in General Insurance Business.

Besides, Bank had tied up with M/S Future Generali India Insurance Company ltd & b) M/S Liberty Videocon General Insurance Company Ltd during the Financial Year under Corporate Agency tie up arrangements for selling their products at our Branches from 1st April'2017 onwards. Reliance General Insurance Company Ltd, along with the above mentioned companies are expected to provide wide choice of Insurance products to our customers to meet their insurance needs.

Under tie up agreement with Kotak Mahindra Life Insurance ltd, for Group Credit Life Insurance, Bank covered life risk of about 9,000 Home, Education and Retail Loan borrowers.

Bank created good number of Specified Persons (SPs), who are posted at different Branches across the Country for generating bancassurance business for the Bank. These Specified Officers are duly trained and certified by Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI).

10.RECOVERY:

The increasing trend of NPAs in the Banking Industry over last three years has become a concern for the bank. Gross NPA level of our bank increased from 15.43% in March 2016 to 17.12% in March 2017 and the quantum of GNPAs has increased from Rs.20907.73 crore to ₹22540.95 crore respectively. However, NNPA percentage decreased to 8.94% from 9.09% of previous year.

During the FY 2016-17 the bank has witnessed fresh slippages of Rs.9909.28 crore. Cash recovery has increased over the previous year to ₹2038.66 crore. The overall reduction in NPA during the FY 2016-17 is ₹8276.05 crore over ₹4299.67 crore in FY 2015-16. Maintaining Bank's asset quality and recovery of bad debts remain the focus area for the bank.

10.1. Recovery Performance:

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization to take advantage of modified compromise settlement scheme, SARFAESI Act, DRTs and LokAdalat. Country-wide mega recovery camps, Road shows, MAO campaigns, declaration of willful defaulters etc. were organized for speedy recovery. All other strategies and action of setting up call centers at Zonal Offices have also strengthened the follow up mechanism in stressed accounts.

विगत तीन वर्षों के लिए नकद वसूली तथा कोटि उन्नयन के ब्योरे निम्नलिखित हैं :
The details of Cash Recovery and up gradation for the last three Years are as under :

(**₹ करोड़ में / In ₹ Crores**)

विवरण **Particulars**	**31.03.2016**	**31.03.2017**
नकद वसूली/Cash Recovery	1369	2038.66
कोटि उन्नयन/Up gradation	1358	4300.45
कुल /Total	2727	6339.11
हानिग्रस्त आस्तियों में वसूली (एमएल एवं तकनीकी राइट ऑफ खाते) Recovery in Loss Assets (ML & Tech W/off accounts)	131	139.81

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ₹2726.44 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल नकदी वसूली एवं अपग्रेडेशन ₹6339.11 करोड़ का रहा है। बट्टे खाता डाले गए खातों में वसूली पिछले वर्ष के ₹131 करोड़ की तुलना में मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹139.81 करोड़ की हुई है।

हानिग्रस्त आस्ति में वसूली होने से लाभप्रदता पर उसका सीधा असर पड़ता है और इसे देखते हुए बैंक ऐसे खातों में वसूली की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। हानिग्रस्त आस्तियों के साथ-साथ तकनीकी एवं विवेकसम्मत रूप से बट्टे-खाता डाले गए खातों में वसूली के लिए बैंक में एक अलग प्रकोष्ठ लगातार मानीटरिंग कर रहा है।

10.2 **कुछ वसूली पहल:**

एनपीए की निगरानी के लिए एनपीए संविभाग का एबीसी विश्लेषण किया जाता है। एनपीए की वसूली और उसको अपग्रेड करने के प्रयास किए गए, खास तौर से नए उत्पन्न हुए एनपीए पर ध्यान दिया गया जिनमें तत्काल वसूली की गुंजाइश बेहतर होती है। ₹10 लाख बकाया वाले एनपीए उधार खातों की संशोधित समझौता निपटान योजना के तहत एकबारगी समझौते के लिए मेगा वसूली एवं ओटीएस शिविर आयोजित किए गए। बैंक के बकाया की वसूली हेतु सेगमेंटवार एवं खाताविशिष्ट कार्रवाई शुरूकरने के लिए प्रत्येक खाते का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है। वसूली प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने के लिए उच्च कार्यपालकों को बड़े मूल्य के एनपीए खातों की जिम्मेदारी दी गई है। अंचल कार्यालय की समर्पित वसूली टीमें उच्च एनपीए शाखाओं में जा रही हैं और वसूली शिविर आयोजित कर रही हैं ताकि जल्द समझौता करने के लिए उधारकर्ताओं/ गारंटीकर्ताओं को सुविधाएँ दी जा सकें। प्रत्येक माह प्रत्येक अंचल में दो से पांच उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करके एमएओ पहल की जाती है।

सरफेसी कार्रवाई एवं डीआरटी/सिविल कोर्ट के पास वसूली वाद दायर करने की कार्रवाई समय से शुरू की जाती है। निर्णय आने से पहले प्रमोटरों/गारंटीकर्ताओं के पासपोर्टों की ज़ब्ती तथा उनकी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की कुर्की के लिए जब भी जरूरी लगे, डीआरटी से संपर्क किया जाता है। उच्च मूल्य के एनपीए में उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं की अभारित व्यक्तिगत आस्तियों का पता लगाने के लिए जासूसी एजेंसियों की सेवाएँ ली जाती हैं।

नियतावधि पर संपत्तियों का मेगा ई-ऑक्शन कराया जा रहा है। वाहन कुर्की नीति कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए विशेषज्ञ वाहन कुर्की एजेंटों की सेवाएँ ली जाती हैं। आम जनता के सूचनार्थ बैंक की वेबसाइट पर बैंक के घोषित आदतन चूककर्ताओं की सूची अपलोड की गई है। अन्य कुछ कदम हैं, सीडीआर का कार्यान्वयन, एसडीआर, एस4ए (संकटग्रस्त आस्तियों की सतत पुनर्संरचना योजना), लचीली पुनर्संरचना योजना (5:25), एसडीआर के अलावा सभी अन्य पात्र खातों के प्रबंधन में परिवर्तन आदि।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2017 is ₹6339.11 crores as against ₹2726.44 crores for the year ended 31st March, 2016. The recovery in written off accounts is ₹139.81crores for the year ending March, 2017 compared to Rs.131 crore for the previous year.

Recovery in loss assets has a direct bearing on the profitability and the bank is giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts. A separate vertical in the bank is monitoring consistently for recovery in loss assets including technically as well as prudentially written off accounts.

10.2. Some Recovery initiatives:

ABC Analysis of NPA Portfolio is done to monitor NPAs. Efforts were also made to recover & upgrade NPAs, particularly focusing on freshly generated NPAs wherein immediate scope of recovery is better. Mega Recovery camps and OTS camps for one-time settlement under Modified Compromise Settlement for NPA borrowal accounts with outstanding ₹10.00 Lac were conducted. Critical examination of each NPA Account is done for initiation of segment wise and account specific action for recovery of Bank's dues. High value NPA accounts were assigned to top executives, for close monitoring of recovery process. Zonal level dedicated recovery teams are visiting high NPA branches and conducting Recovery camps so as to facilitate borrowers/guarantors for early settlement. MAO approach for two to five NPA borrowers has been focused in every Zone every month.

Initiation of timely SARFAESI Action & filing of Recovery Suit with DRT/Civil Courts are done. DRT is approached, wherever felt necessary, for impounding of Passports of the promoters/ guarantors of NPA borrowal entities, as well as attachment of their personal assets before judgement. Engagement of Detective Agencies to locate uncharged personal assets of borrowers/ guarantors in high value NPAs.

Mega E-auction of properties is being conducted periodically. Vehicle seizure policy is being implemented and Specialized Vehicle Seizure Recovery Agents are utilized. The list of Wilful Defaulters declared by the bank has been uploaded on bank's website for information to the general public. Other steps include, implementation of CDR, invoking SDR, S4A (Scheme for sustainable restructuring of stressed assets), Flexible Restructuring Scheme (5:25), Change of management in A/Cs outside SDR etc.

11. ऋण निगरानी

अर्थ-क्षेत्र में लगातार चल रही अस्थिरता और अनिश्चितता ने बैंकिंग उद्योग में ऋणों को बड़ी तादाद में खराब कर दिया है। ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारी करते हुए बैंक ने निम्नांकित कदम उठाए हैं:

1) बैंक ने 'ऋण धोखाधड़ी से निपटने का ढाँचा' पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदशों के अनुसार खतरे के पूर्व चेतावनी संकेत जाने जानेवाले ट्रिगरों पर आधारित लाल चिह्नित खातों (आरएफए) को पहचानने का ढाँचा लागू किया है। इससे खाते को आरएफए ऋण में अंकित किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि में पहचान लिया जाता है कि खाते में कपट हुआ है या नहीं।

2) एमएसएमई क्षेत्रों मे तीव्र दबाव को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम(एमएसएमई) के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास का ढांचा तैयार कर इन क्षेत्रों के अंतर्गत दबावग्रस्त आस्ति के समाधान हेतु लागू किया गया है।

3) दबावग्रस्त आस्ति के समाधान की विविध योजनाओं, जैसे एस4ए, एसडीआर, लचीली संरचना आदि को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत संशोधित कर लागू किया गया है।

4) अनियमित और अनर्जक (एनपीए) उधार खातों के बेहतर प्रबंधन के लिए 'होल्डिंग ऑन ऑपरेान' की अनुमति देने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी में संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा मूलभूत स्तर पर निगरानी के काम को और बेहतर बनाने के लिए विभाग द्वारा की गई पहल में शामिल हैं:

1) निदेशक मंडल से अनुमोदन लेकर दिनांक 17.10.2016 से ऋण निगरानी के परिचालन दिशानिर्देशों को अद्यतन कर लागू किया गया है।
2) भारतीय बैंक संघ के सुझावों पर आधारित 'मूल्यांककों को सूचीबद्ध करने की नीति दिनांक 30.06.2016 को संशोधित कर लागू की गई है।
3) कार्यक्षेत्र में सक्रिय कार्मिकों से मिल रही प्रतिक्रिया और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर 2016-17 के दौरान प्रभावी ऋण निगरानी पर 25 (पच्चीस) परिपत्र जारी किए गए।
4) दबावग्रस्त कारपोरेट उधारकर्ताओं के साथ उच्च प्रबंधन की बठक आयोजित की जाती है।

12. जोखिम प्रबंधन

तीव्र तरलता दबाव की स्थिति का सामना करने के लिए बैंक की अल्पकालिक नम्यता के आकलन के लिए तरलता कवरेज अनुपात के आंकड़े शेधित एमआईएस में उपलब्ध कराए गए हैं। नियमनकारी सीआरएआर को बनाए रखने की बैंक की योग्यता पर एमटीएम हानियों जैसे दबाव घटकों के प्रभाव, बैंकिंग बुक पर ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) एवं एनपीए के स्तर के प्रभाव की पहचान करने के लिए प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण प्रयोगों को अपनाया जाता है। एम-ड्युरेशन एवं पीवी 01 की गणना को कोष प्रणालियों (यानी आईटीएमएस) में कस्टमाइज़ किया गया है। परिचालन जोखिम संबंधी हानि डाटा को तिमाही आधार पर कॉर्डेक्स के साथ साझा किया जाता है। बैंक ने सिबिल के अतिरिक्त सीआरआईएफ हाई मार्क केडिट इन्फरमेशन कंपनी (सीआईसी) की भी सेवाएँ लेना शुरू कर दिया है ताकि उधारकर्ताओं पर ऋण सूचना प्राप्त की जा सके। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल फ्राड रजिस्ट्री(सीएफआर) का उपयोग भी शुरू किया है जिसमें ₹1.00 लाख और उससे अधिक के कपट से संबंधित वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट की गई सूचनाएँ निहित हैं। बासेल-III के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋणों एवं अग्रिमों हेतु जोखिम भारित आस्तियों के आकलन के लिए फिनैकल सिस्टम से डाटा निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। चौबीसों घंटे सक्रिय साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) चालू किया गया है। साइबर घटनाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग/ विश्लेषण के लिए सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) वेब फायरवॉल

11.CREDIT MONITORING

Continued volatility and uncertainty in the economic situation has accentuated upsurge of bad loans in the banking industry. However bank has geared up in tackling the situation by initiating measures as under.

1. Bank has put in place framework for identification of Red Flagged Account (RFA) based on the triggers known as Early Warning Signals as per the RBI guidelines on "Framework for dealing with loan frauds" leading to the identification of the account as fraud or not within the period of six months from date of marking the account as RFA.
2. Considering severe stress in MSME sectors, ' Framework for revival and rehabilitation of Micro, Small, and Medium Enterprise(MSME)' formulated in terms of RBI guidelines has been put in place for resolution of stressed asset under these sectors,
3. Various schemes for resolution of stressed asset viz. S4A,SDR, Flexible Structuring etc have been duly revised in terms of RBI guidelines and put in place,
4. For better management of irregular &Non performing (NPA) borrowal accounts, revision in Delegated authority for allowing "Holding on Operation" has been effected.

Apart from the above, some of the other initiatives taken by the bank to improve the functioning at the grass root level include:

1. Operational guidelines for credit monitoring has been updated and put in place on 17.10.2016 after obtaining approval of the board.
2. 'Policy for empanelment of valuers' based on suggestions of IBA has been revised and put in place on 30.06.2016.
3. Based on feedback from the field functionaries and the guidelines from RBI , 25 (twenty five) no of circulars issued on effective credit monitoring during 2016-17
4. Meeting of the Corporate Borrower under stress are being arranged with Top Management.

12. RISK MANAGEMENT

Extraction of Data for Liquidity Coverage Ratio has been made available in MIS on a daily basis to assess Bank's short term resilience to survive acute liquidity stress conditions. Reverse stress testing exercises are conducted to identify the impact of stress events such as MTM losses, impact of interest rate risk on banking book (IRRBB) and level of NPAs on Bank's ability to maintain Regulatory CRAR. Computation of M-Duration and PV01 has been customized in the Treasury Systems (i.e. ITMS). Operational Risk related Loss Data is shared with CORDEx on quarterly basis. Bank has started using the services of CRIF High Mark Credit Information Company (CIC) in addition to CIBIL for pulling of credit information on borrowers. Bank has also made operational the usage of Central Fraud Registry (CFR) of RBI, which contains information pertaining to frauds of ₹1.00 lakh and above reported by commercial banks and select financial institutions. Process for deriving data from Finacle system for computation of Risk Weighted Assets (RWA) for Loans and Advances under Standardized Approach of BASEL - III has been initiated. 24x7 Cyber Security Operation Centre (SOC) has been operationalized. Security Operation Centre (SOC) is using tools such as Web firewall application (WAF), Advance persistent threat

एप्लीकेशन(डब्ल्यूएएफ), एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट प्रोटेक्शन(एपीटी), डाटाबेस एक्टिविटी मॉनीटरिंग (डीएएम), नेटवर्क बिहेवियर एनेलिसिस(एनबीए) और प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट(पीआईएम) जैसे टूल उपयोग में ला रहा है। साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए सीईआरटी-आईएन के साथ वीडियो कान्फरेंस की व्यवस्था की जा रही है। वेब आधारित शिक्षा सुलभ कराने के लिए यूको ऑनलाइन में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर परामर्श दिए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा घटनाओं की रोकथाम/रिपोर्टिंग के लिए आपातकाल प्रतिसाद दल भी गठित किया गया है।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों को प्रायोजित किया है, बिहार ग्रामीण बैंक (बीजीबी) जिसका मुख्यालय बेगूसराय, बिहार में है, एवं पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक(पीबीजीबी), जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। प्रत्येक बैंक के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 606 शाखाएं हैं।

13.1 क्षे.ग्रा. बैंकों की पूंजी की स्थिति

दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी संरचना ₹154.51 करोड़ (भारत सरकार), ₹108.16 करोड़ (यूको) और ₹46.35 करोड़ (पश्चिम बंगाल राज्य सरकार) की रही। इसी प्रकार, बिहार ग्रामीण बैंक में यह ₹109.07 करोड़ (भारत सरकार), ₹76.35 करोड़ (यूको) और ₹32.73 करोड़ (बिहार राज्य सरकार) रही।

13.2 वर्ष 2016-17 के दौरान क्षे.ग्रा.बैंकों के कार्यनिष्पादन

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक:

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार 31.03.2017 की स्थिति को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमा ₹4528.48 करोड़ की थी जिसमें 17.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 31.03.2017 की स्थिति को कुल अग्रिम ₹2224.52 करोड़ के रहे जिनमें वार्षिक वृद्धि 12.10 प्रतिशत की हुई। 31.03.2017 की स्थिति में सीडी अनुपात 31.03.2016 की स्थिति के 51.40% से घटकर 49.12% हो गया।

सकल अनर्जक आस्तियां दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के ₹155.86 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को ₹183.17 करोड़ की रहीं। सकल अग्रिम पर सकल अनर्जक आस्ति 31.03.2016 की स्थिति को मौजूद 7.85% से बढ़कर 31.03.2017 की स्थिति को 8.23% हो गई। इस बैंक का निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 31.03.2016 की स्थिति के 5.67% की अपेक्षा 31.03.2017 की स्थिति को 6.03% पर रहा।

पश्चिम बैंक ने 31.03.16 की स्थिति के ₹6.26 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 की स्थिति को ₹ 14.49 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जिससे संचयी हानि दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के ₹83.06 करोड़ से घटकर दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को ₹68.57 करोड़ रह गई।

बिहार ग्रामीण बैंक:

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार 31.03.2017 की स्थिति को इस बैंक की कुल जमा ₹4744.09 करोड़ की थी जिसमें 21.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 31.03.2017 की स्थिति को कुल अग्रिम ₹3203.51 करोड़ के रहे जिनमें वार्षिक वृद्धि 14.71 प्रतिशत की हुई। 31.03.2017 की स्थिति में सीडी अनुपात 31.03.2016 की स्थिति के 71.50% से घटकर 67.53% हो गया।

सकल अनर्जक आस्तियां दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के ₹222.91 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2017 की स्थिति को ₹247.86 करोड़ की रहीं। सकल अग्रिम पर सकल अनर्जक आस्ति 31.03.2016 की स्थिति को मौजूद 7.98 प्रतिशत से घटकर 31.03.2017 की स्थिति को 7.74 प्रतिशत रह गई। निवल अनर्जक आस्ति अनुपात भी 31.03.2016 की स्थिति के 6.93% से बढ़कर 31.03.2017 की स्थिति को 6.20% हो गया।

बिहार ग्रामीण बैंक ने 31.03.16 की स्थिति के ₹4.74 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 की स्थिति को ₹24.65 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

protection (APT), Database activity monitoring (DAM), Network behavior analysis (NBA) and Privilege identity Management (PIM) for effective monitoring / analyzing of Cyber Incidents. Video conferences are being arranged with CERT-IN for detailed analysis of Cyber Security Incidents. Advisories on cyber security incidents are being hosted in UCO Online for facilitating Web Based learning. Emergency response team has been formed for mitigation/reporting of cyber security incidents.

13.REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

UCO bank has sponsored two RRBs namely, Bihar Gramin Bank (BGB), head quartered at Begusarai, Bihar and PaschimBangaGramin Bank (PBGB) head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices each. The RRBs have a total of 606 branches as on 31.03.2017.

13.1. Capital position of RRBs

The total capital composition of PaschimBangaGramin Bank as on 31.03.2016 stood at ₹154.51 crore (Govt. of India), ₹108.16 crore (UCO) & ₹46.35 crore (West Bengal State Govt.). Similarly, for Bihar Gramin Bank, it stood at ₹109.07 Crore (Govt. of India), ₹76.35 crore (UCO) & ₹32.73 crore (Bihar State Govt.)

13.2. Performance of RRBs as under during 2016-17

PaschimBangaGramin Bank:

As per audited financial results, total deposit of PaschimBangaGramin bank stood at ₹4528.48 crore as on 31.03.2017, registering growth of 17.30 percent. Total advance reached a level of ₹2224.52 crore with an annual growth of 12.10 percent as of 31.03.17. CD ratio stood at 49.12% on 31.03.17 as against 51.40% on 31.03.2016.

The gross NPA stood at ₹183.17 crore as on 31.03.17 vis-à-vis ₹155.86 crore as on 31.03.2016. Gross NPA to Gross Advance stood at 8.23% as on 31.03.2017 as against 7.85% as of 31.03.2016. The net NPA ratio of the RRB stood at 6.03% as on 31.03.2017 as against 5.67% as of 31.03.2016.

Paschim Bank has recorded a net profit of ₹14.49 crore as on 31.03.2017 as compared to ₹6.26 crore as on 31.03.16, thereby reducing accumulated loss from ₹83.06 crore as on 31.03.2016 to ₹68.57 crore as on 31.03.2017.

Bihar Gramin Bank:

As per unaudited financial results, total deposit of Bihar Gramin bank stood at ₹4744.09 crore as on 31.03.2017, registering growth of 21.45 percent. Total advance reached a level of ₹3203.51 crore with an annual growth of 14.71 percent as of 31.03.17. CD ratio stood at 67.53% on 31.03.17 as against 71.50% as on 31.03.2016.

The gross NPA of the bank stood at ₹247.86 crore as on 31.03.17 vis-à-vis ₹222.91 crore as on 31.03.2016. Gross NPA to Gross Advance decreased from 7.98 percent as on 31.03.2016 to 7.74 percent as on 31.03.2017. The net NPA ratio has also decreased from 6.93% as on 31.03.2016 to 6.20% as on 31.03.2017.

Bihar Gramin Bank has recorded a net profit of ₹24.65 (unaudited) crore as on 31.03.2017 as compared to ₹4.74 crore as on 31.03.16.

14. सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीआर एवं बीटीडी:

14.1 आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास:

विभिन्न मॉड्यूलों, जैसे पीपएफ मॉड्यूल, ईसर्विस फोल्डर मॉड्युल, प्रशिक्षण कालेजों/केंद्रों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, एलएफसी/एलटीसी मॉड्यूल, सेवांत लाभ मॉड्यूल, आदि को मौजूदा एचआरएमएस पैकेज के साथ विकसित एवं एकीकृत कर उसे और बढ़ाया गया है। आंतरिक सॉफ्टवेयर विकास टीम ने एचआरएमएस एवं एमआईएस डैशबोर्ड का मोबाइल ऐप भी विकसित किया है।

एमआईएस डैशबोर्ड मोबाइल ऐप निर्णय लेनेवाले प्राधिकारियों को विभिन्न रिपोर्टे, कार्यनिष्पादन पैरामीटर, नीतियाँ, परिपत्र आदि तुरंत सुलभ कराता है।

एचआरएमएस पैकेज के मोबाइल ऐप (सिर्फ कर्मचारियों के लिए) में प्रोफाइल प्रबंधन, मासिक उपार्जन प्रतिपूर्ति अनुरोध, पीएफ विवरण, कर्मचारीवार खोज, सोल-वार खोज, ली गई छुट्टी, फिनैकल मेनू के संदर्भ, योजना कोड के संदर्भ, सोल-वार कारोबार रिपोर्ट, वेतन ब्योरा, हेल्पलाइन नंबर आदि शामिल हैं।

14.2 चेक ट्रंकेशन सिस्टम एवं एनएसीएच:

तीन ग्रिडों (उत्तरी ग्रिड – 20 केन्द्र, दक्षिणी ग्रिड – 62 केन्द्र और पश्चिमी ग्रिड – 23 केन्द्र) के अंतर्गत कुल 105 केन्द्र सीटीएस के तहत लाए गए। बैंक ने सीटीएस दक्षिणी ग्रिड के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अद्यतन किया है। बैंक अब एनएसीएच प्लेटफार्म पर एसीएच केडिट एवं एसीएच डेबिट पर सक्रिय है।

14.3 कोर बैंकिंग सिस्टम:

कार्य में सुधार एवं नियामक प्राधिकारियों द्वारा सामने लाई गई जरूरतें जरूरतें पूरी करने के लिए बैंक ने विभिन्न मॉड्यूल सफलतापूर्वक कार्यशिन्वत किए हैं, जैसे नकदी मूल्यवर्ग मॉड्यूल, केन्द्रीयकृत लॉकर किराया वसूली मॉड्यूल, केन्द्रीयकृत नकदी व्यवहार शुल्क वसूली मॉड्यूल, फार्म 60 से विवरण लेने का मॉड्यूल, 15जी/15एच की प्रस्तुति के लिए सिस्टम जनरेटेड संदर्भ संख्या का कार्यान्वयन, एनपीए मॉड्यूल, साथ ही सात अलग-अलग महत्वपूर्ण रिपोर्टे एक ही फिनैकल मेनू "डेलीआरपी" में सम्मिलित की गई हैं ताकि शाखा स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा सके।

14.4 सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम):

बैंक ने पीपीएफ पर केंद्रीयकृत ब्याज एप्लीकेशन, वन रैंक वन पेंशन(ओआरओपी), तीन प्रमुख कोषों यानी सीपीएओ, रेलवे और रक्षा, जीवन प्रमाण-पत्र की पावती, सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) आदि को जीबीएम में कार्यान्वित किया है।

14.5 कार्ड बैंकिंग:

डेबिट कार्ड की नई शृंखला शुरू की गई है, यथा ईएमवी चिप आधारित डेबिट कार्ड, रुपे इंटरनेशनल एवं सिग्नेचर डेबिट कार्ड। ग्राहक हमारी नई विकसित एसएमएस आधारित हॉटलिस्टिंग सेवा के उपयोग द्वारा तुरंत अपने कार्ड को हॉटलिस्ट करा सकता है। कार्ड लिमिट कंट्रोल सॉल्यूशन के जरिए विभिन्न विकल्पों से अस्थाई लॉकिंग, उपयोग सीमा निर्धारण एवं डेबिट कार्ड के उपयोग के परिसीमन की भी शुरूआत की गई है।

14.6 ई-बैंकिंग:

स्थायी अनुदेशों के लिए विकसित नए मेनू का उपयोग करके ग्राहक ई-बैंकिंग के जरिए अपने स्थायी अनुदेशों का प्रबंधन कर सकता है। यदि ग्राहक पिछले लॉग-इन की अपेक्षा किसी अन्य आईपी एड्रेस से लॉग-इन करता है तो ओटीपी उपयोग की एक अतिरिक्त सुरक्षा परत को जोड़ा गया है। ध्वनि ओटीपी सुविधा कायशिन्वत की गई है जो ओटीपी के 60 सेकेंड

14. INFORMATION TECHNOLOGY, BPR and BTD:

14.1. In-House Software Development:

The existing HRMS portal has been further enhanced by developing and integrating various modules such as PF module, eService folder module, Training module for training colleges/ centres, LFC/ LTC module, terminal benefit module etc. The in-house software development team has also developed Mobile App for HRMS and MIS Dashboard.

The MIS Dashboard Mobile App provides the on-the-go ease for decision makers to access various reports, performance parameters, policy, circulars etc.

The Mobile App for HRMS package (exclusively for Employees) includes profile management, monthly perquisite reimbursement request, PF statement, employee wise search, sol-wise search, leave availed, finacle menu references, scheme code references, sol-wise business report, salary details, helpline numbers etc.

14.2. Cheque Truncation System & NACH:

105 centres were brought under CTS under the three Grids (Northern Grid - 20 centres, Southern Grid - 62 centres & Western Grid -23 centres). Bank has upgraded the hardware and software for CTS Southern Grid. Bank is now live on ACH credit & ACH debit on NACH platform.

14.3. Core Banking System:

To improve the functionality and to cater to the requirements raised by regulatory authorities, Bank has implemented various modules such as cash Denomination Module, Centralised Locker Rent recovery module, Centralised Cash handling charge recovery module, module for capturing details of Form 60, implementation of system generated reference no. for 15G/ 15 H submission, NPA module has been successfully implemented and seven different important daily reports have been merged into a single finacle menu "dailyrp" for effective monitoring at branch level.

14.4. Government Business Module (GBM):

Bank has implemented Centralized Interest Application on PPF, One Rank One Pension (OROP), ePPO for three major treasuries i.e. CPAO, Railways and Defence, acknowledgement of Life Certificate, Implementation of 7th Pay Commission, Digital Life Certificate (DLC) etc. in GBM.

14.5. Card Banking:

New range of Debit card has been introduced viz. EMV chip based debit card, Rupay International & VISA signature Debit card. Customer can hot-list his card instantly using our newly developed SMS based hot-listing service. Temporary locking, setting usage limit and restriction of Debit card usage over different channels has been introduced through Card limit control solution.

14.6. E-Banking:

Using the new menu developed for standing instructions, Customer can manage his standing instructions through e-banking. An extra layer of security has been added using OTP if the customer logs in from an IP address different from the previous login. Voice OTP facility, has been implemented, which

के भीतर न पहुँच पाने की स्थिति में स्वत: सक्रिय हो जाती है।

31.03.2017 तक मर्चेन्टों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए 14 अलग-अलग भुगतान गेटवे संग्राहकों को एकीकृत किया गया है। निधि अंतरण के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा नकदी उधार खाते में भी दे दी गई है।

14.7 डिजिटल पासबुक(एम-पासबुक):

डिजिटल पासबुक एप्लीकेशन(एम-पासबुक) भी विकसित किया गया ताकि ग्राहक अपने समस्त खाते देख सकें और अपना वित्त प्रबंधन प्रभावी ढंग से कर सकें। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के अलावा ये एप्लीकेशन 10 भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

14.8 डिजिटल इंडिया:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका विज़न भारत को डिजिटल दृष्टि से एक सक्षम समाज एवं ज्ञान-समृद्ध अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। डिजिटल इंडिया की एक मुखरित भूमिका है "अमूर्त, कागजरहित, नकदीरहित" नकदी रहित लेन-देन को प्रोत्साहित करने और भारत को कम नकदी उपयोग करनेवाले समाज में बदलने के लिए यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआई, यूकोपे (ई-वॉलेट), भीम, प्रीपेड कार्ड, पीओएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम एवं डेबिट कार्ड के रूप में बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान करने के विविध माध्यम सुलभ कराए जा रहे हैं।

14.8.1. प्री-पेड कार्ड:

बैंक ने "सुविधा(ई) प्री पेड" के रूप में रुपे ईएमवी चिप बेस्ड प्री पेड कार्ड का शुभारंभ किया है। यह कार्ड पुनर्भरण योग्य है और कार्डधारक एटीएम, पीओएस (बिक्री केन्द्र) एवं ई-वाणिज्य के जरियों से भरी गई राशि खर्च कर सकता है।

14.8.2. यूकोपे (ई-वॉलेट):

बैंक का मोबाइल बटुआ प्रयोगकर्ताओं को नकदी रहित लेन-देन करने में सहायता करता है, यथा मोबाइल रीचार्ज एवं बिल भुगतान, क्यूआर कोड का स्वत: जनरेशन, मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड के उपयोग से मर्चेन्ट भुगतान, ई-वॉलेट से ई-वॉलेट अंतरण, किसी भी बैंक खाते में निधि अंतरण आदि। दिनांक 31.03.2017 तक कुल ई-वॉलेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 81,074 थी।

14.8.3. यूको-यूपीआई:

यूनीफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) तत्काल भुगतान सेवा(आईएमपीएस) प्लेटफार्म का विकसित संस्करण है, जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन(जो किसी भी भागीदार बैंक का हो सकता है) से जोड़ना, कई बैंकिंग विशेषताओं को सम्मिलित करना, निर्बाध फंड रूटिंग एवं मर्चेन्ट भुगतानों को एक ही जगह सुलभ कराना संभव कर देता है। "पियर टू पियर" कलेक्ट अनुरोध पर भी काम करता है जिसका आवश्यकता एवं सुविधानुसार नियोजन एवं भुगतान किया जा सकता है।

14.8.4. भीम:

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी – भीम ऐप) नकदी रहित लेन-देन के प्रेरक विमुद्रीकरण की मुहिम के एक भाग के रूप में बैंकों के जरिए सीधे-सीधे ई-भुगतान सुविधा देने के लिए बनाया गया है। भीम प्रयोगकर्ताओं के लिए अन्य यूपीआई भुगतान एड्रेसों, अथवा जिन प्रयोगकर्ताओं का यूपीआई-आधारित बैंक खाता नहीं है, वहाँ क्यूआर कोड या आईएफएससी कोड अथवा एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेन्टिफायर) कोड सहित खाता संख्या का इस्तेमाल कर राशि भेजना या प्राप्त करना संभव कर देता है। बैंक भी भीम के माध्यम से यूपीआई की पेशकश करता है।

auto-initiates when OTP could not be delivered within 60 seconds.

Till 31.03.2017, 14 different payment gateway aggregators have been integrated for online payment to merchants. Internet banking facility has been extended to cash credit account for Fund Transfer.

14.7. Digital Passbook (mPassbook):

Digital Passbook application (mpassbook) was also developed for enabling customers to view all their accounts & manage finances effectively. Besides Hindi and English both the applications are available in 10 different regional languages.

14.8. Digital India:

The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. "Faceless, Paperless, Cashless" is one of professed role of Digital India. As part of promoting cashless transactions and converting India into less-cash society, various modes of digital payments are being facilitated by Bank through USSD, AEPS, UPI, UCOPay (e-wallet), BHIM, Prepaid Cards, POS, internet Banking, mobile Banking, Micro ATMs and Debit cards.

14.8.1.Pre-paid Card:

Bank has introduced RuPay EMV chip based pre-paid card "suvidha (e) Pre paid". This card can be reloadable and card holder can spend the loaded amount at ATM, POS (point of sale) & e-commerce.

14.8.2. UCOPay (e-wallet):

Bank's Mobile Wallet helps users for doing cashless transactions viz. mobile recharge & Bill Payments, Self-generation of QR code, merchant payments using mobile number or QR Code, e-wallet to e-wallet Transfer, Transfer of fund to Any Bank Account etc. The total e-wallet users registered till 31.03.2017 are 81, 074.

14.8.3. UCO-UPI:

Unified Payments Interface (UPI) is an advanced version of Immediate Payment Service (IMPS) platform, which empowers linking multiple bank accounts to a single mobile application (of any participating bank), merging several banking features, facilitating seamless fund routing & merchant payments into one hood. It also caters to the "Peer to Peer" collect request which can be scheduled and paid as per requirement and convenience.

14.8.4. BHIM:

BHIM (Bharat Interface for Money - Bhim App), launched by GoI is intended to facilitate e-payments directly through banks, as part of demonetisation to drive cashless transactions. BHIM allows users to send or receive money to other UPI payment addresses or QR code or using account number with IFSC code or MMID (Mobile Money Identifier) Code to users who do not have a UPI-based bank account. Bank has also offers UPI through BHIM.

14.8.5. यूएसएसडी:

यह नवीन भुगतान सेवा *99# अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेन्टरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी) चैनल के जरिए काम करती है। यह आधारभूत मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मोबाइल बैंकिंग लेन-देन करानेवाली सेवा है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट डाटा की सुविधा का होना जरूरी नहीं है। इस आयाम को वित्तीय पैठ प्रदान करने और अल्प बैंकिंग-सुविधा प्राप्त समाज को बैंकिंग सेवा की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से लाया गया है। *99# सेवा के अंतर्गत प्रस्तावित महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं, अंतर-बैंक खाते से खाते में निधि अंतरण, शेष पूछताछ, संक्षिप्त खाता विवरणी साथ ही अन्य अनेक सुविधाएँ भी हैं।

* यूपीआई + भीम + यूएसएसडी के तहत पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं की कुल संख्या 31.03.2017 की स्थिति को 47,153 थी।

14.8.6. यूको स्मार्टपे:

यह बैंक के पास अपने खाते रखनेवाले शैक्षणिक संस्थानों या अन्य किन्हीं कारपोरेटों/संस्थानों को ऑनलाइन/ ऑफलाइन भुगतान किए जाने हेतु कॉलेज/स्कूल एवं अन्य संस्थानों हेतु फीस/शुल्कों का संग्रहण करने का स्मार्ट तरीका है। 31.03.2017 तक 22 भिन्न-भिन्न कालेज/संस्थान/संगठन ऑनलाइन मोड में सक्रिय हैं और 01 संस्थान ऑफलाइन मोड में सक्रिय है।

14.9. ऑनलाइन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड:

बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्डों की खरीद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है।

14.10. आईएमपीएस चैनल के जरिए एफआईआर(विदेशी आंतरिक विप्रेषण):

इससे एनआरआई खातों में आईएमपीएस के जरिए विदेशों से राशि की प्राप्ति की जा सकती है। यह सुविधा देने के लिए यूको बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है।

14.11. आईडीपीएमएस एवं ईडीपीएमएस:

बैंक आईडीपीएमएस एवं ईडीपीएमएस दोनों में निम्नलिखित रूप से सक्रिय है:

भारतीय रिजर्व बैंक को किए जानेवाले बकाया आयत विप्रेषणों की रिपोर्टिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा आयात डाटा प्रोसेसिंग एवं निगरानी प्रणाली(आईडीपीएमएस) का उपयोग किया जाता है।

निर्यात डाटा प्रोसेसिंग एवं निगरानी प्रणाली(ईडीपीएमएस) – निर्यात डाटा की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यापक एकीकृत कंप्यूटरीकृत प्रणाली।

14.12. अन्य पहल:

पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) की शुरूआत की गई है जिसके जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और पावती प्रक्रिया को स्वचालित बनाया गया है।

15 ग्राहक सेवा

मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) आम जनता को उपलब्ध है जिससे शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में से 98.47% शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरटीआई के तहत कुल 1804 आवेदन प्राप्त हुए और 31.03. 20217 तक 42 आवेदनों का उत्तर दिया जाना शेष था। आरटीआई के तहत 245 अपीलें की गईं तथा इन अपीलों का भी निपटान कर दिया गया। नकदी मॉड्यूल को सीबीएस में सक्रिय किया गया है जिसके फलस्वरूप विमुद्रीकरण के दौरान एसबीएन(₹500 एवं ₹1000 के आहरित वैध टेंडर नोट) का आसानी से व्यवहार किया गया।

कॉल सेन्टर के लिए नया वेन्डर चुना गया है जो 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान रख-रखाव का काम देखेगा।

14.8.5. USSD:

The innovative payment service *99# works on Unstructured Supplementary Service Data (USSD) channel. This service allows mobile banking transactions using basic feature mobile phone.There is no need to have mobile internet data facility for using USSD based mobile banking. It is envisioned to provide financial deepening and inclusion of underbanked society in the mainstream banking services. Key services offered under *99# service include, interbank account to account fund transfer, balance enquiry, mini statement besides host of other services.

*Total users registered for UPI+BHIM+USSD as on 31.03.2017 are 47,153.

14.8.6. UCO SMARTPay:

A Smart way for the collection of fees/charges for College/School and other institutions for paying online/offline to educational institutions or any other corporates/institutions who maintain their accounts with the Bank. 22 different college/institution/ organisations are live in online mode and 01 institution is live in offline mode till 31.03.2017.

14.9. Online Gold Sovereign Bond:

Bank has provided the facility to apply online for purchasing Sovereign Gold Bonds.

14.10. FIR (Foreign inward remittance) through IMPS channel:

This allows the receipt of money from abroad in NRI accounts through IMPS. UCO Bank has gone on board with NPCI extending this facility

14.11. IDPMS & EDPMS:

Bank is live with both IDPMS and EDPMS as under.

The Import Data Processing & Monitoring System (IDPMS) is used by the International Department, Head Office for reporting of outstanding import remittances to RBI.

Export Data Processing and Monitoring System (EDPMS) - comprehensive integrated computerised system for effective monitoring and follow-up of export transactions.

14.12. Other Initiatives:

PFMS (Public financial management system) has been launched through which Direct Benefit Transfer and acknowledgement process has been automatized.

15.CUSTOMER SERVICE

Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS) is available for the public to lodge complaints online.98.47% of the total complaints received during the financial year 2016-17 have been redressed.Under RTI, a total of 1804 applications were received, during FY 2016 - 17 and 42 applications were yet to be replied as on 31.03.2017. There were 245appeals made under RTI, and 6 appeals were yet to be disposed as on 31.03.2017. Cash module has been activated in the CBS system, resulting in smooth handling of SBNs (the withdrawn legal tender notes of ₹500 & Rs.1000) during demonetization.

New vendor has been selected for the call centre, who will takeover the maintenance during the first quarter of 2017-18.

हमारे लॉकर मॉड्यूल को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना ही सीबीएस प्रणाली द्वारा लॉकर किराए की वसूली कर ली जाएगी।

16. आंतरिक लोकपाल

निस्तारण प्रणालियों को सशक्त बनाने, ग्राहक सेवा को बेहतर करने और शिकायत निवारण जल्द करने के लिए एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। आंतरिक लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकारी है जिसके पास बैंक आंतरिक स्त्रा से ऐसे सभी मामलों के अंतिम निर्णय सुरक्षित कर देता है जिनमें या तो शिकायत निरस्त कर दी गई है या फिर बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा केवल आंशिक राहत दी गई है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ऐसे सभी मामलों को निष्पक्ष तरीके देखा जा सके। इससे ग्राहक शिकायतों का सार्थक समाधान और पूर्ण संतोष सुनिश्चित हो जाता है।

चूंकि ग्राहक शिकायतों के समाधान और आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उनके साथ साथ कार्यपालक निदेशकगण स्वयं अपने स्तर पर निरंतर आधार पर हर सप्ताह 20 से 30 शिकायतों की जांच करते हैं।

17. कॉर्पोरेट संसूचना

बैंक ने विभिन्न प्रिंट, आउटडोर और डिजिटल मीडिया, साथ ही बाहरी गतिविधियों तथा प्रायोजनों में भाग लेकर अपना प्रचार किया है। शेयरधारकों एवं व्यापक रूप से जनसाधारण को संवाददाता सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति एवं व्यक्तिशः प्रत्यक्ष सूचना के माध्यम से बैंक के बारे में यथेष्ट सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न परिसंपत्ति एवं देयता उत्पादों के लिए प्रचार अभियान, बैंकिंग अनुभव को समृद्ध करने हेतु बैंक द्वारा की गई विविध प्रौद्योगिकीगत पहल पर सूचनाएं देना, यह सब वर्ष 2016-17 के दौरान देशव्यापी प्रचार-प्रसार का सार रहा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री की "मन की बात" कार्यक्रम के दौरान "यूको पे" एवं "यूको सुविधा ई-प्रीपेड कार्ड" के विज्ञापन भी प्रसारित किए गए, जिनके जरिए जन-जन में बैंक के कैशलेस माध्यम लोकप्रिय हुए।

वित्तीय समावेशन के अपने संकल्प को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया। बैंक ने देश के 4 बड़े राज्यों के 98 गांवों में सन-डाउन शो(ग्रामीण क्षेत्रों में मूवी शो) के दौरान विज्ञापन दिखाए जाने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में दीवारों पर अंकन, ऋण मेलों के आयोजन, स्थानीय हाट/मेलों में स्टॉल लगाने तथा अन्य नियमित प्रचार गतिविधियों को वर्ष भर संचालित किया गया।

अपने 74वें स्थापना दिवस के समारोह रूप में मनाने के लिए बैंक ने रोड शो का आयोजन किया। बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) के तहत लगभग ₹9.53 करोड़ की राशि विविध गतिविधियों पर खर्च की।

बैंक अपनी विविध गतिविधियों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से गृह पत्रिका 'यूको टॉवर' का प्रकाशन कर रहा है।

बैंक एक विवस्तरीय ग्राहक-केंद्रित वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी उत्कृष्ट ब्रांड छवि निर्मित करने के लिए विविध प्रचार मीडिया का उपयोग निरंतर करता रहेगा।

बैंक की कार्यालयीन वेबसाइट :- बैंक 1998 से अपनी वेबसाइट चला रहा है। चूँकि बैंक की वेबसाइट विश्व के लिए सूचना की खिड़की का काम कर रही है, इसकी लगातार निगरानी और अद्यतन किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट को पूर्णतया पुनः व्यवस्थित करने का काम कर रहा है ताकि इसे और अधिक अंतःक्रियात्मक और अनुक्रियात्मक बनाया जा सके।

Our locker module has been made online, thereby locker rent will be recovered by CBS system without manual intervention.

16.INTERNAL OMBUDSMAN

In order to strengthen redressal systems, improve Customer Service and expedite grievance redressal, an Internal Ombudsman has been appointed. The Internal Ombudsman is an independent authority to whom the Bank internally escalates all cases for final decision where either the complaint is rejected or only partial relief is provided to the complainant by the Bank's Internal Grievance Machinery, in order that an impartial view is taken in all such cases. This ensures a meaningful resolution and complete satisfaction of customer grievances.

Since resolution of customer grievances and effectiveness of the Internal Grievance System are given very high importance, the Managing Director & CEO as well as the Executive Directors personally monitor 20 and 30 complaints each respectively every week on an ongoing basis.

17.CORPORATE COMMUNICATIONS

Bank is doing publicity of its products and services, through print, outdoor and digital media, as well as participating in outdoor activities and sponsorships. The stake-holders and public at large are provided information about Bank through press meets, press releases, and one to one communication. Publicity Campaigns for various assets & liability products, information on various technology initiatives taken by the Bank to enhance banking experience has been the essence of countrywide publicity during 2016-17. Advertisements of UCO Pay" & "UCO Suvidha e-Prepaid Card" were also broadcasted during the "Mann Ki Baat" programme of Hon'ble Prime Minister of India, on All India Radio and Doordarshan, which popularized the Bank's cashless mediums among the masses.

Keeping in view the Bank's commitment towards financial inclusion, publicity in rural areas had been given special attention during the year. Bank had approved for advertisements during the Sun-down shows (Movie shows in rural areas) at 98 Villages across 4 major States of the Country. Additionally, Wall Paintings, organising Loan Melas, installing stalls at local haats/melas and other regular publicity activities had also been carried in rural areas during the year.

Bank has organized a road show to mark the celebration of 74thfoundation day. Bank undertook various Corporate Social Responsibility (CSR) activities to the tune of ₹9.53 Crore.

Bank has been regularly publishing the in-house magazine "UCO TOWER" to make aware the employees about the various activities of the bank.

Bank will continue to utilize various publicity mediums to enhance its brand image to establish itself as a world-class customer-centric financial institution.

Bank's Official Website: - Bank has been maintaining bank's website since 1998. As the bank's website is a window of information to the world, the website is constantly monitored and updated. Bank is in the process of revamping the whole website to make it more interactive and responsive.

18. मानव संसाधन:

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग में कई सेल हैं जो विभाग के विभिन्न कार्यों को देखते हैं। सामंजस्यपूर्ण तथा उत्पादक वातावरण में काम हो सके इस लिए वर्ष 2016-17 में सभी सेलों ने मिलजुल कर कार्य किया । प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया ताकि स्टाफ सदस्यों के कौशल तथा ज्ञान की वृद्धि हो।

18.1 जनशक्ति

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 24620 है इसमें विदेशी शाखाओं में कार्य करनेवाले कर्मचारी भी शामिल हैं। कुल स्टाफ संख्या में शामिल हैं 11934 अधिकारी, 8491 लिपिक, 2145 अधीनस्थ कर्मचारी तथा 2050 हाउसकीपिंग स्टाफ। सकल घरेलू स्टाफ की संख्या में अनुसूचित जाति (5088) तथा अनुसूचित जनजाति (1923) दोनों मिलकर 28.47% हैं। इसके अतिरिक्त 31.03.2017 को बैंक की सेवा में ओबीसी की संख्या 3650 थी। अल्पसंख्यक समुदाय के 1494 सदस्य थे। दिनांक 31 मार्च, 2017 को कार्यबल में महिला कर्मचारियों (5610) का हिस्सा 22.79% रहा।

18.2 आईआर नेगोशिएशन सेल

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन और यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच स्वस्थ औद्योगिक संबंध बने रहे। वर्ष 2016-17 में आवधिक अंतराल पर यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ बैठकों तथा विमर्शों का आयोजन हुआ। इसमें पारस्परिक सहयोग तथा समादर की प्रवृति बनी रही।

18.3 मासंप्र विभाग प्रधान कार्यालय का आरक्षण सेल

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन करता रहा। बैंक में अजा/अजजा/ओबीसी/अन्यथा रूप में समर्थजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों को दिए जानेवाले आरक्षण तथा अन्य उन्मुक्तियों एवं ढीलों को कड़ाई से लागू किया गया। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अजा/अजजा तथा ओबीसी संवर्ग के 146 अभ्यर्थियों (अजा-62, अजजा-13,ओबीसी-68 तथा पीएच-3) को पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण दिया। बैंक के अजा/अजजा तथा ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए इन कर्मचारियों के वेलफेयर एसोसिएसनों के साथ सर्वोच्च स्तर पर तथा अंचल कार्यालयों (जहां आरक्षण रोस्टर रखा जाता है) के स्तर पर आवधिक बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता रहा। बैठकों में इन संवर्गों के कर्मचारियों के परिवादों को सुना गया तथा उसके बाद बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार उनका समाधान किया गया।

आरक्षण सेल ने श्री राजू परमार, माननीय सदस्य, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के साथ रायपुर तथा अहमदाबाद में क्रमश: 04.05.2016 तथा 05.11.2016 को दो रिव्यू बैठकों में भाग लिया। बैठक में व्यक्त विचारों को नोट किया गया तथा आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की गई। इस सेल ने ओबीसी के कल्याण पर संसदीय समिति के साथ गंतोक में दिनांक 27.06.2016 को तथा अजा एवं अजजा के कल्याण पर संसदीय समिति के साथ कोलकाता में दिनांक 21.10.2016 को रिव्यू बैठकों में भाग लिया।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय ने हमारे बैक में वर्ष 2014 तथा 2015 के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की जांच की। इसी के साथ अजा/अजजा तथा ओबीसी से संबंधित आरक्षण रोस्टरों/रजिस्टरों, शिकायत रजिस्टरों तथा गार्ड फाईलों की जांच दिनांक 11.01.2017 को नई दिल्ली में की गई। उन्होंने हमारे बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को संतोषजनक पाया।

18.HUMAN RESOURCES

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments of the department. All these cells worked in tandem during FY 2016-17 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshops were organized for improving/enhancingthe skills and knowledge of the staff.

18.1. Manpower

The total staff strength as on 31st March, 2017 stood at 24620, including employees serving overseas. The total staff strength comprises of 11934 Officers, 8491 Clerks, 2145 Subordinate Staff and 2050 House-keeping Staff. The percentage of Scheduled Castes (5088) & Scheduled tribes (1923) taken together in the total domestic staff strength is 28.47%. Besides, there are 3650 OBC employees in Service of the Bank as on 31.03.2017. 1494 employees belong to the Minority Communities. Women employees (5610) constitute 22.79% of the Total Workforce as of 31st March, 2017.

18.2. IR Negotiation Cell

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/ Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2016-17.

18.3. Reservation Cell of Head office, HRM Department

Bank has been implementing reservation policy of Governmenst of India. Reservation and other relaxations and concessions extended to SC/ST/OBC / Differently abled persons and Ex-Servicemen employees of our bank are strictly adhered. As per GOI guidelines, Bank has imparted Pre-promotion Training to 146 candidates (SC-62, ST-13, OBC-68 and PH-3) belonging to SC/ST and OBC category. In order to address the issues of SC/ ST and OBC employees of the bank, regular periodical meetings are being held at Apex level as well as at Zonal office level (where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. The grievances of such category of employees is heard in such meetings and subsequently grievances are redressed as per Bank's policy guidelines.

The reservation cell participated in two review meetings with Shri Raju Parmar, the Hon'ble member, National Commission for Scheduled Castes at Raipur and Ahmedabad on 04.05.2016 and 05.11.2016 respectively. The observations were noted and Action Taken report was submitted to the Commission in time. The cell also participated in two review meetings with the Parliamentary Committee on welfare of OBC at Gangtok on 27.06.2016 and Parliamentary Committee on welfare of SC and ST at Kolkata on 21.10.2016.

Department of Financial Services (DFS) of Ministry of Finance examined the implementation of Reservation Policy of our bank for the year 2014 and 2015 along with Reservation Rosters/ Registers pertaining to SC/ST/OBC, Complaint Register and Guard file of our bank on 11.01.2017 at New Delhi. They found the implementation of reservation Policy in our bank as satisfactory.

18.4. भर्ती कक्ष

वर्ष 2016-17 में बैंक ने 735 अधिकारियों की भर्ती की। इन 735 अधिकारियों में (जिनमें विशेषज्ञ अधिकारी यथा सूचना प्रौद्योगिकी, एफओ, सुरक्षा, विधि आदि शामिल हैं) अजा की 126, अजजा की 42, ओबीसी 175 तथा महिलाओं की संख्या 221 है। बैक ने मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) की सेवा का पुनरीक्षण किया तथा औपबंधिक आधार पर उसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया । वर्ष 2016-17 में 1181 लिपिकों की भी नियुक्ति की गई। इनमें अजा के 163, अजजा के 93, ओबीसी के 306, महिलाएं 336 तथा लिपिक विकलांग जन 14 हैं।

18.5 प्रशिक्षण सेल

एक अत्यंत गत्यात्मक उद्योग का अंग होने के नाते हमारे संगठन को सतत परिवर्तित हो रहे वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की दृष्टि से अपने कार्यबल को संबंधित विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अद्यतन रखने की आवश्यकता पड़ती है। बैंक ने अद्यतन अपडेट के साथ अपनी प्रशिक्षण नीति का पुनरीक्षण और मूल्य-वर्धन किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कर्मचारियों के सभी वर्गों को प्रशिक्षित करने पर तथा लोकेशनल तथा कैंप आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया था। अंचल कार्यालयों के स्तर पर ये लोकेशनल तथा कैंप आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे बैंक के सेंट्रल स्टाफ कालेज, कोलकाता तथा सात (7) आरटीसी में आयोजित हुए इनहाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 9433 अधिकारी, 3615 क्लर्क तथा 504 अधीनस्थ कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए। इसके अलावे देशभर में फैले अंचल कार्यालयों के स्तर पर आयोजित लोकेशनल कार्यक्रमों में 647 अधिकारियों तथा 929 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। नए पदोन्नत/हाउस कीपर सह पियन में रूपांतरित हुए स्टाफ सदस्यों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन इस वर्ष किया गया।

सामान्य विषयों यथा ऋण मूल्यांकन, एनपीए प्रबंधन, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणदान, एलएपीएस, यूनीकोड, सीबीएस, सुरक्षा संबंधी मामलों, प्रबंधन कौशल, फिनाकल परिचालन, नेतृत्व विकास आदि के अलावा विशिष्ट विषयों यथा सॉफ्ट स्किल, प्रलेखीकरण, एडीसी, केवाईसी, मानव संसाधन के मुद्दे प्रशिक्षण में शामिल किए गए। सक्षम प्राधिकारी के निदेश के अनुपालन स्वरूप इस वर्ष वेतनमान III तक के अधिकारियों तथा पंचाट कर्मचारियों के लिए सीएससी/आरटीसी में साफ्ट कौशल पर खास तौर से तैयार किया गया कार्यक्रम शामिल किया गया।

बैंक ने एनआइबीएम, पुणे, कैब, पुणे, आइआइबीएम, गुवाहाटी, बीआइआडी, लखनऊ आईआईबीएफ, मुंबई आइडीआरबीटी, हैदराबाद और अन्य अनेक संस्थानों में 165 अधिकारियों/कार्यपालकों को वाह्य प्रशिक्षण के लिए नामित किया। वाह्य प्रशिक्षण संस्थानों यथा आईआईसीए, मानेसर, एएससीआई, हैदराबाद तथा आईआईबीएम, पुणे में नए पदोन्नत उप महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों तथा मुख्य प्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास पर खास तौर पर तैयार कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे तीनों सर्वोच्च कार्यपालकों को भी विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया। फौरेक्स प्रबंधन,पब्लिक प्रोक्योरमेंट, आईएफआरएस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि संबंधित विषयों पर टैलेंट पूल बनाया जा सके। प्रशिक्षण कालेजों की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए एक प्रणाली भी बनाई गई। बैंक प्रशिक्षण के लिए समुचित व्यक्ति को नामित करने को बहुत महत्व देता है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए नए फैकल्टी सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

19. लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण:

बैंक की प्रणाली एवं प्रक्रिया का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 2331 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और 995 शाखाओं को समवर्ती लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा की खोजों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए अनियमितताओं को ठीक करने के लिए सक्रिय सुधार कार्रवाई की गई है जिसमें राजस्व ह्रास की वसूली भी शामिल है। "निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की नीति" नामक एक नई नीति तैयार की गई है जिसमें निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के विशिष्ट कार्यों को पुन: परिभाषित किया गया है।

18.4.Recruitment Cell

Bank has recruited 735 Officers during the year 2016-17. These 735 Officers (Including Specialist Officers as IT, AFO, Security, Law etc) comprise of 126 SC's, 42 ST's, 175 OBC's and 221 women. Bank has reviewed and extended the service of Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman) for further one year on contractual basis. 1181 clerks have also been recruited during the year 2016-17 of which 163 are SC's, 93 are ST's, 306 are OBC's, 336 are females and 14 clerks are Persons with Disabilities individuals.

18.5. TRAINING Cell

Our organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training programmes in the concerned field. Bank has reviewed Training Policy with latest updates and infused value addition. During Financial Year 2016-17, emphasis was given for imparting Training to all sections of employees and organizing Locational and Camp Based Training Programmes which are organized at Zonal Office level. 9433 Officers, 3615 Clerks and 504 Sub-staffs were Trained under inhouse training programmes in CSC, Kolkata and Seven (7) RTCs of the Bank. Besides 647 Officers, 929 substaffs were trained Locationally at ZO Level across the country. This year a special one day training for newly promoted/converted HKPs (Housekeeper cum peon) were arranged.

Apart from general topics viz Credit Appraisal, NPA Management, Priority Sector Lending, LAPS, Unicode, CBS, Security Aspects, Managerial Skills, Operation in Finacle, Leadership Development etc, special topics viz Soft skills, Documentation, ADC, KYC, HR Issues etc. have been introduced in Training System. This year, complying with direction of the Competent Authority, specially designed Soft Skill Training has been introduced for Officers upto Scale III and Award Staffs at CSC/RTCs.

Bank has nominated 165 Officers/Executives to outside Training Institutes like NIBM PUNE, CAB PUNE, IIBM Guwahati, BIRD Lucknow, IIBF Mumbai, IDRBT Hyderabad and many other Institutes for External Training. Specially designed Training Programmes on Leadership Development were conducted for newly promoted DGMs, AGMs & Chief Managers with External Training Institutes viz. IICA Manesar, ASCI Hyderabad and NIBM etc. Overseas Training also given to three of our Top Executive. Special programmes on Forex Management, Public Procurement, IFRS also conducted to create talent pool on the respective subjects. A system has also been designed for better capacity utilization of Training colleges. Bank has given utmost importance for nomination of right persons in Training. The selection of new Faculty Members for Training Colleges is under process.

19.AUDIT & INSPECTION

To ensure strict adherence to bank's system & procedure, Risk Based Internal Audit has been conducted at 2331 branches and 995 branches have been covered under concurrent audit. In pursuance of audit findings, prompt corrective action has been initiated for rectification of irregularities including recovery of revenue leakages. A new policy termed as "Policy on Audit Committee of the Board" has been formulated to re-define specific functioning of the Audit Committee of the Board.

निरीक्षण के कार्यदिवसों के सर्वोत्तम उपयोग तथा लागत नियंत्रण के एक उपाय स्वरूप वर्तमान निरीक्षण नीति में संशोधन किए गए हैं, जिनके तहत 40% कार्यदिवसों का उपयोग प्रधान कार्यालय से आबंटित शाखा के ऑफसाइट निरीक्षण के लिए और शेष 60% कार्यदिवसों का उपयोग क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए किया जाएगा।

नव नियुक्त निरीक्षण अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल उन्नयन के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चल निरीक्षण अधिकारियों को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के "ई-थिक" पैकेज से परिचित कराने पर ज्यादा ध्यान दिया गया।

20. सतर्कता विभाग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न सर्किल कार्यालयों में पदस्थापित क्षेत्र सतर्कता अधिकारियों ने 396 शाखाओं का औचक निरीक्षण किया जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इन शाखाओं में कार्यरत स्टाफ अपने दैनिक कार्यों में बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करने के प्रति सतर्क है।

मई, 2016 में बैंक के सतर्कता मैनुअल के हिंदी संस्करण "सतर्कता अनुदेश पुस्तिका" का प्रकाशन किया गया।

बैंक के नियमों-विनियमों का पालन न करने से जुड़े कदाचार और चूक के विविध पहलुओं पर स्टाफ की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रों पर अनेक निवारक सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें जनवरी 2017 के दौरान सीएससी – कोलकाता में सर्किल एवं अंचल कार्यालयों के सतर्कता अधिकारियों के लिए आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला शामिल है।

इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह(अक्तू बर/नवंबर 2016 में मनाया गया) का सार-विषय "सत्यनिष्ठा के प्रोत्साहन और भ्रष्टाचार उन्मूलन में जनभागीदारी" था। कर्मचारी एवं आम जनता दोनों को अधिक सतर्क बनाने और भ्रष्टाचार विरोध के लिए प्रोत्साहित करने हेतु देश भर की शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में जन बैठकें एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं। स्टाफ सदस्यों एवं स्कूल/कालेज के बच्चों के लिए निबंध लेखन, वाद-विवाद आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। स्टाफ सदस्यों में जागरूकता का स्तर बढ़ाने के लिए "विक्ट्री ऑफ विजिलेंस" पत्रिका का भी शुभारंभ किया गया।

21. राजभाषा नीति का अनुपालन :

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए तथा इसके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुपालनार्थ निरंतर कार्रवाई की। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की तथा विविध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए। इस वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में उच्च स्तर पर निर्णय करके बैंक के राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय में पदस्थापित राजभाषा अधिकारियों को प्रधान कार्यालय के विभागों के राजभाषा संबंधी कार्यों की देख-रेख एवं मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई। इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे और विभागों में हिंदी में कार्य किए जाने के प्रति जागरुकता का विस्तार हुआ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने अपने कोलकाता दौरे के अवसर पर हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निरीक्षण किया तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में हमारे बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति द्वारा दिनांक 27 मई, 2016 को नगर

Amendments have been made in the current Inspection policy, for optimum utilization of inspection man days and as a cost control measure, to utilize 40% of man days to conduct offsite inspection of the allotted branch from the Head Quarter and rest 60% of the man days to be utilized for onsite inspection by the field inspectors.

Two training programmes have been conducted to update the knowledge and skill of newly inducted inspecting officers. More focus was given to make the mobile inspecting officers familiar with e-THIC package of Risk Based Supervision."

20.VIGILANCE DEPARTMENT

During the year Field Vigilance Officers posted at various Circle Offices have conducted Surprise Inspection at 396 branches to ensure that staff working at these branches is vigilant in following the Bank's guidelines in their daily routine.

In May 2016, Hindi version of Bank Vigilance Manual called "SatarkataAnudesh" has been launched.

A number of preventive vigilance programmes were conducted at different centres to increase the awareness of staff on various aspects of misconduct and pitfalls associated with non adherence to rules and regulations of the Bank. This included a two days workshop for Vigilance officers at CSC - Kolkata during January 2017 which covered Vigilance Officers of all Circle and Zonal Offices.

This year the theme of Vigilance Awareness Week (celebrated in October/ Nov. 2016) was "Public Participation in promoting integrity and eradicating corruption". Various public meetings and seminars have been organised across the branches and administrative offices to make both the staff and public more vigilant and encourage them to counter corruption. Various competitions like essay debates etc. have been organised amongst staff members and school/College children. A Magazine "Victory of Vigilance" was also launched to increase awareness among staff members."

21.COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

The Bank took proactive steps to implement the Official Language Policy of Govt. of India and took actions to comply with the provisions of the Official Language Act and the Rules made there under on continual basis. The Bank has also taken appropriate follow-up action to implement the directives as contained in the Annual Program with regard to the use of Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and has regularly channelized its efforts to achieve the various targets involved. Taking a decision at top level in the first Quarter of this financial year, the Official Language officers posted at Official Language Dept., Head Office were given the responsibility of overseeing and guidance with regards to Official Language related assignments of the Departments of Head Office. The result of this approach was encouraging and an increased awareness has been evident in Departments as far as doing official work in Hindi is concerned.

The Third sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language, during its Kolkata visit, conducted inspection with regard to the state of Official Language implementation at the Head Office of our Bank. It appreciated the efforts of our Bank for enhancement of usage of Hindi. The Drafting and

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता के अध्यक्ष(यूको बैंक) एवं अन्य कुछ सदस्य बैंकों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। न.रा.का.स. (बैंक), कोलकाता का संयोजक बैंक होने के नाते यूको बैंक, प्रधान कार्यालय के तत्वावधान में सदस्य कार्यालयों द्वारा अनेक राजभाषा एवं अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए तथा अन्य बैंकों को भी हिंदी कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता प्रदान की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति(बैंक), कोलकाता के संयोजक यूको बैंक के प्रधान कार्यालय को वर्ष 2015-16 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पूर्व क्षेत्र का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा के सफल कार्यान्वयन हेतु संबंधित नराकास समितियों द्वारा जोरहाट एवं वाराणसी अंचल कार्यालयों को प्रथम तथा पटना अंचल कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत भर में बैंक के अंचल / सर्किल कार्यालयों द्वारा हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें यूनीकोड एवं लिंगुवाबैंक के प्रयोग में प्रशिक्षित करानेवाले सत्र सहित राजभाषा में कामकाज पर बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। हिंदी तिमाही गृह पत्रिका "अनुगूँज" के अंकों के साथ ही विभिन्न सर्किलों / अंचलों द्वारा हिंदी ई-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया गया। साथ ही सर्किल एवं अंचल कार्यालयों में पदस्थापित राजभाषा अधिकारियों द्वारा व्यापक रूप से 903 शाखाओं/कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।

कोलकाता के सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में दिनांक 30 अप्रैल से लेकर 03 जून, 2016 तक बैंक के राजभाषा अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय "बैंकिंग उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया गया। इसमें राजभाषा अधिकारियों को सामान्य बैंकिंग की कार्यप्रणालियों से अवगत कराया गया। इसी कालेज में अखिल भारतीय यूको बैंक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन भी 06 एवं 07 मार्च, 2017 को आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय में पदस्थापित कार्यपालकों के लिए दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया । अंचल कार्यालय, पुणे द्वारा 02.03.2017 को डिजिटल इंडिया पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बैंक की वेबसाइट की सामग्री में समयानुसार किए जानेवाले बदलावों के अनुरूप राजभाषा विभाग ने वेबसाइट के द्विभाषीकरण का काम भी निरंतर आधार पर जारी रखा।

बैंक के प्रधान कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों एवं शाखाओं में हिंदी माह के दौरान विविध आयोजन किए गए। प्रधान कार्यालय के हिंदी दिवस समारोह में नृत्य एवं संगीतमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुईं।

22. अनुपालन विभाग:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए अनुपालन के मामलों पर बल दिया है। बैंक एक सख्त अनुपालन प्रणाली के जरिये ग्राहक सेवा के स्तर, जमा, अग्रिम, केवाईसी/एएमएल, पीएमएलए अधिनियम के तहत एसटीआर सीटीआर, अन्य सेवा कार्य एवं संबंधित अनुपालन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी एवं भारतीय बैंक संघ आदि द्वारा मांगी गई सांविधिक/विनियामक रिपोर्टों, सूचना एवं आंकड़ों की प्रस्तुति सुनिश्चित कर रहा है। अनुपालन कार्यों में उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए अनुपालन नीति तैयार की गई थी तथा निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन के बाद इसे बैंक भर में परिचालित किया गया। वर्ष के दौरान 844 शाखाओं में अनुपालन कार्यों की नमूना जांच की गई। पाई गई कमियों को कार्यस्थल पर ही दूर किया जा रहा है। अनुपालन कार्यों के बारे में शाखाओं/कार्यालयों को अवगत कराया गया ताकि अनुपालन के उल्लंघन को टाला जा सके। महत्वपूर्ण मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर रिपोर्ट करके उन पर विचार-विमर्श किया गया ताकि प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ सके। गलतियों से बचने के उपायों को उजागर करने के लिए अनुपालन मुद्दों पर निरीक्षण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है।

Evidence Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language also conducted aDiscussion with the Chairman (UCO Bank) of Town Official Language Implementation Committee (Banks), Kolkata and a few other Member Banks on 27th May, 2016. Being the Convener Bank of the TOLIC (Banks), Kolkata, many Official Language and other competitions were organized under the aegis of UCO Bank, Head Office and assistance was also provided to other Banks in organizing Hindi Programs.

UCO BANK, Head Office, the Convener of Town Official Language Implementation Committee (Banks), Kolkata has been awarded Third Prize of Eastern Region for excellent implementation of Official Language during the year 2015-16. Our Zonal Offices at Jorhat and Varanasi received First Prize while Zonal Office at Patna received Second Prize, awarded by the respective TOLICs for successful implementation of Official Language.

During the period under reference, the Circle / Zonal Offices organized Hindi workshops in the whole of India in which a great number of officers/staff were trained for work in Official Language, which involved a session on utilization of UNICODE and LinguaBank. Along with the issues of the quarterly house-magazine "Anugoonj" published by Head Office, many Hindi e-magazines were also published by circles/zones. Besides, the Official Language officers posted at Circle and Zonal Offices conducted Official Language inspections of 903 branches/offices.

A five-day "Banking Oriented Training Programme" was organized at Central Staff College, Kolkata for the Official Language officers of the Bank from 30th May to 03rd June, 2016 in which the officers were acquainted with the modes of operation of general banking. Also, an All India Official Language Officers Conference was organized on 06th and 07th March, 2017 in the same premises. Moreover, an Official Language Awareness Programme was organized on 22.12.2016 for the executives posted at Head Office. Zonal Office, Pune conducted a Official Language Conference on DIGITAL INDIA on 02.03.2017. The Department consistently worked for making the Bank's website in bilingual, duly updated according to the changes made in it from time to time.

Different programmes were conducted during the Hindi Month in the offices and branches of the Bank including Head Office. The Hindi Diwas Celebration at Head Office involved dance and musical presentations.

22.COMPLIANCE DEPARTMENT

Bank has emphasized on compliance issues mandated by RBI. Bank has been ensuring the level of customer service, functions and compliance of rules of deposits, advances, KYC/AML, STR CTR under PMLA Act, other services, submission of statutory/ regulatory reports, information and data asked by RBI, GOI, SEBI & IBA, etc. through a strict compliance system. Compliance policy was prepared incorporating necessary changes to prevent breaches in compliance and the same has been circulated throughout the bank after board approval. Test checking of compliance functions was undertaken in844 branches. Deficiencies observed are being rectified on the spot. Branches/ offices have been sensitized about compliance functions so as to avoid breaches. Critical issues were reported and discussed at appropriate level to enhance system efficacy. Interactions are also being held with Inspection & Risk management departments periodically to discuss compliance issues to arrive at measures to avoid recurrence thereof.

23. विधिक मामले:

समय समय पर बैंक की जरूपत के अनुसार विधि विभाग ने पूरी तत्परता से विधिक राय, विधिक पुनरीक्षण, अनुसंधान एवं पत्राचार के काम में प्रभावी विधिक सहयोग देना सुनिश्चित किया। औद्योगिक मानकों के अनुरूप 'मृतक खातेदारों और गुमशुदा लोगों से संबंधित दावों के निपटान और 'वकीलों की शुल्क अनुसूची की नीतियों की समीक्षा कर उन्हें परिचालित किया गया है। 'वकीलों को सूचीबद्ध करने की नीति की समीक्षा कर उसमें स्थायी अधिवक्ता के नामांकन और विधिक प्रतिधारक की सेवाएँ लेने का विषय भी शामिल किया गया है। पच्चीस (25) परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंक पर लागू होने के लिहाज से अहमियत रखनेवाले माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के हाल के महत्वपूर्ण निर्णय, सरफेसी अधिनियम, 2002 में किए गए हाल के बदलाव, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) एवं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के गठन, शोध-अक्षमता एवं दिवालियापन कोड, 2016 (आईबीसी, 2016) पर सूचना जैसे विषयों का हवाला दिया गया है। बैंक के विरुद्ध विभिन्न विधिक मंचों पर दायर किए गए दावों का बारीकी से प्रतिवाद किया गया है। बैंक की वसूली बढ़ाने के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई के क्रमागत मार्गदर्शन, डीआरटी मामलों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करने की रणनीति और दिशानिर्देश द्वारा शाखाओं/अंचल कार्यालयों/ सर्किल कार्यालयों को सुग्राही बनाया गया है। विभिन्न चूककर्ता उधारकर्ताओं/ गारंटीकर्ताओं के विरुद्ध दायर मामलों की भी बैंक सावधानी से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

24. सरकारी कारोबार:

हमारे बैंक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना(पीएमजीकेवाई) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेवाईडीएस) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। पीएमजीकेवाईडीएस के तहत 185 घोषणकर्ताओं ने हमारे बैंक के माध्यम से 6.43 करोड़ जमा किए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीपीएफ में 8930(38%) और सुकन्या समृद्धि योजना में 6334(420%) की वृद्धि हुई है।

हमारी सभी शाखाओं द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना(एसजीबी) ट्रांच IV, V, VI एवं VII का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में हमारे बैंक ने रु 55.11 करोड़ की राशि के 179.43 किलोग्राम वजन के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जुटाकर ₹55.11 लाख की गैर-ब्याज आय अर्जित की। सरकारी कारोबार पर टर्न-ओवर कमीशन में वर्ष-दर-वर्ष 19%(3.91 करोड़) की वृद्धि हुई, साथ ही एसजीबी एवं एपीवाई पर भी कमीशन अर्जित किया गया।

शाखाओं/कार्यालयों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करके बहुत पुरानी बकाया पेंशन भुगतान की प्रविष्टियों को बहुत हद तक कम किया गया। केंद्रीय पेंशनरों के खातों में से 86% को आधार पंजीकृत किया गया। सभी केंद्रीय पेंशन भुगतान करनेवाली शाखाओं में पेंशनरों से डिजिटल जीवित प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के प्रावधान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 20638 डीएलसी प्राप्त हुईं।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एवं एपीवाई के लिए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन अंशदान देने की सुविधा कार्यान्वित की गई है। यूको ऑनलाइन के माध्यम से शाखाओं द्वारा प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी कार्यान्वित की गई है। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली(एनपीएस) सर्व नागरिक मॉडल हेतु 1851 शाखाओं को पीएफआरडीए के पास पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार की सभी योजनाओं का कारपोरेट वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। एलटीए(लाइफ टाइम एरियर) एवं आधार सीडिंग फील्ड को जीबीएम मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया है।

25. बैंक को प्राप्त हुए पुरस्कार:

- यूको बैंक को सीआईएमएसएमई द्वारा निम्नांकित श्रेणी के अंतर्गत जनवरी, 2017 के दौरान "एमएसएमई सर्वोत्तमता पुरस्कार-2016" प्रदान किया गया –

23.LEGAL MATTERS

Law Department has ensured with utmost diligence effective legal assistance in preparation of legal opinions, legal vetting, research and correspondence as required by bank from time to time. Policies on 'Settlement of Claims in respect of deceased account holders and missing persons' and 'Schedule of Advocate Fees' have been reviewed in line with industry standards and circularized. Policy on 'Empanelment of Advocates' has been reviewed to include nomination of Standing Counsel and engagement of legal retainer as well. Twenty five (25) Circulars have been issued highlighting, inter alia, the recent and important judgments of the Hon'ble Supreme Court and various other High Courts in relation to its applicability for the Bank, recent amendments in SARFAESI Act 2002, establishment of Special Courts under Section 435 of Companies Act, 2013, constitution of the National Company Law Tribunal (NCLT) and the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), information on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC,2016). The claim lodged against the Bank before various fora of law are defended by the Bank meticulously. Branches/Zonal Offices/Circle Offices have been sensitized using step by step guide to take action under SARFAESI Act, 2002, strategies and guidelines for effective monitoring and follow-up of DRT cases in order to augment Bank's recovery. Cases filed against various defaulting borrowers/ guarantors are closely followed up by the Bank.

24. Government Business:

Successfully implemented and operationalised Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) and Pradan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme(PMGKYDS) in our Bank. Under PMGKDS 185 Declarants have deposited 6.43 Crores through our Bank. There is an increase of 8930 (38%) accounts in PPF and 6334 (420%) accounts in SukanyaSamriddhi Scheme in the FY2016-17.

Successfully operationalized Sovereign Gold Bond Scheme (SGB) Tranche IV, V, VI and VII at all our Branches. Our Bank earned Non-interest income of ₹55.11 lacs by mobilising 179.43 Kgs worth of Sovereign Gold Bonds amounting to ₹55.11 crores in FY 2016-17. Achieved 19% (3.91Crore) Y-O-Y growth in Turnover commission on Government Business along with commission on SGB and APY.

Very old outstanding Pension Paid entries substantially reduced through consistent follow-up with Branches/Zones. Achieved 86% Aadhaar seeding in Central Pensioner's accounts.Provision to accept Digital Life Certificates (DLC) from Pensioners have been successfully implemented at all Central Pension paying Branches. 20638 DLCs received during the FY 2016-17.

Online Subscriptions facility through internet Banking for Sovereign Gold Bonds & APY has been implemented. Facility of downloading SGB certificate by Branches through UCO Online has been implemented. 1851 Branches have been registered with PFRDA for National Pension System (NPS) All Citizen model. Regular updation of Corporate website with respect to all Govt. of India Schemes. LTA (Life Time Arrears) &Aadhaar seeding field have been integrated in GBM module.

25.Awards to Bank:

- UCO Bank was awarded "MSME EXCELLENCE AWARDS-2016" by CIMSME under the below mentioned category during Jan'17:

➢ मझौले आकार के बैंकों के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना का सर्वश्रेष्ठ बैंक – विजेता

- बैंक को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विभिन्न एनपीसीआई उत्पादों के कुछ चुनिंदा पैरामीटरों में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को मान्यता देते हुए विशेष पुरस्कार दिया गया है।
- यूको बैंक को भारतीय बैंक संघ द्वारा 2016 की वार्षिक समाप्ति के लिए मझौले आकार के बैंकों में "सर्वोत्तम भुगतान पहल" श्रेणी के अंतर्गत उप-विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- यूको बैंक को एमआईएस डैशबोर्ड ऐप के लिए स्कॉच आर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड-2016 द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
- यूको बैंक को एचआरएमएस मोबाइल ऐप के लिए स्कॉच आर्डर ऑफ मैरिट अवार्ड-2016 द्वारा पुरस्कृत किया गया है।

26. भविष्य की योजना:

वित्तीय वर्ष 2016-17 बैंकिंग उद्योग के लिए परीक्षाकाल था। बैंक ने अपने संसाधन प्रखर बनाए, अपनी कार्यनीतियां ईजाद कीं ताकि आगामी भविष्य के लिए सतत उन्नतिशील कारोबार गति पकड़ सके। बैंक अपने रिटेल कारोबार, कासा जमा जुटाने और एनपीए वसूली पर बल देते हुए अपने प्रयास जारी रखेगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में, जिसमें कृषि एवं एमएसएमई अग्रिम भी शामिल हैं, बैंक अपने कार्य की गति को सशक्त रूप से बनाए रखेगा। ब्याजेतर आय बढ़ाने के लिए बैंक ने और अधिक गैर-निधि आधारित कारोबार जुटाने और बैंकाश्यूरेंस के तहत व्यापक बिक्री करने का लक्ष्य रखता है। बैंक अन्य परिचालन व्यय को कम करने के लिए भी हर संभव उपाय करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने अपने दिनांक 05.05.2017 के पत्र के माध्यम से अत्यधिक निवल एनपीए और ऋणात्मक आरओए को ध्यान में रखते हुए बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) करने का निर्णय सूचित किया है। पीसीए फ्रेमवर्क के तहत, बैंक एनपीए को कम करने तथा मुनाफे में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाएगा। लाभप्रदता बढ़ाने की कार्ययोजना के एक भाग के रूप में बैंक कासा बढ़ाकर जमा लागत में कमी करने का प्रयास करेगा। ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाते हुए मानकीकृत किया जाएगा। बैंक के स्पर्धाशील एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद जमा मिश्रण की प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभाएंगे और एनआईएम(निवल ब्याज मार्जिन) बढ़ाने में भी कारगर होंगे।

खाते अनर्जक न होने देने के लिए बैंक अतिदेय खातों पर कड़ी कार्रवाई को जरूरी मानता है। शुरुआती चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) को संज्ञान में लेना और उनका विश्लेषण तथा समयबद्ध प्रकार से सुधारात्मक कदम उठाना, कार्यक्षेत्र में जुटे कार्मिकों के लिए एनपीए ट्रैकर (एंड्रॉइड आधारित ऐप), डेलीआरपी (फिनैकल रिपोर्ट) आदि जैसे साधनों का विवेकसंगत उपयोग, साथ ही प्रत्येक स्तर पर ऋण निगरानी को समर्पित टीम का गठन आस्ति का गुणवत्तापरक विकास करेगा। बैंक सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल कर अनेक पर एक (एमएओ) पहल को काम में लाकर एनपीए वसूली में तीव्रता लाएगा। जल्द समाधान के लिए सॉफ्ट एनपीए को निशाना बनाया जाएगा।

अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए बैंक अपने कर्मचारी सदस्यों का कड़ी मेहनत भरा योगदान लेते हुए इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनी दृष्टि रखते हुए काम करेगा।

27. निदेशक मंडल

27.1 कार्पोरेट अभिशासन:

बैंक श्रेष्ठ कार्पोरेट अभिशासन में पूर्ण निष्ठा रखता है तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया है। यह अभिशासन बैंक के पारदर्शिता, कार्यदक्षता और जिम्मेदारी के मूलभूत मूल्यों के द्वारा सर्जित होता है। अपने रोजमर्रा के परिचालन में इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देते हुए बैंक शेयरधारक की मूल्यवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। चूँकि बैंक श्रेष्ठ अभिशासन के प्रति

➢ Best Bank for Promotional Scheme under Mid-Sized Bank-Winner.

- UCO BANK has been conferred with Special Award by National Payments Corporation of India (NPCI), recognising excellent performance of the Bank in in select parameters of various NPCI products.
- UCO BANK has been awarded the runners-up under the category of "Best Payments Initiatives" amongst mid-sized banks for the year ended 2016, by Indian Banks' Association (IBA).
- UCO Bank has been awarded Skoch Order of Merit Award - 2016 for MIS Dashboard App.
- UCO Bank has been awarded Skoch Order of Merit Award - 2016 for HRMS Mobile App.

26.FUTURE PLAN:

FY 2016-17 had been a testing year for the banking industry. The bank, honed its resources, devised its strategies to achieve sustainable and progressive business for the future years. Bank will continue its emphasis on retail business, mobilization of CASA, and NPA recovery. Bank intends to improve its momentum in priority sector advances, including Agriculture and MSME advances. To increase Non-interest income, Bank is aiming to mobilise more non-fund based business and aggressive sale of bancassurance. Bank, would also take all measures to reduce other operating expenses.

Reserve Bank of India (RBI), through its letter dated 05.05.2017, communicated its decision to put Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high Net NPA ad negative ROA. Under the PCA framwork, the bank will take steps to reduce NPA and improve profitability. As a part of action plan to improve profitability, Bank strives to reduce cost of deposits by increasing CASA. Customer service will be improved and standardized. Bank's competitive CASA and technology products will be instrumental in the process of improving deposit mix and hence in increasing NIM (Net Interest Margin).

Bank, emphasizes on rigorous follow-up of overdue accounts to avoid slippage. Capturing and analysis of Early Warning Signals (EWS) and initiating corrective measures in a time bound manner, Judicious use of tools like NPA Tracker (android based app), DAILYRP (finacle report) etc by the field functionaries, and formation of dedicated team for credit monitoring at each tier will improve asset quality. Bank will also use Many Against One (MAO) approach to use collective strength to speed up NPA recovery. Soft NPAs will be targeted for speedy resolution.

Bank will focus on these key areas, by involving all staff members to contribute with rigour, for the bright future of Bank.

27.BOARD OF DIRECTOR

27.1. Corporate Governance

Bank firmly believes in and has consistently practised good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being

वचनबद्ध है, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए कई बोर्ड समितियाँ गठित की हैं। बैंक की प्रणालियों एवं कारोबार प्रक्रियाओं के कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हैं, को पहचानने एवं उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का विश्वास है कि श्रेष्ठ अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों एवं निवेशकों का भरोसा, निष्ठा एवं साख अर्जित करने का तथा व्यापक तौर पर समाज का आदर पाने का मूल मंत्र है।

27.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन:

- श्री सुनील कुमार माहेश्वरी अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 21.06.2013 से 20.06.2016 तक निदेशक मंडल में रहे।
- श्री सलाहुद्दीन अंसारी अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में 26.06.2013 से 25.06.2016 तक निदेशक मंडल में रहे।
- श्री अनिल शर्मा सीए निदेशक श्रेणी के अंतर्गत अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में 30.07.2016 से नामित किए गए हैं।

27.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 10 बैठकें हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशक मंडल की अन्य अनेक समितियों की बैठकों की संख्या नीचे दी जा रही है:

committed to the principles of good governance, its Board ofDirectors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and alsoto have respectable position in the society at large.

27.2. Changes in the Board of Directors

- Mr Sunil Kumar Maheshwari served as Part-time Non-official Director in the Board from 21.06.2013 to 20.06.2016.
- Mr Salahuddin Ansari served as Part-time Non-official Director in the Board from 26.06.2013 to 25.06.2016
- Mr Anil Sharma has been nominated as Part-time Non-official Director under CA Director category w.e.f.30.07.2016.

27.3. Meetings of the Board of Directors

During the financial year 2016-17, Bank had 10 meetings of the Board of Directors. The number of meetings of various other committees of the Board held during the year 2016-17 is given below:

क्रम सं. Sl.No	समिति का नाम Name of the Committee	हुई बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	13
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	8
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	4
4.	निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति/Stake holders' Relationship Committee of the Board	2
5.	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति/Share Transfer Committee of the Board	4
6.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति/ Special Committee for Monitoring Large Value Frauds	5
7.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	4
8.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank	Nil
9.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति/Nomination Committee of the Board	2
10.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति/Remuneration Committee of the Board	Nil
11.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	5
12.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	5
13.	निदेशक मंडल की अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases	3

27.4 निदेशकों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय और प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं। कारोबार का व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण लागू किए गए हैं।

27.4. Statement of Directors' Responsibilities

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2017, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2017. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. International financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

27.5 आभार

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु निवर्तमान निदेशकों नामत: श्री सुनील कुमार माहेश्वरी एवं श्री सलाहुद्दीन अंसारी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। बोर्ड नए निदेशक श्री अनिल शर्मा का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझाव की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक : 30 मई, 2017 (श्री आर. के. टक्कर)
स्थान : कोलकाता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

27.5. Acknowledgements

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made by outgoing Directors namely, Mr. Sunil Kumar Maheshwari and Mr Salahuddin Ansari. The Board welcomes the new Director, Mr Anil Sharma and looks forward to his valuable inputs towards growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other financial institutions and correspondent banks for their co-operation.

The Board of Directors expresses its gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the staff unions/associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank.

(R.K.Takkar)

Date: 30th May, 2017
Place : Kolkata

Managing Director &
Chief Executive Officer

दिनांक 31.03.2017 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक

KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2017

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011
कुल जमा/Total Deposits	201285	207118	214337	199534	173431	154003	145278
कुल अग्रिम/Total Advances	131655	135508	151812	153163	131569	117504	100561
कुल कारोबार/Total Business	332940	342626	366149	352697	305000	271507	245839
निवेश/Investment	74768	84512	69231	67846	52515	46185	43124
ब्याज आय/Interest Income	16326	18561	19359	18230	16752	14632	11371
ब्याज व्यय/Interest Expenditure	12509	13713	13797	12171	12170	10730	7526
निवल ब्याज आय/Net Interest Income	3817	4848	5562	6059	4582	3902	3845
परिचालन लाभ/Operating Profit	2926	3603	4910	4940	3357	2811	2695
निवल लाभ/Net Profit	-1851	-2799	1138	1511	618	1109	907
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	65.41	65.43	70.83	76.76	75.86	76.30	69.22

दिनांक 31.03.2017 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं

FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2017

विवरण / Particulars कारोबार मानदंड/Business Parameters	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011
कुल आय के %रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	20.70	24.05	26.04	30.99	25.88	25.02	31.27
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	5.83	6.11	6.35	6.17	7.12	7.30	5.74
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	9.60	10.17	9.92	9.91	10.63	11.28	10.00
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	1.56	2.16	2.35	2.82	2.34	2.77	3.07
पूंजी पर्याप्तता (%) Capital Adequacy (%)							
बासेल- III/BASEL - III	10.93	9.63	12.17	12.68			
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	107.26	111.35	121.24	121.87	116.95	113.60	111.44
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	13.48	13.81	15.51	15.28	13.43	12.47	11.36
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	17.12	15.43	6.76	4.32	5.42	3.48	3.13
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	8.94	9.09	4.30	2.38	3.17	1.96	1.84
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	-0.75	-1.25	0.48	0.70	0.33	0.69	0.66
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	66.86	94.43	111.00	104.85	97.19	94.72	82.00
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	-13.29	-26.03	11.20	*19.44	*6.28	*15.02	*14.29

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

कारोबार दायित्व रिपोर्ट
BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

खंड अ : कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी/

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN) of the Company	लागू नहीं Not applicable
2.	कंपनी का नाम/Name of the Company	यूको बैंक/UCO BANK
3.	पंजीकृत पता/ Registered address	10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता– 700 001 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
4.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
5.	ई-मेल आईडी / E-mail id	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
6.	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष / Financial Year reported	2016-17
7.	वे क्षेत्र जिनमें कंपनी सक्रिय है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि) Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	यूको बैंक बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। देश भर में फैली 3104 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के साथ यूको बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की संवृद्धि में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है - कृषि, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य आदि, इस मिशन के साथ कि कारोबार और लाभप्रदाता में निरंतर वृद्धि होती रहे, सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियाँ पूरी की जा सकें, अत्याधुनिक तकनीक एवं कुशल मानव संसाधनों का इस्तेमाल करके उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान की जाए। UCO Bank is established under Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. UCO Bank with a network of more than 3104 branches spread across the country, participate actively in the growth of all segments of the economy- Agriculture, Industry, Trade & Commerce, Service Sector, Infrastructure Sector etc., with a mission to achieve sustained growth of business and profitability, fulfilling socio-economic obligations, excellence in customer service making use of state-of-the-art technology and skilled human resources.
8.	ऐसे तीन उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी निर्मित / आपूर्ति करती है List three key products/services that the Company manufactures/provides	यूको बैंक व्यापक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ देने में लगा है जिसमें रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग एवं कोष प्रचालन शामिल हैं। UCO Bank is engaged in providing wide range of banking and financial services including Retail Banking, Corporate Banking Treasury Operations.
9.	वे स्थान जहाँ कंपनी ने कारोबारी कार्यकलाप करना तय किया है Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of International Locations ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या Number of National Locations	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का देश भर में 3100 शाखाओं का नेटवर्क है तथा विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर केंद्रों पर चार शाखाएँ हैं। As on 31.03.2017, UCO Bank has a net-work of 3100 branches spread across India and four overseas branches situated at Hong Kong and Singapore centres.
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय Markets served by the Company - Local/State/National/ International	यूको बैंक का ग्राहक वर्ग देसी एवं विदेशी केंद्रों में स्थित है। UCO Bank has clients in National and International locations.

खंड आ : कंपनी का वित्तीय ब्योरा / SECTION B : FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	चुकता पूँजी / Paid up Capital	₹1559.72 करोड़ / crores
2.	कुल टर्नओवर / Total Turnover :	₹332939 करोड़ / crores
3.	कर पश्चात कुल लाभ (हानि) /Total profit (loss) after taxes :	₹ (-) 1850.67 करोड़ / crores
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया कुल व्यय Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व पर ₹ 20.85 करोड़ व्यय किया गया। ₹20.85 crore spent on Corporate Social Responsibility
5.	कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है : List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :	बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यकलाप संचालित किए। इनमें से कुछ की सूची सिद्धांत 8 के तहत दी गई है। Bank took up several activities under Corporate Social Responsibility. Few of the activities are listed under Principle 8.

* वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद उल्लेख किया जाएगा।
* Will be inserted subsequent to completion of audit of the financial statements.

खंड इ : अन्य ब्योरे / SECTION C : OTHER DETAILS

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं ? Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	नहीं / No
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ वर्तमान कंपनी की कारोबार दायित्व पहल में शामिल होती हैं ? यदी हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें : Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company (s):	लागू नहीं / Not Applicable
3.	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएँ (यथा : आपूर्त्तिकर्ता, वितरक), जिसके साथ कंपनी कारोबार करती है, कंपनी के कारोबारदायित्व में शामिल होती हैं ? यदी हाँ, तो ऐसी संस्था / संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30-60%, More than 60%) :	नहीं / No

खंड ई : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के प्रति उत्तरदायी निदेशा/निदेशकों के ब्योरे।

क) कारोबार दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के ब्योरे।

- डीआईएन : 07186055
- नाम : श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर
- पदनाम : कार्यपालक निदेशक

ख) कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे

SECTION D : BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR Policy/Policies.

- DIN : 07186055
- Name : Shri G. Subramania Iyer
- Designation : Executive Director

b) Details of the BR head

क्रम सं.	विवरण	ब्योरे
1	डीआईएन (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री रॉनी गुप्ता
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	दूरभाषा संख्या	44558060
5	ई-मेल आईडी	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri Ronnie Gupta
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	44558060
5.	E-mail id	hopdev.calcutta@ucobank.co.in

2. सिद्धांतवार कारोबार दायित्व नीति/नीतियाँ / Principle-wise BR Policy/policies

क्र.सं. Sr.No.	प्रश्न / Questions	राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के सिद्धांत Principles of National Voluntary Guidelines (NVG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.	क्या उक्त सिद्धांत हेतु आपकी कोई नीति/नीतियाँ हैं ? Do you have a policy/policies for the said principle?	हाँ / Yes
2.	क्या यह नीति संबद्ध जोखिम धारकों के परामर्श से बनाई की गई है ? Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	हाँ / Yes
3.	क्या यह नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? Does the policy conform to any national /international standards?	बैंक की कारोबार दायित्व नीतियाँ सामान्यत: भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर सम्यक विचार कर बनाई जाती हैं । The Business Responsibility Policies of the Bank are generally formulated duly considering the guidelines issued by Government of India, Reserve Bank of India from time to time.
4.	क्या यह नीति बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है ? Has the policy being approved by the Board?	हाँ / Yes
5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु कंपनी में बोर्ड/निदेशक/ अधिकारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है ? Does the company have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	हाँ / Yes
6.	ऑनलाइन देखी जानेवाली नीति के लिंक का उल्लेख करें ? Indicate the link for the policy to be viewed online?	https://www.ucobank.com/about-us
7.	क्या इस नीति को सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है? Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	हाँ। कारोबार दायित्व सिद्धांतों से संबंधित नीतियाँ बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारक समूहों के साथ की जानेवाली बैठकों में हितधारकों को इन नीतियों के बारे में अवगत कराया जाता है। Yes. The policies relating to the Business Responsibility principles are uploaded on the Bank's website. Stakeholders are kept informed about these policies at the meetings with the relevant internal and external stakeholders groups.
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की कोई आंतरिक संरचना है? Does the company have in-house structure to implement the policy/policies	हाँ / Yes
9.	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारक शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कंपनी की नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण प्रणाली है? Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	हाँ / Yes
10.	क्या किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा कंपनी ने इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/आकलन करवाया है? Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	कारोबार दायित्व के सिद्धांतों के तहत बैंक द्वारा किए गए कार्यकलापों को उनकी समीक्षा/आकलन के लिए बोर्ड/उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है। The activities taken up by the Bank under the principles of Business Responsibility are reported to the Board/Top Management for its review/evaluation.

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- कंपनी के बीआर निष्पादन का निर्धारण करने हेतु निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ की बैठकों की बारंबारता बताएँ। 3-6 माह के अंदर, वार्षिक, एक वर्ष से अधिक ।

- क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की अवधि क्या है?

बैंक वर्ष में एक बार बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक http://www.ucobank.com/about us है।

खंड उ : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अनुरूप किया जाना चाहिए।

बैंक की कारोबार नीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत मूल्यों के ताने बाने से बनाई गई हैं। कारपोरेट अभिशासन मानकों की विस्तृत जानकारी वार्षिक रिपोर्ट के 'कारपोरेट अभिशासन की रिपोर्ट भाग में देखी जा सकती है।

बैंक ने निदेशक मंडल में मौजूद अपने निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता गठित की है जिनमें सत्यनिष्ठ एवं नैतिक आचार के उच्चतम मानकों का अनुपालन विहित किया गया है। इसमें वैयक्तिक और व्यावसायिक संबंधों के वास्तविक अथवा आभासी हितपरक टकरावों के साथ निर्वाह की समुचित और नैतिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। बैंक के निदेशक मंडल ने यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 बनाए हैं जिनमें बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के आचार की मर्यादा की गई है।
उपर्युक्त के अलावा बैंक नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार के संबंध में मूलत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग (लिंक :http://cvc.nic.in/ man04.pdf) द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुसरण करता है।

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :

1. क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है? क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारोंएनजीओ/अन्य तक भी है?

नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीतियाँ बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होती हैं । बैंक का कोई सहयोगी निकाय या संयुक्त उद्यम नहीं है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में से कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितना प्रतिशत शिकायतें प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं?

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक ग्राहक शिकायत नीति लागू की है जिसका उद्देश्य समुचित सेवा, सुपुर्दगी एवं समीक्षा प्रणाली के जरिए ग्राहक शिकायतों को न्यूनतम पर ले जाना तथा उनका जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित करना है। यह नीति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

ग्राहक सेवा बेहतर बनाने के संबंध में नीतियों की समीक्षा, साथ ही बैंक

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3-6 months, Annually, More than 1 year

Annually

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

Bank publishes BR report annually. The hyperlink for viewing the report is http://www.ucobank.com/about us

SECTION E : PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

The Bank's business policies are woven around the core values of transparency and professionalism. Details of corporate governance standards can be found in the 'Report on Corporate Governance' section of annual report.

Bank has laid down Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management that envisages adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships. Board of the Bank framed UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 which envisages conduct of the officer employees of the Bank.

Besides the above, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf) in relation to ethics, bribery and corruption.

Response to principle-wise performance :

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The policies relating to ethics, bribery and corruption covers the Bank and its employees. Bank does not have subsidiaries or joint ventures.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management ?

Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, with an aim to minimise instances of customer complaints and grievances through proper service, delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances. The Policy is made available on Bank's website.

Customer Service Committee of the Board has been constituted

द्वारा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करनेवाले मुद्दों की जांच के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गई है।

इसके अलावा, बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) (आंतरिक बैंकिंग लोकपाल) नियुक्त किया है जिसका उद्देश्य बैंक ग्राहकों को अपनी ऐसी शिकायतों पर एक स्वतंत्र मध्यस्थ उपलब्ध कराना है जो बैंक द्वारा किए गए समाधान से सहमत न हों।

वित्तीय वर्ष (2016-17) के दौरान 18991 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 18704(98.48%) का संतोषजनक समाधान किया गया।

सिद्धांत 2: कारोबार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो निरापद हों और अपने पूरे जीवन काल में धारणीयता बनाए रखें।

किसी भी संगठन की सफलता ऐसे सही उत्पादों को विकसित करने पर टिकी होती है जो उसके ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप हों। देश की आर्थिक संवृद्धि को संचालित करने में बैंकिंग उद्योग की कांटे की भूमिका होने के चलते यह उद्योग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए निरंतर वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ ईजाद करने में लगा रहता है, चाहे वह कारपोरेट या एमएसएमई क्षेत्र हो, चाहे निर्यात, कृषि, आधार-संरचना या व्यक्तिगत क्षेत्र।

और विश्वसनीय भविष्य गढ़ने के लिए बैंक समाज की बदलती जरूरतों और ग्राहक प्राथमिकताओं के हिसाब से प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम इस्तेमाल करते हुए निरंतर अपने उत्पादों और सेवाओं में नवीनता लाता रहता है।

ग्राहक सेवा में प्रौद्योगिकीगत पहल के रूप में बैंक ने यूको सारथी नामक टैब आधारित माइक्रो एटीएम समर्थित रूपे कार्ड लेन-देन की शुरूआत की है। इनका उपयोग बीसी एजेंटों (बैंक मित्र) द्वारा बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत शृंखला की पेशकश के लिए किया जाता है। ये माइक्रो एटीएम बड़ी संख्या में बैंकिंग सेवाओं से लैस हैं, जिनमें शामिल हैं बैंक ग्राहक के खाते से ऑनलाइन आरडी एवं एफडी खोलना, आधार समर्थित सेवाएँ, ई-केवाईसी, रूपे कार्ड पिन आधारित लेन-देन, विद्यमान एवं असूचित दोनों प्रकार के ग्राहकों के लिए आईएमपीएस प्रणाली द्वारा तत्काल विप्रेषण, मोबाइल रीचार्ज एवं अन्य बिल भुगतान, पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई जैसे माइक्रो बीमा उत्पाद तथा एपीवाई (अटल पेंशन योजना) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ।

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की अनुक्रिया:

1. अपने 3 ऐसे उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएँ जिनकी डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिम और/या अवसरों को समाविष्ट किया गया है:

बैंक के उत्पादों और सेवाओं से समाज को किसी भी तरह का जोखिम नहीं होता। उसके उलट वे रोज़गार के अवसर प्रदान करके तथा देश के आर्थिक विकास द्वारा समाज के लिए मददगार होंगे। कुछ उत्पाद पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान को सामने रखकर लेकर तैयार किए गए हैं। इनमें पवनचक्की, सौर ऊर्जा आदि के कार्यकलापों में संलग्न सतत ऊर्जा (ग्रीन ऊर्जा) कंपनियों का वित्त पोषण शामिल है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद की इकाई देकर (वैकल्पिक) संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्न विवरण प्रदान करें:

i. पिछले वर्ष से समूची मूल्य शृंखला में स्रोत प्राप्ति/उत्पादन/संवितरण के दौरान कमी? लागू नहीं

for review of policies in regard to improving customer service and also to examine issues having a bearing on the quality of customer service rendered by the bank.

Further to strengthen the internal Grievance Redressal mechanism of the Bank, the Chief Customer Service Officer (CCSO) (Internal Banking Ombudsman) has been appointed by the Bank with the objective of enabling customers of the Bank to access an independent arbitrator for their complaints, when they are not satisfied with the resolution provided by the Bank.

During the financial year (2016-17), 18,991 customer complaints were received, out of which 18,704 (98.48%) were satisfactorily resolved.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

Success of the organisation largely relies upon developing right kind of products that suits the needs of its customers. Banking Industry being the key player in driving the economic growth of the country continuously strives to develop financial products and services for different sectors of the economy whether it is corporate or MSME sector, exports, agriculture, infrastructure or the personal segment.

In order to build more sustainable future, Bank continuously brings in innovation in its products and services for meeting the changing needs of the society and customer preferences by making best use of technology.

As a part of technological initiatives in customer service, Bank launched RuPay Card transaction enabled Tab based Micro ATM called UCO SARATHI, which can be used by BC Agents (Bank Mitr) for offering a wide range of Banking Services. These Micro ATMs are equipped with plethora of banking services including online opening of RD & FD to Bank's customer. Aadhaar enabled services, E-KYC; RuPay Card PIN based transactions; real time Remittance through IMPS system for both existing and walk-in customer, mobile recharge and other bill payments; Micro Insurance products like PMJJBY & PMSBY and social security schemes like APY (Atal Pension Yojna).

Response to principle-wise performance :

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and /or opportunities :

Products & Services of the Bank do not pose any risk to the society at large. Rather they would be helpful to the society in providing employment opportunities and economic development of the country. Few loan products are designed to address environmental concerns which include finance to renewable energy (green energy) companies involved in the activities of Wind Mills, Solar Energy etc.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) put unit of product (optional) :

i. Reduction during sourcing/production/distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
NA

ii. पिछले वर्ष से ग्राहकों द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) में कमी आई है?
लागू नहीं

3. क्या कंपनी में सतत स्रोत-प्राप्ति (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ लागू हैं?
लागू नहीं

4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय भी शामिल हैं?
लागू नहीं

5. क्या कंपनी में उत्पादों और कचरे के पुनरुपयोग की कोई व्यवस्था है? यदि हाँ तो उत्पादों और कचरे के पुनरुपयोग का प्रतिशत क्या है (<5%, 5-10%, >10% अलग-अलग दर्शाएँ)? इसके साथ ही, लगभग 50 शब्दों में विस्तृत जानकारी दें।
बैंक विनिर्माण इकाई नहीं है और उसके कार्यालयों से निकले कचरे का प्रबंधन कचरे की निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करके किया जाता है।

सिद्धांत 3: कारोबार से सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन होना चाहिए।

यूको बैंक का विजन है कि यह अपने कर्मचारी के लिए ऐसा कार्यस्थल दे जिस पर उन्हें गर्व हो। इस दृष्टि से बैंक काम करता है तथा अपने कर्मचारी सदस्यों और उनके कल्याण को सर्वाधिक महत्व देता है।

समानता का सिद्धांत:

बैंक की सेवा में भर्ती के लिए चयन का मूल आधार मेधा और सक्षमता होता है। सभी अभ्यर्थियों का निर्णय मेधा के आधार पर किया जाता है। पदोन्नति की प्रक्रिया में जाति, पंथ, लिंग, नस्ल, धर्म और विकलांगता, यदि हो, से ऊपर उठकर सभी अभ्यर्थियों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों और बैंक की निर्धारित नीति के अनुसार समान अवसर दिया जाता है।

कर्मचारी संख्या:

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या 24620 जिसमें से 5610 महिलाएँ तथा 497 विकलांगकतायुक्त हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि बैंक बाल श्रम, बलात श्रम या भुगतान पर अथवा बेगार, किसी भी रूप में अनैच्छिक श्रम द्वारा काम नहीं लेता है। हम समय–समय पर सरकार के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हैं। सभी कर्मचारियों को इसकी छूट है कि वे जिस किसी भी यूनियन का सदस्य बनें या न बनें। परंतु अधिकांश कर्मचारी किसी न किसी यूनियन के सदस्य हैं।

कर्मचारी लाभ और कार्य-जीवन संतुलन:

अपने कर्मचारी के प्रति अपने विज़न को साकार करने के लिए बैंक अनेक कर्मचारी कल्याण योजनाएँ संचालित करता है। इनमें से कुछ हैं भविष्य निधि, उपदान, पेंशन, चिकित्सा लाभ, रियायती ब्याज दर पर अग्रिम, जमा पर उच्चतर ब्याज दर, हॉलिडे होम, आदि। इस मामले में कर्मचारी और उसके पारिवारिक सदस्य, दोनों की कल्याण योजनाएँ शामिल हैं, जैसे यूको डायमंड जुबली स्कॉलरशिप योजना और पुरस्कार योजना। इनके अलावा बैंक के पास महिला अधिकारी के लिए विकल्प की नीति है जो विवाहित अधिकारी के मामले में अपने जीवन संगी के साथ रहने अथवा अविवाहित अधिकारी के मामले में अपने अभिभावकों के पास रहने के लिए पदस्थापनागत बदलाव द्वारा अपने पसंदीदा अंचलों में जाने का है। ये कल्याणकारी अवसर, खासकर कैन्टीन सब्सिडी, शिक्षा, चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती आदि के साथ मासिक स्वास्थ्य बुलेटिन

ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?
NA

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?
NA

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?
NA

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, that is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Bank is not a manufacturing unit and the waste generated in its offices is managed by following the procedures for disposal of wastes.

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees

One of the Vision of UCO Bank is to become a place of pride for its employee. With this vision Bank function and gives utmost importance to its staff members and their wellbeing.

Principal of equality:

During recruitment in Bank's service merit and competency is the core criteria for selection. All candidates are judged according to merit. In promotion process equal opportunity is being given to all applicants irrespective of caste, creed, gender, race, religion and disability, if any, as per GOI guidelines and laid down policy of the Bank.

Employee Strength:

As of 31st March 2017, the total count of employees is 24620, out of which 5610 are women employee and 497 are persons with disability. It is needless to mention that Bank does not engage child labour, forced labour or any form of involuntary labour paid or unpaid. We adhere to the Govt. Guidelines issued time to time. There is liberty to all employees to be a member of any union or not. However, most of the employees are member of some union.

Employee Benefits and Work Life Balance :

To enact the vision of the bank for its employee, bank runs several employee welfare schemes. It includes provident fund, gratuity, pension, medical benefits, concessionary interest rate advance, higher interest rate on deposits, holiday homes etc., are few one to site. In this ordeal it includes both the welfare schemes of employee as well as their family members namely UCO Diamond jubilee Scholarship scheme and Prize Scheme. Besides this bank has a policy for option provided to lady officer for change of posting to their choice zones either to join their spouse in case of married officer or for joining their parents in case of unmarried officer. These welfare measures specially canteen subsidy, education, medical & hospitalization etc. supplemented by monthly health

है जिससे प्राप्त जानकारी कार्य-जीवन के संतुलन में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त बैंक अपने कर्मचारी सदस्यों के साथ स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, बैंक का स्थापना दिवस मिलकर मनाता है।

कार्यपरक वातावरण :

हालांकि बैंक अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित, स्वच्छ, मानवीय दृष्टि से गरिमापूर्ण कार्यस्थल वातावरण प्रदान करता है, परंतु खासकर महिला अधिकारियों के लिए बैंक ने यौन उत्पीड़न निवारण समिति के साथ शिकायत निवारण प्रणाली भी गठित की है जिसके द्वारा इन मामलों से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है। ऐसे उपायों के चलते कर्मचारी बैंक में अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में सुरक्षित महसूस करते हैं।

कार्यदक्षता एवं स्पर्धात्मकता उन्नयन :

प्रशिक्षण मानव संसाधनों के व्यवहार और दृष्टिकोण को समुचित रूप देने के अतिरिक्त उनको पर्याप्त कार्यपरक ज्ञान और दक्षता से लैस करने का एक साधन है। प्रशिक्षणगत जरूरत का आकलन कर तदनुसार सभी कर्मचारियों को बाह्य संस्थानों और बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों, दोनों ही में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। बैंक में कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक में एक सेंट्रल स्टाफ कॉलेज और चंडीग़ढ, भोपाल, दुर्गापुर, जयपुर, चेन्नै, भुवनेश्वर एवं अहमदाबाद में 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। इनके अलावा, उभरती जरूरतों को पूरा करने या क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए स्थानिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इससे कर्मचारियों को अपना ज्ञान अद्यतन करने और अपने कौशल का विकास करने का अवसर मिलता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 14006 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

सिद्धांत 4: कारोबारों को चाहिए कि वे सभी हितधारकों, खासकर वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों के हितों का आदर करें और उन पर त्वरित प्रतिक्रिया दें।

बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के साथ सुदृढ़ संबंध रखता है। इसके लिए वह अपने द्वारा पेश की गई सेवाओं में नवाचारिता बढ़ाते हुए उनको समझ-बूझकर निर्णय लेने के अवसर देता रहता है। विभिन्न स्तरों पर बैंक अपने हितधारकों, जैसे निवेशकों और हितधारकों, ग्राहकों और क्लाएन्टों, कर्मचारियों, सरकार एवं नियामकों, समुदायों तथा एनजीओ के साथ निरंतर संपर्क रखता है। ग्राहक सेवा में उत्तमता हासिल करने के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जैसे संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चौबीसों घंटे के कॉल सेंटरों की स्थापना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा बैंक के उत्पादों से जुड़ी विशिष्टताओं के बारे में ग्राहकों को अवगत कराना। बैंक ने कर्मचारियों से संपर्क करने और उनके ज्ञान वर्धन के लिए पोर्टल बनाए हैं।

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :

1. क्या कंपनी ने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का खाका तैयार किया है? हाँ।

2. उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान की है? हाँ।

3. क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों को अपने साथ लेकर चलने की कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें।

समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे एवं सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, गैर-संस्थागत उधारदाताओं के कर्जदार संकटग्रस्त किसानों, विकलांगता युक्त व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों आदि की

bulletin contribute in maintaining work life balance. Besides this Bank along with its staff members celebrate Independence Day, Republic Day, Bank's foundation Day together.

Working Environment :

Though Bank provides safe, hygienic, humane dignified work place environment to all its employee but specially for lady officers bank has established Sexual Harassment Redressal Committee as well as grievance redressal system for redressal of complaints relating to these matters. These measures enable employees to feel safe and secure in discharging their responsibilities at Bank.

Skill and competence upgradation :

Training is a tool to equip the human resources with adequate job knowledge and skill besides shaping their behaviour ad attitude. Training need is being assessed and accordingly all the employees are imparted with training at both external Institute and Bank's training centres. Bank has one Central Staff College situated at Kolkata Salt Lake and 7 Regional Training Centres at Chandigarh, Bhopal, Durgapur, Jaipur, Chennai, Bhubaneswar and Ahmedabad. Besides this, to meet emerging demands or region specific training, locational training is also carried out. This enables the employees to keep their knowledge updated as well as sharpen the skills. Total 14006 numbers of employees have been trained in Financial Year 2016-17.

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised.

Bank builds strong relationship with internal as well as external stakeholders by continuously engaging with them for making informed decisions in enhancing innovation in services offered. Bank at its various levels frequently engages with its stake holders viz Investors and Shareholders, Customers and Clients, Employees, Government and Regulators, Communities and NGOs. To achieve excellence in customer service, Bank has taken up measures like appointment of Relationship Managers, establishment of 24 x 7 Call centre to address any queries of the customers, conducting training programmes to employees and educating customers about various special features associated with the products of the Bank. Bank has developed portals to communicate with the employees and to enrich their knowledge.

Response to principle-wise performance:

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes.

2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders? Yes

3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

   Several initiatives aiming at economic prosperity of the weaker sections of society viz small and marginal farmers, artisans, scheduled castes and scheduled tribes, distressed farmers

आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के सकल लक्ष्य के दायरे में ही ऐसे हितधारकों को ऋण का समुचित और बराबरी का हिस्सा उपलब्ध कराया जा रहा है।

सिद्धांत 5 : कारोबार मानव अधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करें।

बैंक मानवाधिकारों का सम्मान करता है और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के आत्म-गौरव का विधिवत आदर करता है। बैंक ने न्यायसंगत कार्यपद्धति संहिता अपनाई है जिसमें अच्छी एवं न्यायसंगत बैंकिंग कार्यपद्धतियाँ, सेवाओं और उत्पादों में पारदर्शिता जैसे पहलू शामिल हैं। बैंक की नियुक्ति नीति में बाल श्रम, बलात श्रम की नियुक्ति/से काम लेने को अनुमति नहीं है। इसके अलावा बैंक में प्रधान कार्यालय स्तर पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निस्तार के लिए आंतरिक शिकायत समिति है। बैंक जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी कर्मचारी या ग्राहक के साथ भेदभाव नहीं करता तथा इस मामले में सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है।

1. कंपनी मानवाधिकार नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ?
   लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटा दी गईं?

   शून्य

सिद्धांत **6 :** कारोबार पर्यावरण का सम्मान, रक्षा करें और उसे बचाने के प्रयास करें।

अपनी न्यायसंगत उधारी के माध्यम से यूको बैंक पर्यावरण और समाज को व्यापक रूप से योगदान करता है। जिन परियोजनाओं में पर्यावरणीय विचार मायने रखते हैं उनको ऋण देने के पहले विभिन्न स्तरों पर उनकी बारीकी से जांच की जाती है। बैंक ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देता है जो सतत विकास, अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, कचरे का न्यूनतम उत्पन्न होना, प्रदूषण से बचाव, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कारगर ऊर्जा कार्यक्षमता, मानव स्वास्थ्य की देखभाल और ऐसे ही अनेक प्रकारों से पर्यावरण के प्रति अपना सरोकार प्रदर्शित कर समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करती हैं। इसके अतिरिक्त बैंक इसकी भी निगरानी करेगा कि उसके ग्राहक अपनी परियोजनाओं के परिचालन में पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करें।

बैंक अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को सर्वोत्तम स्तर तक कागज के इस्तेमाल को न्यूनतम करके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर रुख करके कागजरहित बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्राहकों को ई-विवरणी प्रदान करने, ऑनलाइन के जरिए खाते खोलने और अपने आंतरिक कामकाज में भी इस पहल को अमल में लाया जा रहा है।

बैंक अपने परिचालनों में इस्तेमाल होनेवाले प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रत्यावर्तन और प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरणीय प्रयोजनों को सर्वोत्तम तरीके से साकार करने के लिए प्रयासरत है। बैंक अपने कर्मचारियों को प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी न होने देने के प्रति भी सजग रखता है। कार्बनिक उत्सर्जन घटाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए बैंक ने अपने कई कार्यालयों में सीएफएल और एलईडी लाइट, इको-फ्रेंडली शीतक गैस युक्त एयर कंडीशनर लगवाए हैं। प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए कुछ शाखाओं में ग्रीन जनरेटर भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। बैंक के कुछ फिक्सचरों में अनुपयोगी लकड़ी के उत्पादों से बने पार्टिकल बोर्ड जैसे उत्पाद इस्तेमाल किए गए।

indebted to non institutional lenders, persons with disabilities, minorities etc., are taken through extending fair and equitable portion of credit to these stakeholders within the overall target of Priority Sector.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights.

Bank respects human rights and acts without discrimination duly respecting the dignity of every individual. Bank adopted Fair Practice Code which covers the aspects like good & fair banking practices, transparency in services and products. The recruitment policy of Bank does not allow recruitment/engagement of Child labour, forced labour. Besides this, Bank has Internal Complaints Committee for Redressal of complaints on Sexual Harassment at Head Office level. Bank does not discriminate either staff or customer on the basis of caste, creed, gender or religion and strictly follows the Govt. Guidelines in this matter.

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/Others?

   Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

   Nil.

Principle 6: Businesses should respect , protect and make efforts to restore the environment.

UCO Bank through its judicious lending contributes greatly to the environment and to the society. The projects that take environmental considerations are scrutinized thoroughly at various levels before lending. Bank encourages projects that show its concern for the environment in the form of sustainable development, use of renewable natural resources, waste minimization, pollution prevention, occupational health and safety, energy efficient, care of human health and many similar attributes that tries for the betterment of the society. Further, bank will also monitor that its clients comply with the environmental norms while operating their projects.

Bank encourages employees and its clients to resort to paperless banking by minimising paper work to the optimum level and following electronic media in the areas of customer service like providing e-statements to the customers, opening of the accounts through online, and also in its internal functioning.

Bank endeavours to optimise environmental footprint by conserving, restoring, and replacing the natural resources used in its operations. Bank encourages its employees to prevent wasteful use of natural resources. In order to reduce carbon foot print and to conserve energy, Bank installed CFL & LED lights, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners in several of its offices. Green Generators are being used in few of the branches to minimise pollution. Products like particle boards made out of waste wood products were used for some of Bank's fixtures.

बैंक अपने परिसर और परिचालन के मामले में लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करता है। वह पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए स्थानीय एवं केंद्रीय सरकार द्वारा की जा रही पहलों में अपनी भागीदारी निभाता है।

1. सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में मात्र कंपनी शामिल है अथवा या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी है ?

   लागू नहीं। बैंक में कोई भी सहयोगी निकाय नहीं है।

2. क्या कंपनी में पर्यावरणीय बदलाव, वैश्विक ताप आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने के लिए नीतियाँ/पहल हैं ?

   उत्तर उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है।

3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और पकड़ करती है ?
   उत्तर उपर्युक्त सिद्धांत 6 के अंतर्गत समझाए गए अनुसार है।

4. क्या कंपनी में स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है ?
   कोई नहीं

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कार्यक्षमता, अक्षय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई पहल की है ?

   लागू नहीं

6. रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न निकासी पदार्थ/कचरा सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा प्रदत्त अनुमत सीमाओं के अंदर हैं ?

लागू नहीं

7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/वैध नोटिसों की संख्या जो लंबित (यानी जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ) हैं ?

   लागू नहीं

सिद्धांत 7: सार्वजनिक नियामक नीतियों को प्रभावित करने में कारोबारों को जिम्मेदार तरीके से पेश आना चाहिए।

बैंक नियामक नीति के कार्यकारी ढाँचे के भीतर अपने उत्पादों और सेवाओं का स्वरूप निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक विकास की ओर उन्मुख करना है। बैंक के निदेशक मंडल ने अपने प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रचार नीति निर्मित की है। इसमें राष्ट्र के जन-जन के बीच बैंक के उत्पादों, सेवाओं और पहलों आदि को लोकप्रिय बनाने के दिशानिर्देश निहित हैं।

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर अथवा संघ की सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संगठनों का नाम बताएँ जिनसे आपका कारोबारी व्यवहार होता है:

   बैंक भारतीय बैंक संघ का सदस्य है।

2. क्या आपने जनहित की बढ़ोतरी या सुधार के लिए उक्त संगठनों के साथ हिमायत की है/उनके दल में शामिल हुए हैं ?

Bank complies with applicable environmental regulations in respect of premises and operations. Bank participates in the initiatives taken up by the local and central government towards addressing environmental issues.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/ NGOs/Others.

   Not Applicable. Bank does not have any subsidiaries.

2. Does the company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc?

   As explained above under Principle 6.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks?

   As explained above under Principle 6.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism ?

   None.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc.

   Not Applicable.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported ?

   Not Applicable.

7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

   Not Applicable.

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.

Bank designs its products and services within the frame work of the regulatory policy and with the objective to bring in economic development of the country. The Board of the Bank has laid out a Publicity Policy for implementation of the Publicity & PR related activities. It contains the guidelines for popularising the Bank's Products, Services and Initiatives etc among masses across the Nation.

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with :

   Bank is a member of Indian Banks' Association.

2. Have you advocated / lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good?

बैंक ऐसे संगठनों के साथ नज़दीक से जुड़कर काम करता है तथा आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ निर्मित करने में नीतिनिर्धारकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है।

सिद्धांत 8 : कारोबार समावेशी उन्नति और एकसमान विकास का समर्थन करें।

समावेशी उन्नति

बैंक ने व्यापक रूप से वंचित वर्गों को संरचनायुक्त बैंकिंग प्रणाली की छत्रछाया में लाने के उद्देश्य से अपना योगदान दिया है। इसके पीछे लक्ष्य यह रहा है कि अब तक अर्थजगत की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को सम्मुख लाया जाए। बैंक ने भारत सरकार द्वारा अभियान की शक्ल में चलाई जा रही वित्तीय समावेशन परियोजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" में अब तक 57.21 लाख खाते खोल दिए हैं और इन खातों में ₹ 1263 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है।
बैंक ने बीमा और पेंशन योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के सफल कार्यान्वयन के जरिए देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की भारत सरकार की पहल में हिस्सा लिया है। पीएमजेजेबीवाई योजना के तहत लगभग 4.81 लाख अभिदाताओं का और पीएमएसबीवाई योजना के तहत लगभग 11.03 लाख अभिदाताओं का बीमा किया गया है। वर्ष के दौरान अटल पेंशन योजना के कुल अभिदातओं का आंकड़ा 51000 की संख्या पार कर चुका है।

बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में हिस्सा लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग को किफायती मकान दिलवाने के लिए उन तक केंद्र द्वारा दी रही सहायता पहुँचाई है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पात्र उधारकर्ताओं को ₹ 6.5 लाख की सहायता दी जा रही है तथा ईएमआई और मूलभूत ऋण रकम को कम रखने के लिए पहले से ही ब्याज दर में प्रतिवर्ष 6.5% की रियायत दी जा रही है। हमारे बैंक ने 57 हितधारकों को फरवरी, 2017 तक ₹224 लाख तक की सहायता दे दी थी।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में बैंक ने अनेक कार्यक्रम/पहल कार्यान्वित किए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

क) सात राज्यों, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, असम, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में बैंक द्वारा सत्ताईस ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान गठित किए गए हैं जिनका उद्देश्य समर्पित आधार-संरचना के साथ ग्रामीण युवावर्ग को प्रशिक्षित करना और उनका दक्षता उन्नयन करना है। बैंक द्वारा ये संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई उस पहल के एक भाग के रूप में बनाए गए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवावर्ग में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम के तहत ₹8.55 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

ख) बैंक ने शिमला और सोलन जिलों में बिशारी और घट्टी नामक दो गांवों को अपना लिया है जिनके लिए ₹20.44 लाख की योजना राशि रखी गई है।

ग) बैंक ने बालासोर और भुवनेश्वर अंचल के अंतर्गत आनेवाले क्रमश: जालंगा और अलीश नामक दो गांवों में विकासात्मक गतिविधियों के लिए ₹10.48 लाख की योजना राशि अनुमोदित की है।

Bank closely works with these associations and gives vital inputs for the policy makers in evolving economic and financial strategies.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development.

Inclusive Growth

Bank contributed largely to the objective of bringing the excluded masses under the umbrella of structured banking system with an aim to inculcate habit of saving among the people who are so far excluded from the economic mainstream and to cater to the credit needs of people below the poverty line. Bank has so far opened more than 57.21 lakh accounts under the Government of India's mission mode financial inclusion project "Prime Minister Jan Dhan Yojna" and mobilized ₹ 1263 Crore in these accounts.

Bank took part in the initiative of Government of India in providing social security to the people of the country through successful implementation of insurance and pension schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY). Under PMJJBY scheme, around 4.81 lakh subscribers are insured whereas under PMSBY scheme more than ₹ 11.03 lakh lives are insured. Total subscribers under Atal Pension yojna crossed 51,000 during the year.

Bank took part in the Pradhan Mantri Awas Yojana launched by Government of India to extend central assistance for economically weaker section and low income group for acquiring affordable houses. Bank has signed memorandum of understanding with National Housing Bank for implementation of this scheme. Assistance of ₹ 6.5 lakh is being extended to the eligible borrowers and concession in interest rate @6.5% per annum is being provided upfront to reduce EMI and principal loan amount. Our Bank assisted to 57 beneficiaries to the tune of ₹ 224 lakh upto Feb, 2017.

Corporate Social Responsibility

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/ initiatives are as under:

a) Twenty Seven Rural Self Employment Training Institutes are set up by the Bank in seven states namely Himachal Pradesh, Odisha, Assam, Bihar, Punjab, west Bengal and Rajasthan to impart training and skill upgradation for rural youth with dedicated infrastructure. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth. Bank has sanctioned ₹8.55 Crore under this programme.

b) Bank adopted two villages namely Bishari and Ghatti in Shimla and Solan Districts with an outlay of ₹20.44 lakh.

c) Bank approved an outlay of ₹10.48 lakh for developmental activities in two villages namely Jalanga and Alish under Balasore Zone and Bhubaneshwar Zone respectively.

घ) परिक्रमा मार्ग, श्री गिरिराज तलहटी, गोवर्धन (मथुरा) में ₹ 13.76 लाख की योजना-व्यय राशि के साथ वृक्षारोपण गतिविधि कराई जा रही है।

ङ) ओडीशा में ₹ 12.76 लाख की लागत से दूर-दराज़ के अभावग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों को साफ और पेय जल की आपूर्ति करने के लिए ऑटो माउंटेड वाहन जल दूत की व्यवस्था की गई है।

1. सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में क्या कंपनी के पास विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/ परियोजनाएँ मौजूद हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें।

जैसा ऊपर बताया गया है।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएँ आंतरिक दल/स्वयं के आधार पर/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/अन्य किसी संगठन के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं?

जैसा ऊपर बताया गया है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी आकलन किया है?

जैसा ऊपर बताया गया है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – आईएनआर में राशि तथा कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दें?

जैसा ऊपर बताया गया है।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा सामुदायिक विकास पहल को सफलता के साथ अपनाया गया है?

जैसा ऊपर बताया गया है।

सिद्धांत 9: कारोबार अपनी जिम्मेदारी निभाने के तरीके से अपने ग्राहकों से जुड़ें और मूल्ययुक्त सेवा प्रदान करें।

ग्राहकों की नब्ज़ पहचानते हुए उनकी खुशी हासिल करना बैंक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। एतदर्थ बैंक ने हमारे उत्पादों, सेवाओं और हमारे वितरण माध्यमों पर ग्राहकों की राय पर बारीकी से ध्यान दिया है।

कार्यक्षेत्र में शाखा कर्मचारियों के सम्मुख मौजूद ग्राहक हमारी सेवाओं/ उत्पादों/वितरण माध्यमों पर अपनी प्रतिक्रिया और राय जाहिर करता है। ग्राहक हमारी वेबसाइट पर भी हमें प्रतिक्रिया देते हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं का समेकन करके तत्काल सुधार के लिए दिए गए सुझावों को अमल में लाते हैं। इसके अलावा ग्राहक हमें पत्र लिखते हैं जो हमारे लिए उनकी नब्ज़ पहचानने का एक अच्छा स्रोत हैं। कॉल सेंटरों के माध्यम से होनेवाले बहुसंख्य ग्राहक संवाद भी ग्राहक संतुष्टि को जानने का हमारा बहुमूल्य स्रोत हैं। बैंक नियमित रूप से ग्राहक बैठकें भी आयोजित करता है।

जरूरत पड़ने पर संपर्क किए जाने हेतु बैंक के पास अपने ग्राहकों के लिए समर्पित एक ग्राहक सेवा कक्ष है। ग्राहकों हेतु बैंक के पास एक सशक्त शिकायत निवारण प्रणाली है। समय पर और बेहतर तरीके से ग्राहक शिकायतों का निपटान करने के लिए बैंक का एक शिकायत प्रबंधन पोर्टल है जिससे जुड़े समर्पित लोगों की टीम अपने अथक प्रयासों से जल्द से जल्द ग्राहक शिकायतों का समाधान करने हेतु प्रयासरत रहती है।

d) Plantation activity on Parikrama Marg, Shri Giriraj Talahti, Goverdhan (Mathura) was taken up with an expenditure outlay of ₹ 13.76 lakh.

e) JAL doot, an auto mounted vehicle supplying clean and drinkable water to people living in far flung deficit areas in Odisha is provided with an outlay of ₹ 12.76 lakh.

1. Does the company have specified programmes/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

As explained above.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/ any other organization?

As explained above.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

As explained above.

4. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?

As explained above.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?

As explained above.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers in a responsible manner.

Achieving customer delight by understanding their pulse has been the prime objective of the bank. In achieving the same, bank has intently listened to what customers feel about our products, services and our channels.

At the field, the customer facing branch staffs provide the feedback regarding the customer's responses and opinions regarding our services/products/channels. Customers also provide us feedback on our bank's website. We compile these feedback and act on the suggestions for improvement immediately. Apart from these, the customers write to us, which also provides a good source of learning their pulse. Our umpteen customer interactions through our call centres serve as rich source of learning regarding customer satisfaction. The bank also conducts regular customer meets.

The bank has a dedicated customer service cell to be available to customers, when they are in need. The bank has a robust grievance redressal mechanism for customers. To facilitate timely and efficient disposal of customer complaints, the bank has a complaint management portal which has dedicated team of people who are expediting complaint resolution through their

सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन की प्रतिक्रिया :

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का क्या प्रतिशत है?

   वित्तीय वर्ष में ग्राहक शिकायतों की मात्र 287 यानि 1.52% लंबित हैं।

2. क्या स्थानीय विधि के अनुसार अनिवार्य सूचना के अलावा भी कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचनाएँ)?

   लागू नहीं

3. क्या पिछले पाँच वर्षों में किसी जोखिमधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध अन्यायपूर्ण कारोबार रीतियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा–विरुद्ध व्यवहार का मामला दायर किया गया है जो मौजूदा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित हो? यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्योरा दें।

   नहीं

4. क्या आपकी कंपनी ने ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि प्रवृत्ति पर कोई कार्यकलाप किया है?

बैंक ऑनलाइन ग्राहक प्रतिक्रिया पृष्ठ और प्रत्यक्ष बातचीत के जरिए निरंतर आधार पर ग्राहक संतुष्टि के बारे में प्रतिक्रिया लेता रहता है।

dedicated efforts.

Response to principle-wise performance :

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

   Only 287 i.e.1.52% of customer complaints are pending for FY 2016-17.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/Remarks (additional information).

   Not Applicable

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

   No.

4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?

Bank obtains feedback on continuous basis about customer's satisfaction through online customer feedback page and by direct interaction.

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन:

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1.0 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से दो निदेशकों का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2.0 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value of all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance, and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1.0 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/ nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect two directors (other than the Central Government) from among themselves.

2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2017:

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson and directorship of other companies and shareholding in the Bank are furnished hereunder:

क्रम सं. Sl. No.	निदेशक का नाम एवं पदनाम Name & Designation of the Director	कार्यग्रहण करने की तारीख Date of joining the office	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं उनकी संख्या* No. of Membership in Board Committee(s) of UCO Bank*	अन्य कंपनियों में निदेशक पद संभाल रहे हैं Directorship in other Companies	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.2017
1.	श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer	02.11.2015	6	नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. National Insuration Co. Ltd.	100
2.	श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh Executive Director	10.03.2015	10	-	-
3.	श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर कार्यपालक निदेशक Mr. G. Subramania Iyer Executive Director	01.02.2016	9		
4.	सुश्री सिंधु पिल्लई सरकार की नामिती निदेशक Ms. Sindhu Pillai Govt. Nominee Director	30.12.2015	9	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. United India Insurance Co. Ltd.	-
5.	डॉ. अरविंद शर्मा भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Dr. Arvind Sharma RBI Nominee Director	23.02.2015	4	-	-
6.	श्री अनिल शर्मा सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Mr. Anil Sharma Part time Non-Official Director under Chartered Accountant Category	30.07.2016	8	-	-

● बीएलसीएसी के अतिरिक्त

2.2.1 निदेशक मंडल में शामिल नए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

श्री अनिल शर्मा, निदेशक

श्री अनिल शर्मा, भारतीय सनदी लेखाकार के अधिसदस्य हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.07.2016 को बैंक के निदेशक मंडल में सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। उन्हें लेखापरीक्षा, लेखांकन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट विधि, लेखांकन मानकों आदि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं स्वर्ण नियंत्रण बार एसोसियेशन के भी सदस्य हैं। हमारे

● **Other than BLCAC.**

2.2.1 Brief Profiles of the new directors joined on the Board:

Mr. Anil Sharma, Director

Shri Anil Sharma is a Fellow Member of Chartered Accountants of India. He was nominated as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of the Bank by Government of India on 26.07.2016. He possesses wide experience in the fields of Auditing, Accounting, Banking, Corporate Laws, Accounting Standards etc. He is also Member of Excise, Custom & Gold Control Bar Association. Prior to his

बैंक में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व वे केशव सरकारी बैंक लि. के उपाध्यक्ष थे।

appointment as Part-time Non-official Director in our Bank, he was Vice Chairman of Keshav Sahakari Bank Ltd.

2.2.2 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र देनेवाले निदेशक:

2.2.2 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2017

क्रम सं. Sl.No.	निदेशक का नाम Name of the Director	कार्यग्रहण करने की तारीख Date of joining	निदेशकों की समाप्ति की तारीख w.e.f. Date of cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं, उनकी संख्या No. of Membership in Board Committee(s) of UCO Bank
1.	श्री सुनील कुमार माहेश्वरी Mr. Sunil Kumar Maheshwari	21.06.2013	20.06.2016	9
2.	मों सलाहुद्दीन अंसारी Mr. Salahuddin Ansari	26.06.2013	25.06.2016	10

2.2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 10 बैठकें आयोजित की गईं :

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review 10 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

13.05.2016	18.06.2016	30.07.2016	09.08.2016	05.09.2016
09.11.2016	05.12.2016	20.01.2017	31.01.2017	20.03.2017

3.0 निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेश मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.0 Committees on the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेजों के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 18 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह छः निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with six directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. All the Directors in the committee are financially literate.

3.1.1 प्राथमिक उद्देश्य:

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत /लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी

3.1.1. Primary objectives:

It oversees reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee

मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में सनदी लेखाकार श्रेणी के अंन्तर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक एवं समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, सरकार द्वारा नामिती निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई सदस्य के रूप में शामिल हैं। कार्यपालक निदेशक श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर समिति में आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंड 18 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में इस समिति की 8 बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 इस समिति की बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 15.04.2016, 12.05.2016, 18.06.2016, 09.08.2016, 23.09.2016, 09.11.2016, 31.01.2017 एवं 21.03.2017.

3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छः महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव।

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है।

iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव, और

iv) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2. The Audit Committee of the Board, at present, comprises of Mr. Anil Sharma, Part- time Non-official Director under Chartered Accountant Category and the Chairman of the committee and Mr. Charan Singh, Executive Director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director, Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director as members of the Committee. Mr. G. Subramania Iyer, Executive Director is invitee of the Committee. During the year under review, 8 (Eight) meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3.1.3. The meetings were held on the dates 15.04.2016, 12.05.2016, 18.06.2016, 09.08.2016, 23.09.2016, 09.11.2016, 31.01.2017 & 21.03.2017.

3.2.0. Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. Its members are Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, Directors referred in (c) of sub section (3) of Section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970., and two Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve: -

i) High value credit/loan, compromise and write off proposals.

ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises.

iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and

iv) Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2**.** The Management Committee of the Board, at present, comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as the Chairman of the Committee and Mr. Charan Singh, Executive Director, Mr. G. Subramania Iyer, Executive Director and Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee Director as members of the Committee.

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 13 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 112.05.2016, 09.06.2016, 18.06.2016, 30.07.2016, 09.08.2016, 05.09.2016, 23.09.2016, 27.10.2016, 05.12.2016, 26.12.2016, 20.01.2017, 14.02.2017 एवं 20.03.2017.

3.3.0 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) :

3.3.1 यह समिति बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती हैं जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह, श्री जे. सुब्रमनिया अय्यर एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं : 09.06.2016, 05.09.2016, 05.12.2016 एवं 21.03.2017.

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति (एसएचआरसीबी):

3.4.1 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा - धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का त्वरित निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.2 वर्तमान में शेयरधारक संबंध समिति में समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.4.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एसएचआरसीबी की 2 बैठकें दिनांक 23.09.2016 **एवं** 14.02.2017 को आयेजित की गईं:

3.5.0 निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.1 यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतरण आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए/गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है।

3.5.2 वर्तमान में शेयर अंतरण समिति में बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जे. सुब्रमनिया अय्यर तथा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण श्री अनिल शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.5.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एसटीसीबी की 4 बैठकें दिनांक 12.05.2016, 09.08.2016, 09.11.2016 **एवं** 31.01.2017 को आयेजित की गईं।

3.2.3. During the period under review 13 meetings of MCB were held on the dates 12.05.2016, 09.06.2016, 18.06.2016, 30.07.2016, 09.08.2016, 05.09.2016, 23.09.2016, 27.10.2016, 05.12.2016, 26.12.2016, 20.01.2017, 14.02.2017 & 20.03.2017.

3.3.0. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1. The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2. The Risk Management Committee of the Board, at present, comprises Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as the Chairman of the Committee and Mr. Charan Singh, Executive Director, Mr. G. Subramania Iyer, Executive Director and Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director as members of the Committee.

3.3.3. During the period under review 4 meetings of RMCB were held on the dates 09.06.2016, 05.09.2016, 05.12.2016 & 21.03.2017.

3.4.0. Stake Holders' Relationship Committee of the Board (SHRCB):

3.4.1. The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed.

3.4.2. The Stake Holders' Relationship Committee, at present, comprises of Mr. Anil Sharma, Part- time Non-official Director and Chairman of the committee and Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank, as members of the Committee.

3.4.3. During the previous financial year 2 meetings of SHRCB were held on 23.09.2016 & 14.02.2017.

3.5.0. Share Transfer Committee of the Board (STCB) :

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/stolen.

3.5.2. The Share Transfer Committee of the Board , at present, comprises of Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank and Mr. Anil Sharma, Part- time Non-official Director, as members of the Committee.

3.5.3. During the previous financial year 4 meetings of STCB were held on the dates 12.05.2016, 09.08.2016, 09.11.2016 & 31.01.2017.

3.6.0. बोर्ड की पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 भारता सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति में (i) सरकार के नामिती निदेशक (ii) भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक और (iii) दो अन्य निदेशक होंगे जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिकका निर्णय करेंगे।

3.6.2 भारता सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकगण, यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक पारिश्रमिक तथा यात्रा एवं विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

3.6.3 वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन एवं अन्य भत्तों की राशि लेखों पर टिप्पाणियां अर्थात अनुसूची - 18 के बिंदु सं. 9.5 में दी गई है।

3.7.0 अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई एवं सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.7.3 पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की 5 (पाँच) बैठकें दिनांक 12.05.2016, 05.09.2016, 27.10.2016, 20.01.2017 और 21.03.2017 को आयोजित की गईं।

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी) :

3.8.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एव सही स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

3.8.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 2 बैठकें 24.05.2016 एवं 14.06.2016 को आयोजित की गईं।

3.9.0 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.9.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है –

3.6.0. Remuneration Committee of the Board(RCB) :

3.6.1. As per Government of India guidelines, Remuneration Committee comprises of (i) Government Nominee Director (ii) RBI Nominee Director and (iii) two other directors decides the remuneration payable to the whole time directors of the Bank.

3.6.2 As per rules framed by Govt. of India, the whole time directors of the Bank i.e. Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank are entitled for remuneration and reimbursement of travelling and halting expenses. The whole time directors are not eligible for sitting fee for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.3. Amount of salary and other allowances paid to the Whole time Directors during the year 2016-17 is furnished in the Notes on Accounts under Point No. 9.5 of Schedule -18.

3.7.0. Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1. In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and follow up of frauds involving ₹1 crore and above. Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2. At present the committee comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as the Chairman of the committee, Mr. Charan Singh, Executive Director, Mr. G. Subramania Iyer, Executive Director and Ms. Sindhu Pillai, Govt. Nominee Director of the Bank as members.

3.7.3. During the previous financial year, 2016-17, 5 (five) meetings of the Committee were held on the dates 12.05.2016, 05.09.2016, 27.10.2016, 20.01.2017& 21.03.2017

3.8.0. Nomination Committee of the Board (NCB) :

3.8.1. In compliance with the directives of Reserve Bank of India, Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.2. During the period under review 2 meetings of the committee were held on the dates 24.05.2016 & 14.06.2016

3.9.0. Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.9.1. In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted**:**

i) जनसेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.9.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 बैठकें क्रमश: दिनांक 18.06.2016, 05.09.2016, 26.12.2016 और 20.03.2017 को आयोजित की गईं।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.1 समिति का उद्देश्य :

i) स्टॉफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना

iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.10.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई, सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

i) to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2. At present, the committee comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as the Chairman of the Committee and Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank, Mr. Anil Sharma, Part-time Non-official Director, as members of the Committee.

3.9.3. During the period under review, 4 meetings of the committee were held on the dates 18.06.2016, 05.09.2016, 26.12.2016 & 20.03.2017.

3.10.0. Committee on HR Related Issues of the Bank (CHR)

In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.1. **Objective of the Committee:**

i) to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.

ii) to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.

iii) to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff

iv) to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials

v) to prescribe standards for categorization of branches

3.10.2. At present, the committee comprises of Mr. R.K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer as the Chairman of the Committee and Mr. Charan Singh & Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank and Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director as members of the Committee.

3.10.3. No meeting was held during the previous financial year 2016-17.

3.11.0 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति (आईटीएससीबी)

3.11.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

3.11.2 वर्तमान में इस समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर एवं सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई, सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाँच) बैठकें दिनांक 18.06.2016, 05.09.2016, 05.12.2016, 20.01.2017 एवं 21.03.2017 को आयोजित की गईं।

3.12.0 एनपीए वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति (बीएलसीआरएनपीए)

3.12.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.12.2 वर्तमान में इस समिति में, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. के. टक्कर, बैंक के कार्यपालक निदेशकगण श्री चरण सिंह एवं श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, सरकार द्वारा नामित निदेशक एवं सुश्री सिंधु पिल्लई सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाँच) बैठकें 12.05.2016, 05.09.2016, 27.10.2016, 20.01.2017 एवं 21.03.2017 को आयोजित की गईं।

3.13.0 अपील मामलों के निपटान की समिति:

3.13.1 अपील मामलों के निपटान की समिति एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति है। अनुशासन प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए यह समिति गठित की गई है।

3.13.2 वर्तमान में अपील मामलों के निपटान की समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक सुश्री सिंधु पिल्लई, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक डॉ. अरविंद शर्मा, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री अनिल शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 पिछले वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें 05.12.2016, 20.01.2017 एवं 20.03.2017 को आयोजित की गईं।

3.11.0. IT Strategy Committee of the Board (ITSCB)

3.11.1. The Committee has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.11.2. At present, the committee comprises of Mr. Anil Sharma, Part- time Non-official Director as the Chairman of the Committee, Mr. Charan Singh & Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank and Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director, as members of the Committee.

3.11.3. During the period under review 5 (five) meetings of the committee were held on 18.06.2016, 05.09.2016, 05.12.2016, 20.01.2017 & 21.03.2017.

3.12.0. Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs accounts (BLCRNPA)

3.12.1. In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non Performing Assets on regular basis.

3.12.2. At present, the committee comprises of Mr. R. K. Takkar, Managing Director and Chief Executive Officer as the Chairman of the Committee and Mr. Charan Singh and Mr. G. Subramania Iyer, Executive Directors of the Bank and Ms. Sindhu Pillai, Govt Nominee Director as members of the committee.

3.12.3. During the period under review 5 (five) meetings of the committee were held on 12.05.2016, 05.09.2016, 27.10.2016, 20.01.2017 & 21.03.2017.

3.13.0. Committee of the Board for disposal of Appeal cases:

3.13.1. The Committee for disposal of Appeal cases is a Board level committee constituted to dispose the appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of disciplinary authority.

3.13.2. At present, the Committee for disposal of Appeal cases comprises of Ms. Sindhu Pillai, Govt nominee director, Dr. Arvind Sharma, RBI Nominee director, Mr. Anil Sharma, Part- time Non-official Director as members.

3.13.3. During the previous year the committee met 3 (three) times on 05.12.2016, 20.01.2017 and 20.03.2017.

3.13.4 निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा :

3.13.4. The details of the attendance by the members of various Committees of the Board are as under:

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		एनपीए खातों में वसूली की बोर्ड स्तरीय निगरानी समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPAs accounts	
Name of Director	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री आर. के. टक्कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Mr. R. K. Takkar, MD & CEO	10	10	13	13	4	4	4	4	5	5
श्री चरण सिंह कार्यपालक निदेशक Mr. Charan Singh, ED	10	10	13	13	4	4	4	4	5	5
श्री जी. एस. अय्यर कार्यपालक निदेशक Mr. G. S. Iyer, ED	10	10	13	13	4	4	4	4	5	5
सुश्री सिंधु पिल्लई, निदेशक			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं				
Ms. Sindhu Pillai, Director	10	9	NA	NA	NA	NA	4	4	5	5
डॉ. अरविंद शर्मा, निदेशक					लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Dr. Arvind Sharma, Director	10	10	13	13	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक			लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Mr. Anil Sharma, Director	8*	8*	NA	NA	3	3	NA	NA	NA	NA
* 31.03.2017 को समाप्त वर्ष में सेवानिवृत्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है: * The following are details of the attendance of directors who were retired during the year ending 31.03.2017										
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक			लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Mr. Sunil Kumar Maheshwari, Director	2*	2*	NA	NA	1*	1*	NA	NA	NA	NA
मि. सलाहुद्दीन अंसारी, निदेशक									लागू नहीं	लागू नहीं
Mr. Salahuddin Ansari, Director	2*	2*	3*	3*	1*	1*	1*	1*	NA	NA

* निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैंठके
लागू नहीं-समिति के सदस्य नहीं।
*The meetings held during the tenure of the director
NA- Not a member of the committee.

निदेशक का नाम Name of Director	अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की आईटी कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake holders' Relationship Committee of the Board		निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री आर. के. टक्कर			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Mr. R. K. Takkar	5	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री चरण सिंह										
Mr. Charan Singh	5	5	8	8	5	5	2	2	4	4
श्री जी. एस. अय्यर			लागू नहीं	लागू नहीं						
Mr. G. S. Iyer	5	5	NA	NA	5	5	2	2	4	4
सुश्री सिंधु पिल्लई							लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Ms. Sindhu Pillai	5	5	8	6	5	4	NA	NA	NA	NA
डॉ. अरविंद शर्मा	लागू नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Dr. Arvind Sharma	NA	NA	8	8	NA	NA	NA	NA	NA	NA
श्री अनिल शर्मा, निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं								
Mr. Anil Sharma, Director	NA	NA	5**	5**	4*	4*	2	2	3*	3*

31.03.2017 को समाप्त वर्ष में सेवानिवृत्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है:

The following are details of the attendance of directors who were retired during the year ending 31.03.2017

श्री सुनील कुमार माहेश्वरी #	लागू नहीं	लागू नहीं								
Mr. Sunil Kumar Maheshwari #	NA	NA	3**	3**	1**	1**	-	-	1*	1*
मि. सलाहुद्दीन अंसारी			लागू नहीं	लागू नहीं						
Mr. Salahuddin Ansari	1	1	NA	NA	1*	1*	-	-	1*	1*

* 01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान आयोजित बैठकें

** निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें

श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, 20.06.2016 तक लेखापरीक्षा समिति के निदेशक

लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं

* The meetings held during the period from 01.04.2016 to 31.03.2017.

** The meetings held during the tenure of the director

Mr. Sunil Kumar Maheshwari, director on Audit Committee till 20.06.2016.

NA- Not a member of the committee.

निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board		अपील मामलों के निपटान की निदेशक मंडल की समिति Committee of the Board for disposal of Appeal Cases	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
सुश्री सिंधु पिल्लई				
Ms. Sindhu Pillai	2	2	3	3
डॉ. अरविंद शर्मा	लागू नहीं	लागू नहीं		
Dr. Arvind Sharma	NA	NA	3	3
श्री अनिल शर्मा, निदेशक				
Mr. Anil Sharma, Director	0	0	3	3

31.03.2017 को समाप्त वर्ष में सेवानिवृत्त निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है:

The following are details of the attendance of directors who were retired during the year ending 31.03.2017

श्री सुनील कुमार माहेश्वरी				
Mr. Sunil Kumar Maheshwari	2	2	-	-
मि. सलाहुद्दीन अंसारी				
Mr. Salahuddin Ansari	2	2	-	-

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	**तारीख एवं दिन** Date and Day	**समय** Time	**स्थान** Venue
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	11 फरवरी, 2014 11th February, 2014	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
11वीं वार्षिक आम बैठक 11th Annual General Meeting	30 जून, 2014 30th June, 2014	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	20 मार्च, 2015 20th March, 2015	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
12वीं वार्षिक आम बैठक 12th Annual General Meeting	29 जून, 2015 29th June, 2015	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	7 मई, 2016 7th May, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
13वीं वार्षिक आम बैठक 13th Annual General Meeting	29 जून, 2016 29th June, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	मिनि ऑडिटोरियम, सायंस सीटि हॉल, जे.बी.एस. हैल्डेन एवेन्यु, कोलकाता - 700 046 Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata – 700046
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	17 सितबर, 2016 17th September, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण आम बैठक Extra ordinary General Meeting	5 नवंबर, 2016 5th November, 2016	11.00 बजे 11.00 A.M.	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 29 जून, 2016 को मिनी ऑडिटोरियम, साइंस सिटी हॉल जे.बी.एस. हाल्डेन एवन्यू, कोलकाता- 700046 में संपन्न हुई थी। श्री आर. के. टक्कर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री चरण सिंह, कार्यपलक निदेशक, श्री जी. सुब्रमनिया अय्यर, कार्यपालक निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

4.1.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) दिनांक 11 फरवरी, 2014 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सेबी आईसीडीआर नियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 77.19 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर अधिमान्य आधार पर (i) भारत सरकार को ₹200 करोड़ के अंशदान के लिए प्रत्येक ₹10/- के 2,59,10,092 ईक्विटी शेयर और (ii) भारत सरकार द्वारा धारित कुल ₹1823 करोड़ के परपेचुअल गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) के बदले में ₹10/- के 23,61,70,488 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित करने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

ii) दिनांक 20 मार्च, 2015 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹70.21 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर 6,08,82,550 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

iii) दिनांक 07 मई, 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को ₹41.47 प्रति शेयर निर्गम मूल्य पर 22,54,64,190 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

iv) दिनांक 17सितबंर 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 41.45 प्रति शेयर निर्गममूल्य पर 18,69,72,255 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

(v) दिनांक 05 नबम्बर 2016 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबीआईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹37.74 प्रति शेयर निर्गममूल्य पर 7,17,00,000 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।

4.1.1. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last Annual General Meeting was held on 29th June, 2016 at Mini Auditorium, Science City Hall, J.B.S Haldane Avenue, Kolkata – 700046. Shri R.K. Takkar, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Charan Singh, Executive Director, Shri G. Subramania Iyer, Executive Director attended the meeting.

4.1.2. Special Resolutions passed during last three years

i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 11th February, 2014, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot (i) 2,59,10,092 equity shares of ₹10/- each to Government of India against contribution of ₹200 crore and (ii) 23,61,70,488 equity shares of ₹10/- upon conversion of Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) held by Government of India aggregating to ₹1823 crore to Government of India, on preferential basis at an issue price of ₹77.19 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.

ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 20th March, 2015 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 6,08,82,550 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at an issue price of ₹70.21 per share determined in accordance with Regulations 76 (4) of SEBI ICDR Regulations, 2009.

iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 22,54,64,190 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.47 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulation 2009.

iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 17th September, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 18,69,72,255 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹41.45 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009.

v) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 5th November, 2016 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, interalia, to issue and allot of 7,17,00,000 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis at an issue price of ₹37.74 per share determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulation 2009.

vi) आईपीओ के बाद से डाक द्वारा मतपत्र भेजकर कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया है।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू सूचीकरण करार के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय "उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि" के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नांकित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है :

निदेशक मंडल की बैठक के लिए :		प्रति बैठक ₹ 20,000/-
समिति की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक ₹ 10,000/-

5.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सार्वजनिक/अधिकार निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर नहीं जारी किए।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित मसौदे के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

वर्ष के दौरान पूंजी बाजार लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

vi) No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

5.0. Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. In terms of SEBI directives, the provisions of the Listing Agreement will apply for Listed Public Sector Banks, only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

5.1**. Remuneration of Directors :**

Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	₹ 20,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	₹ 10,000/- per sitting

5.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3. Proceeds from Public Issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2017, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue.

5.4. The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

5.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2017 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत https://www.ucobank.com/about us /Policies and Guidelines/Related Party Transaction Policy पर दी गई है।

5.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2017. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under https://www.ucobank.com/about us / Policies and Guidelines/Related Party Transaction Policy.

6.0 अनिवार्य/गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का बैंक ने अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

6.0. Compliance to Mandatory/Non-Mandatory Requirements :

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under :

अपेक्षा / Requirement	अनुपालन / Compliance
बैंक को अपने और शेयरधारकों की ओर से संदर्भ की सहमत शर्तों सहित कार्यपालक निदेशकों को विशेष रिम्युनरेशन पैकेज एवं पेंशन अधिकार तथा अन्य क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में निर्धारण हेतु रिम्युनरेशन समिति गठित करके बैंक की नीति बनानी चाहिए। The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.	भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिम्युनरेशन पैकेज निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल ने रिम्युनरेशन समिति गठित की है। Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.
व्हिसिल ब्लोअर नीति : अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध कपट या बैंक की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन की चिंताओं को दूर करने तथा कर्मचारियों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बैंक एक प्रणाली विकसित कर सकता है। Whistle Blower Policy : The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.	बैंक ने एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी को जगह दी है। लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने में किसी भी कर्मिक को रोका नहीं गया है। The Bank has put in place a Whistle Blower policy. No personnel has been denied access to the Audit Committee.
डाक मत-पत्र **Postal Ballot**	व्यावसायिक लेनदेन के लिए डाक मत-पत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। The business transacted did not require any special resolution be put through postal ballot.

7.0 संचार के साधन:

7.1 बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रुचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2016, 30.09.2016 एवं 31.12.2016 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए।

7.0. Means of Communication :

7.1. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank,com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2. As per the Listing Agreement with the stock exchanges Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2016, 30.09.2016 & 31.12.2016 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल ईक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अत: 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

8.2.0 स्टाक एक्सचेंजों की सूचीकरण :

बैंक के ईक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

8.0. General Shareholders Information:

8.1.0. Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0

8.2.0. Listing on Stock Exchanges:

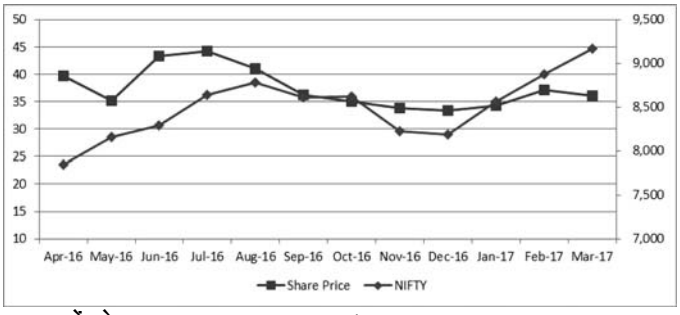
The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges:

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCO BANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

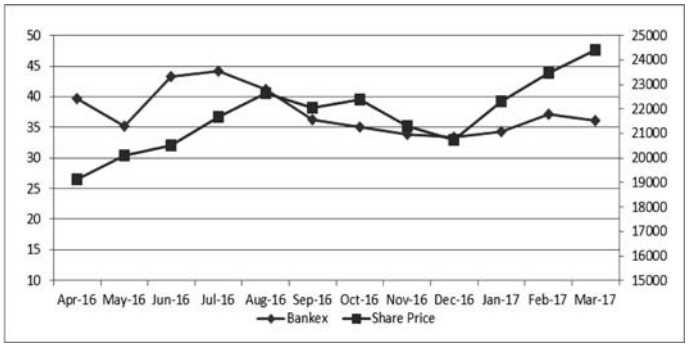
8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े/मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share:

निफ्टी की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव/MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. NIFTY



बैंकेक्स की तुलना में शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव/MOVEMENT OF SHARE PRICE vs. BANKEX



बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान द नेशनल स्टाक एकसचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2016-17 were as follows :

माह Month	बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E			नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E		
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-16	40.80	37.45	14.60	40.80	37.50	177.99
मई/May-16	39.35	31.75	25.16	39.30	31.75	251.98
जून/Jun-16	43.00	33.90	39.47	43.30	33.95	260.83
जुलाई/Jul-16	45.45	42.70	23.34	45.55	43.00	117.99
अगस्त/Aug-16	43.75	39.85	11.26	43.85	40.20	61.36
सितंबर/Sep-16	43.20	36.35	18.16	43.10	36.20	114.92
अक्तूबर/Oct-16	37.90	34.25	10.86	37.85	34.25	57.09
नवंबर/Nov-16	37.20	32.70	21.12	37.10	32.65	91.62
दिसंबर/Dec-16	35.15	32.85	6.33	35.25	32.75	35.89
जनवरी/Jan-17	34.40	33.50	4.97	34.30	33.55	30.26
फरवरी/Feb-17	37.35	34.05	16.39	37.30	34.10	88.17
मार्च/Mar-17	37.55	35.30	11.88	37.45	35.35	69.47

संबंधित स्टाक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0. प्रति शेयर आंकड़ा/Per Share Data

मानदंड/Parameter	31.03.2016	31.03.2017
अंकित मूल्य / Face Value (₹)	10/-	10/-
बाजार भाव / Market Quotation (₹)	38.80 (एनएसई में /at NSE)	36.15 (एनएसई में/at NSE)

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीएसडीएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अर्मूतीकरण एनएसडीएल या फिर सीएसडीएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए01018 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2016-2017) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण:

8.5.0. Dematerialisation of the Shares

8.5.1.The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

The Annual Custodial Fees (2016-17) for the securities have been paid to NSDL and CDSL.

8.5.2. Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2017

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	73623	1,14,72,302	0.74
एनएसडीएल/NSDL	165208	32,16,13,709	20.62
सीडीएसएल/CDSL	74280	1,22,66,42,146	78.64
योग/Total	313111	1,55,97,28,157	100.00

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.3.The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.5.4. The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

8.6.0. Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2008-09	1.00	2014-15	2.00
		2015-16	NIL

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

8.6.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 to IEPF.

8.7 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है।

8.8 बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे निम्नलिखित पते पर किए जाएं:

8.7. Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of 15 days from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares.

8.8. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई: यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट नं. 31-32, गचीबाउली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500 008

संपर्क:
टेलीफोन: 040 - 67161500
फैक्स: 040 - 23420814
टोल फ्री सं.: 1800-345-4001
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500008

Contact No:
Phone: 040-67161500
Fax: 040-23420814
Toll Free No.:1800-345-4001
e-mail: einward.ris@karvy.com

बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है :

The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2017 is as under:

1. **1 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/** Pending complaints as on 1st April, 2016	**शून्य/**Nil
2. **31.3.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/** Complaints received during the year ended on 31.03.2017	1084
3. **31.3.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें/** Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2017	1083
4. **31.3.2017 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/** Complaints pending as on 31.03.2017	1

9.0 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2017

शेयरधारकों की श्रेणी **Category of Shareholders**	**धारकों की सं.** **No. of holders**	**धारित शेयरों की संख्या** **No. of shares held**	**ईक्विटी का%** **% of equity**
अ/प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह **A. Promoter/Promoter Group**			
अ. भारत सरकार / Govt. of India	1	1195769733	76.67
आ. सार्वजनिक शेयरधारिता / **B. Public Shareholding**			
1. संस्थाएं / Institutions			
क/a. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	Nil	Nil	Nil
ख/b.वित्तीय संस्थाएं/बैंक /Financial Institutions/Banks	15	1639790	0.11
ग/c. बीमा कंपनियां / Insurance Companies	15	228088166	14.62
घ/d.विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	48	19733943	1.26
2. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
क/a. कार्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	1522	13950410	0.89
ख/b. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. ₹ 2 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital upto ₹2 lac	309725	86624651	5.55
ii. ₹ 2 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital above ₹2 lac	184	10573884	0.68
ग/c. भारतीय रिजर्व बैक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFC registered with RBI	7	28170	0.00
घ/d. न्यास / Trust	20	149273	0.01
ङ/e. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	144	441535	0.03
ङ/f. अनिवासी भारतीय /Non-Resident Indians	1430	2728602	0.18
योग/ TOTAL	**313111**	**1559728157**	**100.00**

31.03.2017 को शेयरधारिता का वितरण/Distribution of Shareholding as on 31.03.2017

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	311160	99.38	76725900	4.92
5001	10000	1133	0.36	8322283	0.53
10001	20000	458	0.15	6533696	0.42
20001	30000	128	0.04	3196584	0.20
30001	40000	56	0.02	1986979	0.13
40001	50000	40	0.01	1893648	0.12
50001	100000	63	0.02	4374474	0.28
100001	और अधिक/And above	73	0.02	1456694593	93.40
	कुल/TOTAL	**313111**	**100.00**	**1559728157**	**100.00**

10.0 **बैंक के साथ पत्राचार का पता:**

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल पताः
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी **hosgr.calcutta@ucobank.co.in** है। ई-मेल आईडी बैंक की वेबसाइट में भी दी गई।

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2016-17 का अभिन्न अंग है।

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2016-17 का अभिन्न अंग है।

आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक

(आर. के. टक्कर)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

10.0. Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E-Mail Address :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in

10.1. Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/ Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Audit Certificate on Corporate Governance for the year 2016-17 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2016-17.

12.0. CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2016-17.

DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2017.

For UCO Bank

(R.K. Takkar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

अनुलग्नक-I

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमो में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039ई

(सीए डॉ. बी.एस.कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307सी

(सीए मनीष अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता क्र. 078628

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575ई

(सीए एम. चक्रवर्ती)
भागीदार
सदस्यता क्र. 059207

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194एन

(सीए विक्रम गर्ग)
भागीदार
सदस्यता क्र. 097038

वास्ते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 304124ई

(सीए पी. वेणुगोपाल राव)
भागीदार
सदस्यता क्र. 010905

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

Annexure - I

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2017, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that one investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2017 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E

(CA DR. B. S. KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C

(CA MANISH AGARWAL)
Partner
Membership No. 078628

For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E

(CA M. CHAKRABARTI)
Partner
Membership No. 059207

For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N

(CA VIKRAM GARG)
Partner
Membership No. 097038

For **TEJ RAJ & PAL**
Chartered Accountants
Registration No. 304124E

(CA P. VENUGOPALA RAO)
Partner
Membership No. 010905

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

क) हमने बैंक के वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,

ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :

i. वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और

iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की,यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(ए. के. सिन्हा)
महाप्रबंधक
(मुख्य वित्त अधिकारी)

श्री आर. के. टक्कर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 12 मई 2017

शेयरधारकों से ग्रीन पहल के तहत अपील

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिं. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : यूको बैंक, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष : (040) 67161500; फैक्स : (040)23420814

मै/हम_____, जो भौतिक रूप में बैंक के_____ शेयर धारण किए

हुए हूँ/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं :

फोलियो न._____ ई-मेल आईडी_____

_____
प्रथम धारक के हस्ताक्षर

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Dear Sirs,

Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2016-17and to the best of our knowledge and belief

   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;

   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2016-17 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee

   i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2016-17

   ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

Yours faithfully,

(A.K. Sinha)
General Manager
(Chief Financial Officer)

R. K. TAKKAR
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date : 12.05.2017

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Computershare Pvt Ltd. on the follwing format.

M/s. Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda Serilingampally,Hyderabad - 500 032

Tel : (040) 67161500; Fax : (040)23420814

I/We _____holding_____shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No _____ E-mail id _____

_____
Signature of the first holder

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं **CAPITAL AND LIABILITIES**	अनुसूची **Schedule**	31.3.2017 की स्थिति **As on 31.3.2017** ₹	31.3.2016 की स्थिति **As on 31.3.2016** ₹
पूंजी /Capital	1	1559 72 82	1075 59 17
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	10043 74 23	10511 36 16
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		1150 00 00	935 00 00
जमाराशियां / Deposits	3	201284 51 12	207118 24 15
उधार Borrowings	4	9534 96 20	17240 43 58
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	7766 76 28	8001 90 08
योग /TOTAL		**231339 70 65**	**244882 53 14**

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039ई
For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E
(सीए डॉ. बी.एस.कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221
(CA DR. B. S. KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307सी
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C
(सीए मनीष अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता क्र. 078628
(CA MANISH AGARWAL)
Partner
Membership No. 078628

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575ई
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E
(सीए एम. चक्रवर्ती)
भागीदार
सदस्यता क्र. **059207**
(CA M. CHAKRABARTI)
Partner
Membership No. 059207

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194एन
For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N
(सीए विक्रम गर्ग)
भागीदार
सदस्यता क्र. 097038
(CA VIKRAM GARG)
Partner
Membership No. 097038

वास्ते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 304124ई
For **TEJ RAJ & PAL**
Chartered Accountants
Registration No. 304124E
(सीए पी. वेणुगोपाल राव)
भागीदार
सदस्यता क्र. 010905
(CA P. VENUGOPALA RAO)
Partner
Membership No. 010905

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017 (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां **ASSETS**	अनुसूची **Schedule**	31.3.2017 की स्थिति **As on 31.3.2017** ₹	31.3.2016 की स्थिति **As on 31.3.2016** ₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8790 24 98	7949 95 59
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	9309 63 33	10609 27 66
निवेश/Investments	8	74019 12 40	83974 20 44
अग्रिम/Advances	9	119724 45 32	125905 36 77
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	2849 47 69	2884 63 74
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	16646 76 93	13559 08 94
योग /TOTAL		**231339 70 65**	**244882 53 14**
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	51804 24 12	59340 45 61
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	6644 41 18	6908 14 86

आर. के. टक्कर
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R. K. TAKKAR
Managing Director & CEO

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

जी. सुब्रमनिया अय्यर
कार्यपालक निदेशक
G. SUBRAMANIA IYER
Executive Director

सुश्री सिंधु पिल्लई
निदेशक
MS. SINDHU PILLAI
Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

अनिल शर्मा
निदेशक
ANIL SHARMA
Director

ए. के. सिन्हा
महाप्रबंधक
A. K. SINHA
General Manager

एस.एन. महावर
सहायक महाप्रबंधक
S. N. MAHAWAR
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2017 ₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2016 ₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	16325 79 93	18560 97 42
अन्य आय /Other Income	14	2114 49 09	1596 30 56
योग/TOTAL		**18440 29 02**	**20157 27 98**
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	12509 01 80	13712 95 08
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	3005 19 14	2840 94 30
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		4776 74 80	6402 64 34
योग/TOTAL		**20290 95 74**	**22956 53 72**
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		-1850 66 72	-2799 25 74
लाभ/(हानि) अग्रेनीत / Profit/(Loss) Brought Forward		728 17 52	3513 08 14
योग /TOTAL		**-1122 49 20**	**713 82 40**

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039ई
For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E
(सीए डॉ. बी.एस.कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221
(CA DR. B. S. KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307सी
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C
(सीए मनीष अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता क्र. 078628
(CA MANISH AGARWAL)
Partner
Membership No. 078628

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575ई
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E
(सीए एम. चक्रवर्ती)
भागीदार
सदस्यता क्र. **059207**
(CA M. CHAKRABARTI)
Partner
Membership No. 059207

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194एन
For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N
(सीए विक्रम गर्ग)
भागीदार
सदस्यता क्र. 097038
(CA VIKRAM GARG)
Partner
Membership No. 097038

वास्ते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 304124ई
For **TEJ RAJ & PAL**
Chartered Accountants
Registration No. 304124E
(सीए पी. वेणुगोपाल राव)
भागीदार
सदस्यता क्र. 010905
(CA P. VENUGOPALA RAO)
Partner
Membership No. 010905

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017 (CONTD.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची Schedule	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2017 ₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2016 ₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves			-
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves		60 95 97	43 39 07
निवेश आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer from Investment Reserve		- 23 80 99	- 57 74 19
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend			-
प्रस्तावित लाभांश पर कर / Tax on Proposed Dividend			-
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet		-1159 64 18	728 17 52
योग /TOTAL		**-1122 49 20**	**713 82 40**
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18		
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)		**₹ - 13.29**	**₹ - 26.03**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts
As per our Report of even date

आर. के. टक्कर
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R. K. TAKKAR
Managing Director & CEO

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

जी. सुब्रमनिया अय्यर
कार्यपालक निदेशक
G. SUBRAMANIA IYER
Executive Director

सुश्री सिंधु पिल्लई
निदेशक
MS. SINDHU PILLAI
Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

अनिल शर्मा
निदेशक
ANIL SHARMA
Director

ए. के. सिन्हा
महाप्रबंधक
A. K. SINHA
General Manager

एस.एन. महावर
सहायक महाप्रबंधक
S. N. MAHAWAR
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017		31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर				
300,00,00,000 Equity Shares				
of ₹ 10/- each	3000 00 00		3000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000/- के 225,000 बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर				
225,000 Perpetual Non-Cumulative				
Preference Shares of ₹1,00,000/- each	2250 00 00	5250 00 00	2250 00 00	5250 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी				
Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 155,97,28,157 (107,55,91,712)				
ईक्विटी शेयर				
155,97,28,157 (107,55,91,712)				
Equity Shares of ₹ 10/- each	1559 72 82		1075 59 17	
[केन्द्र सरकार द्वारा धारित 119,57,69,733				
(78,33,33,288) शेयर इसमें शामिल हैं]				
[includes 119,57,69,733 (78,33,33,288) shares held by Central Govt.]				
		1559 72 82		1075 59 17
योग /TOTAL		**1559 72 82**		**1075 59 17**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017
अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017		31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2264 56 64		2264 56 64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year				
	2264 56 64		2264 56 64	
		2264 56 64		2264 56 64
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष				
Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/b)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	395 07 04		351 67 97	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit & Loss Account	60 95 97		43 39 07	
	456 03 01		395 07 04	
		456 03 01		395 07 04
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	2524 81 83		764 23 12	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	4 97 99		1736 79 55	
वर्ष की समाप्ति पर मौजूद दर पर	2529 79 82		2501 02 67	
विदेशी शाखाओं से संबंधित समायोजन				
Exchange difference on assets at Foreign branches as at the year end.	-22 48 48		28 49 68	
	2507 31 34		2529 52 35	
परिसर की बिक्री पर कटौती/				
Deduction on sale of premises			4 70 52	
	2507 31 34		2524 81 83	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण वर्धनशील मूल्यह्रास के चलते समायोजन				
Adjustment on account of incremental depreciation upto year end due to revaluation and others	182 14 02		159 16 20	
		2325 17 32		2365 65 63

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017		31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3892 04 42		3892 04 42	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	1496 45 94			
		5388 50 36		3892 04 42
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	399 73 03		399 73 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Revaluation Reserves	22 94 32		-	
			399 73 03	
विशिष्ठ (एससी/आरसी) प्रावधान में अंतरण Transfer to Specific (SC/RC) Provision	422 67 35 51 67 26			
		371 00 09		399 73 03
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	435 97 10		354 64 46	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/ from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	-		81 32 64	
	435 97 10		435 97 10	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year	44 19 90		-	
		391 77 20		435 97 10
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	28 97 78		86 71 97	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit & Loss Account	23 80 99		-57 74 19	
		5 16 79		28 97 78
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	728 17 52		3513 08 14	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-1887 81 70		-2784 90 62	
		-1159 64 18		728 17 52
योग (I से Vतक) / TOTAL(I to V)		**10043 74 23**		**10511 36 16**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 3 — जमाराशियां
Schedule 3 — DEPOSITS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	2733 60 17	12060 24 53
ii) अन्य से/From Others	8937 91 22	8342 00 29
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	51537 07 05	40523 80 33
III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	12326 87 43	16164 89 71
ii) अन्य से/From Others	125749 05 25	130027 29 29
योग/TOTAL(I, II & III)	**201284 51 12**	**207118 24 15**
आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/		
Deposits of Branches in India	185101 90 88	190884 75 67
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/		
Deposits of Branches outside India	16182 60 24	16233 48 48
योग/TOTAL	**201284 51 12**	**207118 24 15**

अनुसूची 4 — उधार
Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	450 00 00	9179 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	3113 01 49	2153 49 23
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण		
* Other Institutions and Agencies	5867 95 34	5872 05 88
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	103 99 37	35 88 47
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	**9534 96 20**	**17240 43 58**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/		
Secured borrowings included in I & II above	4685 75 34	13229 34 63
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance		734 80 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	9 66 20	13 41 27
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	558 45 00	689 87 00
गौण ऋण/Subordinated Debt	2175 00 00	2425 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1820 00 00	1320 00 00
आईपीडीआई /IPDI		230 00 00
एनएसटीएफडीसी/NSTFDC	3 15	15 61
मुद्रा पुनर्वित्त/Mudra Refinance	55 56 00	55 56 00
एटी-1बॉडों/AT-1 Bonds	750 00 00	

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	87 05 40	93 36 38
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	321 71 35	225 67 07
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	755 94 32	784 27 70
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others(including provisions)	6602 05 21	6898 58 93
योग /TOTAL	**7766 76 28**	**8001 90 08**
इसमें शामिल हैं / Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	841 33 85	681 49 68

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	635 73 06	583 80 33
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	8154 51 92	7366 15 26
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	**8790 24 98**	**7949 95 59**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. भारत में/In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में/		
a) In Current Accounts	50 61 35	33 79 45
ख) अन्य जमा खातों में/		
b) In Other Deposit Accounts	3224 01 27	2124 63 75
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/		
Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास/		
a) With Banks	1575 00 00	2265 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास/		
b) With Other Institutions		
योग (i एवं ii)/ TOTAL(i &ii)	**4849 62 62**	**4423 43 20**
II. भारत के बाहर/ Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	776 18 91	381 54 17
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	2451 18 55	3554 50 93
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/		
Money at Call and Short Notice	1232 63 25	2249 79 36
योग (i,ii एवं iii)/TOTAL(i,ii & iii)	**4460 00 71**	**6185 84 46**
कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL(I&II)	**9309 63 33**	**10609 27 66**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 8 — निवेश
Schedule 8 — INVESTMENTS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	59826 38 43	70465 32 39
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	56 42 88	55 79 52
iii) शेयर/Shares	528 72 18	414 23 47
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	9552 38 31	9382 33 91
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries and/or Joint Ventures	184 50 96	184 50 96
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, आर आई डी एफ, सी. पी. एफ. आर. एन. आदि/ Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	1811 17 17	1383 78 29
योग/TOTAL	**71959 59 93**	**81885 98 54**
II. भारत के बाहक निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्रधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	1904 72 77	1906 42 04
ii) अन्य/Others		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य निवेश (एफ आर एन आदि)/ Other Investments (FRN etc.)	154 79 70	181 79 86
योग/TOTAL	2059 52 47	2088 21 90
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)*	**74019 12 40**	**83974 20 44**

* मूल्यह्रास/एन पी आई प्रावधान की राशि को घटाकर/* Net of Depreciation / NPI Provision

निवेश INVESTMENTS	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 सकल मूल्य Gross Value ₹	मूल्यह्रास/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 सकल मूल्य Gross Value ₹	मूल्यह्रास/ प्रावधान ** Depreciation/ Provision ** ₹	निवल Net Value ₹
I. भारत में/ In India	72627 70 14	668 10 21	71959 59 93	82361 13 13	475 14 59	81885 98 54
II. भारत के बाहर Outside India	2140 43 51	80 91 04	2059 52 47	2151 09 96	62 88 06	2088 21 90
योग/TOTAL	**74768 13 65**	**749 01 25**	**74019 12 40**	**84512 23 09**	**538 02 65**	**83974 20 44**

** निवेशों पर मूल्यह्रास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

** Depreciation on Investments / Provision for Non-Performing Investments

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/		
Bills Purchased and Discounted	18460 76 05	19522 57 30
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण /		
Cash Credits, Overdrafts and Loans		
repayable on demand	36360 30 86	38933 58 90
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	64903 38 41	67449 20 57
योग/TOTAL	119724 45 32	125905 36 77
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/		
(बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/		
Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	100929 80 52	106828 14 69
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/		
Covered by Bank/Govt. Guarantees	14043 58 34	13539 28 45
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	4751 06 46	5537 93 63
योग/TOTAL	119724 45 32	125905 36 77
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	42084 73 12	45032 70 17
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	6139 66 87	8522 43 12
(iii) बैंक/Banks	21 97 87	264 52 51
(iv) अन्य/Others	53340 59 66	55853 08 40
योग/TOTAL	101586 97 52	109672 74 20
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल		
(a) Bills Purchased and Discounted	8286 48 16	8968 04 68
(ख) सामूहिक उधार		
(b) Syndicated loans	3408 89 32	1631 82 81
(ग) अन्य		
(c) Others	6442 10 32	5632 75 08
योग/TOTAL	18137 47 80	16232 62 57
कुल योग (इ-I एवं इ- II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	**119724 45 32**	**125905 36 77**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. **परिसर**/ Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	260 99 49	203 18 35
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 7 81 12	10 54 35
	253 18 37	213 72 70
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	27 07 43	47 26 89
	280 25 80	260 99 59
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	6	10
	280 25 74	260 99 49
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	2507 31 34	2524 81 83
	2787 57 08	2785 81 32
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	2787 57 08	2785 81 32
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	276 48 64	254 62 31
योग/ TOTAL	2511 08 44	2531 19 01
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	1467 48 30	1324 12 30
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	- 3 23 64	4 28 73
	1464 24 66	1328 41 03
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	114 29 19	142 94 37
	1578 53 85	1471 35 40
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	1 58 66	3 87 10
	1576 95 19	1467 48 30
अद्यतन मूल्यह्रास/Depreciation to date	1244 64 79	1120 41 96
योग/ TOTAL	332 30 40	347 06 34
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	6 08 85	6 38 39
योग/TOTAL	6 08 85	6 38 39
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	**2849 47 69**	**2884 63 74**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)		-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1611 95 51	1864 21 89
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	2630 94 92	2566 59 58
IV. लेखन सामग्री और स्टांप/Stationery and Stamps	4 20 54	6 53 52
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	2863 61 00	2013 21 00
VII. अन्य/Others	9536 04 96	7108 52 95
योग/TOTAL	**16646 76 93**	**13559 08 94**

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2017 ₹	31.3.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2016 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	237 21 70	1725 46 28
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 03 50	4 82 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	36200 84 78	38580 67 76
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents -		
क) भारत में A) In India	6033 68 48	6391 91 94
ख) भारत के बाहर B) Outside India	77 40 99	66 73 56
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	8470 39 54	11635 21 39
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable	781 65 13	935 62 18
योग/ TOTAL	**51804 24 12**	**59340 45 61**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

		31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	9871 28 98	12293 44 79
II.	निवेशों पर आय/Income on Investments	5734 18 58	5662 93 97
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	353 18 42	236 46 35
IV.	अन्य/Others	367 13 95	368 12 31
	योग/TOTAL	**16325 79 93**	**18560 97 42**

अनुसूची 14 — अन्य आय
Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

			31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹		31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)		184 42 03		142 87 91
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments	1252 81 45		721 04 00	
	घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	12 05 82	1240 75 63	13 79 56	707 24 44
III.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	45 99		1 08 06	
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	10 68	35 31	10 63	97 43
IV.	विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	227 95 05		314 81 86	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवदारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	6 28 73	221 66 32	7 49 95	307 31 91
V.	भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		11 85 02		12 80 37
VI.	विविध आय/ Miscellaneous Income		455 44 78		425 08 50
	योग/TOTAL		**2114 49 09**		**1596 30 56**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	11770 82 96	12708 66 50
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	266 20 15	394 68 88
III. अन्य/Others	471 98 69	609 59 70
योग/TOTAL	**12509 01 80**	**13712 95 08**

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1920 57 76	1835 30 71
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	225 36 93	214 96 22
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	38 89 07	28 13 94
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	24 13 03	24 10 97
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास/ Depreciation on Bank's Property	153 14 01	136 58 14
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	64 64	77 11
VII. लेखा परीक्षकें की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	35 56 02	34 93 57
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	8 27 06	8 09 04
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	42 87 30	50 90 17
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	12 18 26	10 68 99
XI. बीमा/Insurance	145 33 57	132 07 21
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	398 21 49	364 38 23
योग/TOTAL	**3005 19 14**	**2840 94 30**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण,जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणो की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. अग्रिम / ADVANCES

2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्वबैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

2.7 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

3. निवेश/INVESTMENTS

3.1 बैंक, निवेश संविभागके वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

(ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

(iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यह्रास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

3.5 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियो में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशो पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसिदों में बैंक के निवेश पर लागू किए जाते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

3.6 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का व्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त व्याज लागत / बिक्रि की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

3.7 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरन करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

4. संपदा सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा सयंत्र एवं उपकरणके लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्याकन होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	**अवमूल्यन / Depreciation**		**मॉडेल / Model**
	दर / Rate	**पद्धति / Method**	
दीर्घवधि अथवा बेमियादि/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागूनही/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
धारितभूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टे पर भूमि एवं भवन तथा ऐसी भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में शोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रीकल इंस्टोलेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मशीन, फ्रैंकिंगमशीन, ऑफिसा मशीनरी, वेईग मशीन, टाईप राईटर, एडिंग मशीन, डूप्लिकेटिग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वेहिकल / Motor Vehicle	25.89	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साईकिल / Cycle	20.00	डबल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines)	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यांकन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास के समानराशि पुनर्मूल्यांकित चल नीधि से राजस्व चल नीधि में अंतरित की गई।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 लघु मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण जिनकी लागत ₹1000/- है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto ₹1000 each are charged off whereas items costing between ₹1001 and ₹5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बादअयोग पर आधे दर पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/ spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

vii) जो विदेशी विनिमय स्वाप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्क्ड टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वाप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

5.2 विदेशी परिचालन/FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

अदला-बदली/Translation

i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

6. कर्मचारी हितलाभ/EMPLOYEE BENEFITS

6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

अ/A) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/a) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/b) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ)/B) **निर्धारित हितलाभ योजना/**Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपादान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹10,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹10,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/C) **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ**/Other Long Term Employee benefits

क/a. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/b. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/c. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओंमें नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है।

Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यह्रास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

8. आस्तियों की अनर्जकता/IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां/NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां लागत पर व्यक्त की गईं है / Non-Banking Assets are stated at cost.

10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा दिईशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती हैः

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.2 लेटर ऑफ केडिट/बैंक गारंटी/सरकारीव्यव्साय पर कमीशन/लॉकर किराया/कर वापसी पर ब्याज मूयुचलफंाड की ईकायों से आय, किराये से आये/विभिन्न जमा पर सेवा प्रभार की वसूली आधार पर पहचान की गई है।

Commission on Letters of Credit/ Bank Guarantees/ Government Business / Locker Rent, Interest on Refund of Taxes, Dividend, Income on Units of Mutual Funds, Rental Income, and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.3 बट्टे खाते में डाले गए अग्रिम/निवेश का लेखा जोखा "विविधआय" में दिया गया है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

11. पट्टा/LEASE

AS 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टेके भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की गई तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की गई है तथा यह पट्टे कीअवधि के साथ परिशोधित हो जातीहै।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषनाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्द्ध करवाया गया है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/a) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय मे होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/b) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तूलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की गई है।
Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/c) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नही इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/d) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निस्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थिगत कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।
Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एएस 20 –'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।
The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।
Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि
ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।
In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

15. खंड रिपोर्टिंग / SEGMENT REPORTING

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं ICAI द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।
The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

अनुसूची / SCHEDULE 18

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें/Items	31.03.17 की स्थिति As on 31.03.17	31.03.16 की स्थिति As on 31.03.16
	बेसल/ Basel-III	बेसल/ Basel-III
(i) सामान्य शेयर टियर-I पूंजी अनुपात (%)/ Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	7.64	7.52
(ii)टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	8.27	7.63
(iii)टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	2.66	2.00
(iv)कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	10.93	9.63
(v)भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)/ Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	76.67	72.83
(vi)पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	484.14	-
(vii)टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised; out of which	750.00	-
पीएनसीपीएस: / PNCPS:	-	-
पीडीआई: / PDI:	750.00	-
(viii)टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि ; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised; out of which/Debt capital instrument:	1000.00	-
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : (बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) Preference Share Capital Instruments : [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	-	-

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नांकित शेयर जारी कर आबंटित किए –

क) भारत सरकार को दिनांक 10.05.2016 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹31.47 (रूपये इकत्तीस एवं सैंतालीस पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति ईक्विटी शेयर ₹41.47 (रूपये इकतालीस एवं सैंतालीस पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रूपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 22,54,64,190 (बाईस करोड़ चौवन लाख चौंसठ हजार एक सौ नब्बे मात्र) ईक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹935 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ।

ख) भारत सरकार को दिनांक 05.10.2016 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹31.45 (रूपये इकत्तीस एवं पैंतालीस पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति ईक्विटी शेयर ₹41.45 (रूपये इकतालीस एवं पैंतालीस पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रूपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 18,69,72,255 (अठारह करोड़ उनहत्तर लाख बहत्तर हजार दो सौ पचपन मात्र) ईक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹775 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ।

ग) भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 29.11.2016 को अधिमान्य आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में प्रति शेयर ₹27.74 (रूपये सत्ताईस एवं चौहत्तर पैसे मात्र) के निर्धारित प्रीमियम सहित प्रति ईक्विटी शेयर ₹37.74

During the year the Bank issued and allotted –

a) 22,54,64,190 (Twenty Two crore Fifty Four Lakh Sixty Four Thousand One Hundred Ninety) equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten Only) for cash at an issue price of ₹41.47 (Rupees Forty One and paise Forty Seven only) per equity share including premium of ₹31.47 (Rupees Thirty One and Paise Forty Seven Only) per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009, on preferential basis to Govt. of India on 10.05.2016 resulting capital infusion of ₹935 Crore.

b) 18,69,72,255 (Eighteen crore Sixty nine lakh Seventy two thousand Two hundred fifty five only) equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of ₹41.45 (Rupees Forty One and paise Forty five Only) per share per equity share including premium of ₹31.45 (Rupees Thirty One and Paise Forty Five Only) per share determined in accordance with regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009, on preferential basis to Govt. of India on 05.10.2016 resulting capital infusion of Rs.775 Crore.

c) 7,17,00,000 (Seven Crore Seventeen lakh only) equity shares of face value of ₹10/- each (Rupees Ten Only) for cash at an issue price of ₹37.74 (Rupees Thirty seven and paise Seventy four only) per equity share including premium of ₹ 27.74 (Rupees Twenty seven and paise Seventy four

(रूपये सैंतीस एवं चौहत्तर पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक ₹10/- (रूपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 7,17,00,000 (सात करोड़ सत्रह लाख मात्र) ईक्विटी शेयर जिसके परिणामस्वरूप ₹270.59 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ।

घ) वर्ष के दौरान बैंक ने गैर-परिवर्तनीय, अप्रतिभूत, गौण पूर्णत: प्रदत्त बासेल III अनुपालित सतत ऋण लिखत जुटाए हैं जो निजी प्लेसमेंट के जरिए ₹750 करोड़ की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में शामिल होने योग्य है।

ङ) बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को कुल राशि ₹1000 करोड़ के, प्रत्येक ₹10 लाख के अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय पूर्णत: प्रदत्त बासेल III अनुपालित ("बॉन्ड")जारी किए हैं।

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

only) per share determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations 2009, on preferential basis to Life Insurance Corporations of India on 29.11.2016 resulting capital infusion of ₹270.59 crore.

d) During the year Bank has raised Non-Convertible, Unsecured Subordinated Fully Paid up Basel III Complaint perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Additional Tier 1 Capital of ₹750 Cr through private placement.

e) Bank has issued unsecured redeemable non-convertible fully paid up Basel III compliant of ₹10 Lakhs each ("Bonds") aggregating to ₹1000 crores to LIC of India.

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें/Items		31.03.17 की स्थिति As on 31.03.17	31.03.16 की स्थिति As on 31.03.16
(1)	निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
	(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
	(a) भारत में/In India	72627.70	82361.13
	(b) भारत के बाहर/ Outside India	2140.44	2151.10
	(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
	(a) भारत में/In India	668.10	475.15
	(b) भारत के बाहर/Outside India	80.91	62.88
	(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
	(a) भारत में/In India	71959.60	81885.98
	(b) भारत के बाहर/Outside India	2059.53	2088.22
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
	(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	538.02	371.19
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
	Add : Provisions made during the year	433.19	196.20
	: विनिमय अंतर के जरिए		
	: By Exchange Difference	-3.83	3.70
(iii)	घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान		
	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	218.37	33.07
(iv)	अंतिम शेष/Closing balance	749.01	538.02

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year**	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया **Daily Average outstanding during the year**	31 मार्च 2017 को बकाया **Outstanding as on 31st March 2017**
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	7307.88	1012.35	489.98
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतिया/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	16883.00	1842.61	1575.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	स.क्षे.के उपक्रम / PSUs	8529.23	8048.31	449.71	0.00	291.20
(ii)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1340.26	608.09	0.00	0.00	0.00
(iii)	बैंक / Banks	167.91	0.00	0.00	13.78	13.78
(iv)	निजी कंपनियां / Private Corporates	2631.94	2391.12	149.38	207.67	243.69
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries / Joint Ventures	184.50	184.50	0.00	0.00	184.50
(vi)	अन्य /Others	88.38	0.00	0.00	88.38	0.00
(vii)	**उप योग** (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	12942.22	11232.02	599.09	309.83	733.17
(viii)	घटाएं- मूल्यह्रास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	710.67	0.00	80.74	80.74	80.74
(ix)	योग / Total (vii-viii)	**12231.55**	**11232.02**	**518.35**	**229.09**	**652.43**

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2017	31.03.2016
प्रारंभिक शेष / Opening balance	290.82	194.77
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	36.68	124.70
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	16.74	30.74
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	-1.55	0.00
अंतिम शेष / Closing balance	309.21	288.73
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	283.87	202.29

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है :
The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	**31.3.2017**	**31.3.2016**
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	7856.56	8379.53
- अन्य/-others	38396.44	36260.40
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	28390.27	39807.27
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	124.86	65.03

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category :

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category, excluding the one time transfer of securities undertaken by the bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Items	**2016-17**	**2015-16**
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	100.00	882.81
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.90	1.58
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	-0.018	-0.43

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives: (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कम सं. S.No.	विवरण Particulars	2016-17	2015-16
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2017 (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise) क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	0.00	0.00

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :
संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशक गण, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंतत: निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

(ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

(क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआए एस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं । ये लेन देन भारिबैं की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं ।

(ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ.का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Managing Director & CEO and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and

के समक्षआवधिकरूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर, जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) जोखिम से बचावऔर/या उसके शमन के लिएनीतियां तथा बचाव व्यवस्था/प्रशाशकों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की कार्य नीति एवं प्रक्रियाः

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्यपरिपक्वता से अधिक नही होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानीरखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याजदर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधितजोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

reports are placed to the MD & CEO/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No.Particulars	2016-17		2015-16	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For hedging	36200.84	Nil	34803.56	332.81
ख)/b) क्रय-व्रिकय के लिए /For trading	Nil	100.00	0.00	550.00
2 मार्क्ड टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	56.95	Nil	75.17	0.05
ख)/b) देयता (-) \ Liability (-)	2.92	-0.018	5.59	-0.39
3 ऋण एक्स्पोजर \ Credit Exposure	1311.53	1.65	923.15	6.54
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क)\ a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम \ Maximum	NA	Nil	NA	3.37
न्यूनतम \ Minimum	NA	Nil	NA	-3.37
ख)\b) क्रय-व्रिकय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम \Maximum	Nil	-0.02	NA	-0.05
न्यूनतम \ Minimum	Nil	-0.02	NA	-0.78
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
अधिकतम \ Maximum	NA	0.00	NA	6.74
न्यूनतम \ Minimum	NA	0.00	NA	3.36
क्रय-व्रिकय पर \ on trading				
अधिकतम \ Maximum	NA	-0.02	NA	-0.08
न्यूनतम \ Minimum	NA	-0.02	NA	-0.41

* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तबर्ष 2016-17 के लिए 0.90 करोड़ होगा।

*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfil their obligations will be ₹0.90 crores for FY 2016-17

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹0.90 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है और एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹0.90 Crores, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें / Items	2016-17	2015-16
(i)	निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) /Net NPAs to Net Advances(%)	8.94 %	9.09 %
(ii)	अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) **Opening Balance**	**20907.73**	**10265.05**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	9909.27	14942.35
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	8276.05	4299.67
	(घ)/(d) अंतिम शेष / **Closing Balance**	**22540.95**	**20907.73**
(iii)	अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/Movement of Net NPAs		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) **Opening Balance**	**11443.59**	**6330.58**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	9909.27	14942.35
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	8276.05	4299.67
	(घ)/(d) Less: Adjustment for excess in value of netting item over Previous year *	2373.42	5529.67
	(ङ)/(e) अंतिम शेष / **Closing Balance**	**10703.39**	**11443.59**
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) **Opening Balance**	**8002.07**	**3257.13**
	(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान /Provisions made during the year	4387.49	6318.17
	(ग)/(c) वर्ष के दौरान राइट-ऑफ/राइट-बैक /Write-off/ write-back during the year :	1936.94	1573.23
	(घ)/(d) अंतिम शेष / **Closing Balance**	**10452.62**	**8002.07**
	* निवल की गई मद का प्रारंभिक मूल्य / Opening value of Netting Item	9464.14	3934.47
	निवल की गई मद का अंतिम मूल्य / Closing value of Netting Item	11837.55	9464.14
	निवल की गई मदों के मूल्य में आधिक्य **/ Excess in value of Netting Items**	**(2373.42)**	**(5529.67)**

4.2 आरबीएस 2015-16 के अनुसार एसेट वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में अंतर

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र RBI /2016-17/283,BBR.BP.BC 63/ 21.04.018/2016-17 दिनांक 18.04.2017 के अनुसार बैंक के परिसंपत्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकीपर्यवेक्षण प्रक्रिया में जहां भी भा.रिबैंके नियमों से तात्विक विपथन पाया जाने पर वित्तीय विवरणों के खाते के नोट में प्रकट किया जाएगा। संदर्भित वर्ष 2015 - 2016 में सकल एनपीए कोई तात्विक विपथन नही हुआ है।

4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBS 2015-16

In terms of RBI Circular RBI/2016-17/283.BBR.BP.BC No.63/ 21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017, wherever there is instances of material divergence from RBI norms, observed by RBI as a part of its supervisory process, in Bank's Asset Classification and Provisioning Norms, a disclosure shall be made in notes to Accounts to Financial Statements. For the reference year 2015-16, there is no material divergence in gross NPAs observed by RBI.

4.3 पुनर्संरचित खातों का विवरण

दिनांक 31.03.2017 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक

क्रमांक	पुनर्संरचना का प्रकार / अस्ति वर्गीकरण / विवरण		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				(करोड़ ₹ में)
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के अप्रैल की स्थिति को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक ऑकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	17	38	9	0	64	56	112	5	1	174	1794	4140	32	0	5966	1867	4290	46	1	6204
		बकाया राशि	2237.77	4243.06	573.18	0.00	7054.01	54.37	207.66	12.89	1.60	276.52	3058.30	2157.09	505.27	0.00	5720.66	5350.44	6607.81	1091.34	1.60	13051.19
		प्रावधान	111.89	0.00	0.00	0.00	111.89	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	152.92	0.00	0.00	0.00	152.92	267.53	0.00	0.00	0.00	267.53
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	5	0	0	668	663	5	0	0	668
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.76	11.42	0.00	0.00	785.18	773.76	11.42	0.00	0.00	785.18
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69	0.57	0.00	0.00	39.26	39	1	0	0	39
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	18	-18	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.36	-155.36	0.00	0.00	0.00	155.36	-155.36	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	-7.77	0.00	0.00	0.00	8	-8	0	0	0
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान / जोखिम भार नहीं रखा गया अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं हैं	उधारकर्ताओं की संख्या	-3	0	0	0	-3	-1	0	0	0	-1	-591	0	0	0	-591	-595	0	0	0	-595
		बकाया राशि	-107.40	0.00	0.00	0.00	-107.40	-3.13	0.00	0.00	0.00	-3.13	-902.97	0.00	0.00	0.00	-902.97	-1013.50	0.00	0.00	0.00	-1013.50
		प्रावधान	-5.37	0.00	0.00	0.00	-5.37	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	-45.15	0.00	0.00	0.00	-45.15	-51	0	0	0	-51

दिनांक 31.03.2017 तक पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण

बैंक का नाम : यूको बैंक

(करोड़ ₹ में)

क्रमांक	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंरर्गत					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	अस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
5	वित्तीय वर्ष के पुनर्संरचित खातें की अवनति	उधारकर्ताओं की संख्या	-4	4	0	0	0	-2	2	0	0	0	-411	411	0	0	0	-417	417	0	0	0
		बकाया राशि	-420.53	420.53	0.00	0.00	0.00	-8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	-653.30	653.30	0.00	0.00	0.00	-1082.14	1082.14	0.00	0.00	0.00
		प्रावधान	-21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	-32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	-54	54	0	0	0
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खाते को बट्टे खाते डाला जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति को पुनर्संरचित खाते (अंतिम ओकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	10	42	9	0	61	53	114	5	1	173	1473	4538	32	0	6043	1536	4694	46	1	6277
		बकाया राशि	2019.67	4663.59	573.18	0.00	7256.44	16.96	215.97	12.89	1.60	247.42	2528.04	2666.45	505.27	0.00	5699.76	4564.67	7546.01	1091.34	1.60	13203.62
		प्रावधान	100.98	0.00	0.00	0.00	100.98	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	126.30	0.00	0.00	0.00	126.30	228.13	0.00	0.00	0.00	228.13

* मानक पुनर्संरचित आंकड़े छोड़कर जिन्हें उच्च प्रावधान या जोखिम भार की जरूरत नहीं होगी (यदि लागू हो)

** पुनर्संरचित खातों की बकाया शेष राशि की तुलना, नई पुनर्संरचना एवं ऋण सीमा वृद्धि को जोडने एवं ऋण सीमावृद्धि को घटाने से प्राप्त अंतिम राशि में अंतर होता है जो प्रारंभिक आंकडों से अधिक प्रावधान को रोकता है। यह अंतर मुख्यतः प्रभारित ब्याज एवं की गई वसूली के कारण है। तथापि बही में दिखाए गए अंतिम शेष आंकड़े पुनर्संरचित खातों से मेल नही खाते।

4.3 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2017

NAME OF THE BANK: UCO Bank

(₹ in Crore)

Sl No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification → / Details ↓		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April I of the FY (Openening figures)*	No. of borrowers	17	38	9	0	64	56	112	5	1	174	1794	4140	32	0	5966	1867	4290	46	1	6204
		Amount outstan-ding	2237.77	4243.06	573.18	0.00	7054.01	54.37	207.66	12.89	1.60	276.52	3058.30	2157.09	505.27	0.00	5720.66	5350.44	6607.81	1091.34	1.60	13051.19
		Provision thereon	111.89	0.00	0.00	0.00	111.89	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	152.92	0.00	0.00	0.00	152.92	267.53	0.00	0.00	0.00	267.53
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663	5	0	0	668	663	5	0	0	668
		Amount outstan-ding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.76	11.42	0.00	0.00	785.18	773.76	11.42	0.00	0.00	785.18
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69	0.57	0.00	0.00	39.26	39	1	0	0	39
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	18	-18	0	0	0
		Amount outstan-ding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.36	-155.36	0.00	0.00	0.00	155.36	-155.36	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	-7.77	0.00	0.00	0.00	8	-8	0	0	0
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	-3	0	0	0	-3	-1	0	0	0	-1	-591	0	0	0	-591	-595	0	0	0	-595
		Amount outstan-ding	-107.40	0.00	0.00	0.00	-107.40	-3.13	0.00	0.00	0.00	-3.13	-902.97	0.00	0.00	0.00	-902.97	-1013.50	0.00	0.00	0.00	-1013.50
		Provision thereon	-5.37	0.00	0.00	0.00	-5.37	-0.16	0.00	0.00	0.00	-0.16	-45.15	0.00	0.00	0.00	-45.15	-51	0	0	0	-51

Disclosure of Restructured Accounts as on 31-03-2017

NAME OF THE BANK: UCO Bank

(₹ in Crore)

Sl No	Type of Restructuring → / Asset Classification → / Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-4	4	0	0	0	-2	2	0	0	0	-411	411	0	0	0	-417	417	0	0	0
		Amount outstan-ding	-420.53	420.53	0.00	0.00	0.00	-8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	-653.30	653.30	0.00	0.00	0.00	-1082.14	1082.14	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	-21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	-0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	-32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	-54	54	0	0	0
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstan-ding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	10	42	9	0	61	53	114	5	1	173	1473	4538	32	0	6043	1536	4694	46	1	6277
		Amount outstan-ding	2019.67	4663.59	573.18	0.00	7256.44	16.96	215.97	12.89	1.60	247.42	2528.04	2666.45	505.27	0.00	5699.76	4564.67	7546.01	1091.34	1.60	13203.62
		Provision thereon	100.98	0.00	0.00	0.00	100.98	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	126.30	0.00	0.00	0.00	126.30	228.13	0.00	0.00	0.00	228.13

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

** There is the difference in the Amount outstanding of Restructured Accounts Closing figures when compared to the Closing figures derived after adding Fresh Restructuring and upgradation and deducting Downgradation and accounts which ceases to attract higher provisioning from the opening figures. This difference is due to the interest charged and recovery made in the restructured accounts. However Closing figures do match with the Restructured accounts shown in the books.

4.4 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	मदें / Item	2016-2017	2015-16
(i)	खातों की संख्या / No. of accounts	14	10
(ii)	कुल बकाया राशि Aggregate Balance Outstanding	1123.41	542.52
(iii)	कुल प्रावधान / Aggregate Provision	536.29	175.08
(iv)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) (II-III-एफआईटीएल*) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC (II-III-FITL*)	470.04	282.95
(v)	कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	660.98	253.05
(vi)	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	40.20	55.97
VII.	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि # Aggregate gain/(loss) over net book Value #	(41.56)	(41.20)

* मार्च 17 की बिक्री के लिए एफआईटीएल शेष ₹117.08 करोड़ है।
* FITL balance is ₹117.08 crores for Mar'17 sale.

SC /RC को बेची गई अलाभप्रद आस्तियों पर आस्थगित हानि के कारण दिनांक 31/03/2017 तक ₹51.67 करोड़ की राशि बकाया है एवं यह राशि सामान्य आरक्षित नीधि से नामे एवं विशेष प्रावधान मे जमा की गई।
An amount of ₹51.67 crores is outstanding as on 31/03/2017 for deferred loss on sale of NPA to SC/RC and the same amount has been debited to General reserve and credited to specific Provision.

वर्ष के दौरान SC/RC को बेची गई अलाभप्रद आस्तियों मे कमी को पूरा करने के लिए ₹34.10 करोड़ का प्रावधान किया गया।

Provision of an amount of ₹34.10 Crore has been made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs.

4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased/sold
अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased/sold
अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या		
	(a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2.	(क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या /		
	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil

4.6 (a) **प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का ब्योरा /Details of Investment in Security Receipts:**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

Particulars विवरण	**बैंक द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by the bank as underlying**		**गैर-बैंकिंग कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए एनपीए द्वारा नीचे दिए अनुसार समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/non banking financial companies as underlying**		**Total कुल**	
प्रतिभुति प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य Book Value of Investment in Security Receipts	**गत वर्ष Previous Year**	**चालू वर्ष Current Year**	**गत वर्ष Previous Year**	**चालू वर्ष Current Year**	**गत वर्ष Previous Year**	**चालू वर्ष Current Year**
	1402.56	1692.01	0.00	0.00	1402.56	1692.01

4.6 (b)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण /**Particulars**	**विगत 5 वर्षों में जारी प्र.प्रा. SRs issued within past 5 years**	**5वर्षों से अधिक परंतु विगत 8 वर्षों में जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years**	**विगत 8 वर्षों से पूर्व जारी प्र.प्रा. SRs issued more than 8 years ago**
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए, द्वारासमर्थित प्र.प्रा.का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1605.27	67.25	19.49
	(i)के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (i)	87.09	6.66	19.49
(ii)	अन्य बैंकों /वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एन पी ए, द्वारा समर्थित प्र.प्रा. का नीचे दिए अनुसार बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	(ii) के लिए किया गया प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
कुल/ Total (i) +(ii)		1605.27	67.25	19.49

4.7 मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मदें / Item	2016-17	2015-16
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	841.34	681.50

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

	मदें / Items	2016-17	2015-16
(i)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय(%)/Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	6.65	8.29
(ii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय(%)/ Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.86	0.71
(iii)	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय(%)/Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	1.19	1.61
(iv)	आस्तियों पर आय /Return on Assets (%)	-0.75	-1.25
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crore)	13.48	13.81
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (₹ in lakh)	-7.50	-11.29

6.0 आस्ति देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2017 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2017

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण PARTICULARS	1दिन 1 Day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 30 दिन तक 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह तक 31days to 2 months	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक Over 2 months to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक Over 3 months to 6 months	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 year	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 बर्ष तक Over 3 years to 5 year	5 बर्ष से आधिक Over 5 years	कुल Total
जमा/Deposits	606.92	3,388.31	2,632.89	7,096.09	8,799.70	11,384.02	30,359.02	46,258.22	33,471.79	11,406.23	45,881.32	**201,284.51**
अग्रिम सकल / Advances Gross	3,537.39	1,169.71	1,609.73	2,099.89	3,423.73	3,804.31	8,576.50	18,827.43	10,804.91	16,739.83	61,061.58	**131,655.01**
निवेश सकल Investments Gross	1.08	518.74	15.16	336.78	486.04	320.22	551.87	2,259.46	8,838.06	6,425.51	55,015.21	**74,768.13**
उधार/Borrowings	52.36	501.88	-	-	972.75	843.48	1,830.08	122.33	1,342.11	1,049.94	2,820.03	**9,534.96**
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	802.16	867.01	365.51	2,315.38	3,538.83	5,733.72	7,088.73	3,238.08	2,024.08	3,507.61	4,267.32	**33,748.43**
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	891.49	423.39	686.18	1,187.06	2,328.75	3,997.40	7,308.90	7,550.70	2,644.13	2,265.45	7,860.03	**37,143.48**

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2016-17	2015-16
क/a) **प्रत्यक्ष एक्सपोजर /** Direct exposure		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	14712.29 8077.96	14160.43 7581.79
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	1416.59	854.27
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
क/a.आवासीय / Residential,	0.00	0.00
ख/b.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
ख/b) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	1320.40	1484.31
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	**17449.28**	**16499.01**

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2016-17	2015-16
(i)	ऐसे ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो;		
	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	626.87	493.95
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम;		
	advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.00	0.00
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है;		
	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो;		
	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी;		
	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	20.00	20.21
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण;		
	loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण;		
	bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता;		
	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर		
	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	194.50
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	**841.37**	**708.66**

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2017	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2017	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2016	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2016
नगण्य/Insignificant	16370.20	13.78	7232.75	--
कम/Low	1827.46	—	3083.39	--
सामान्य/Moderate	4.48	—	7.60	--
अधिक/High	0.00	—	0.00	--
अत्यधिक/Very High	0.00	—	0.00	--
सीमित/Restricted	0.00	—	0.00	--
ऋणेतर/Off-credit	0.00	—	0.00	--
कुल/Total	**18202.14**	**13.78**	**10323.74**	**--**

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर कंट्री एक्सपोजर के मद में ₹13.78 करोड़ की आवश्यकता का प्रावधान है। बैंक ने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋणों की जांच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2017 the provision requirement on account of Country Exposure is ₹13.78 Cr. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March 2017.

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋणसीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा - शून्य

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण Limit sanctioned	अविध, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded		कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.17 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03.17
1	2	3	4	5		6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा - शून्य

B. Group Borrower Limit exceeded by the Bank:- Nil

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2017
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	7755.55
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights,licences,authority etc	0.00
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	0.00

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	शून्य/Nil	शून्य/Nil
भारत के बाहर/Outside India	10.84	20.09

8.2 भा.रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्तियों का प्रकटन

वर्ष 2016-17 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के अधीन बैंक पर ₹ 3.00 करोड़ की 2(दो) शास्तियां अधिरोपित की हैं।

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

During the financial year 2016-17 RBI has imposed two number of penalties amounting ₹3.00 Crores under the provision of Section 46(4) of the Banking Regulation Act 1949.

9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

9.2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):

राजस्व को मान्यता लेखांकन मानक (एएस-9) और अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 9 के अनुसार दी गई है।

9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ :

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्तत एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है।

चालू वर्ष की देयताओं के लिए लाभ एवं हानि खाते में ₹894.98 करोड़ की राशि सुरक्षित की गई है।

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS – 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 Revenue Recognition (AS-9):

Revenue is recognized as per Accounting Standard (AS-9) and Accounting policy No. 10 of Schedule -17.

9.3 AS - 15 –Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15.

A sum of ₹894.98 Crore has been charged to Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	निधिक/FUNDED		अनिधिक/UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	6302.63	783.23	375.61	31.90	12.03	0.73
चालू सेवा लागत Current Service Cost	478.53	54.26	72.50	0.00	2.99	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	432.49	50.69	27.23	2.31	0.87	0.05
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(674.41)	(168.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	373.91	31.95	(64.40)	0.13	(2.73)	0.27
अंतिम दायित्व Closing Obligation	6913.15	752.13	410.94	34.35	13.16	1.05

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	5730.23	754.87
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	504.83	67.18
अंशदान Contributions	1325.00	95.51
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(674.41)	(168.00)
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss)	(1.06)	(4.49)
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य **Closing Value of Plan Assets**	**6884.59**	**745.07**

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष में बीमांकिक हानि/ (लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	373.91	31.95	(64.40)	0.13	(2.73)	0.27
वर्ष में बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(1.06)	(4.49)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	374.97	36.44	(64.40)	0.13	(2.73)	0.27
बीमांकिक हानि/(लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	374.97	36.44	(64.40)	0.13	(2.73)	0.27

लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in Statement of Profit & Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
चालू सेवा लागत Current Service Cost	478.53	54.26	72.50	0.00	2.99	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	432.49	50.69	27.23	2.31	0.87	0.05
पूर्व सेवाओं की लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	504.83	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year	374.97	36.44	(64.40)	0.13	(2.73)	0.27
लाभ/हानि लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	781.16	74.21	35.32	2.44	1.13	0.32

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2017	6913.15	752.13	410.94	34.35	13.16	1.05
31.03.2016 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2016	6884.59	745.06	375.62	31.91	12.03	0.73
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	28.56	7.07	35.32	2.44	1.13	0.32

निवेश के ब्योरे :

क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%

ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

Investment Details:

a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%

b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	16.13%
विशेष जमा Special Deposit	0%
अन्य आस्तियां एन्युटी कांट्रैक्टर Other Assets / Annuity contractor	83.87%
कुल/Total	**100.00%**

मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.25 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	5.25 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	8.81% (पेंशन हेतु/For Pension) 8.90% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	15 Years on an average
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट **Business Segment**	ट्रेजरी **Treasury**		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग **Corporate/Wholesale Banking**		रिटेल बैंकिंग **Retail Banking**		अन्य बैंकिंग परिचालन **Other Banking Operations**		योग **Total**	
विवरण **Particulars**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
राजस्व Revenue	7930.94	7296.64	6563.84	8032.30	3901.46	4778.52	44.05	49.82	18440.29	20157.28
परिणाम Result	2870.65	1422.09	-11.55	1367.14	22.94	764.34	44.05	49.82	2926.08	3603.39
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses										0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									2926.08	3603.39
आयकर Income Tax									10.84	20.09
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल हानि Net Loss									(-) 1850.67	(-) 2799.25
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	104103.13	112913.65	79882.50	82364.01	47118.97	49604.87	235.11	0.00	231339.71	244882.53
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									231339.71	244882.53
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	86009.92	95508.97	91410.80	93226.57	53918.99	56146.99	0.00	0.00	231339.71	244882.53
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									231339.71	244882.53

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/**Particulars**	देशी/**Domestic**		अंतरराष्ट्रीय/**International**		योग/**Total**	
	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**	चालू वर्ष **Current Year**	पिछला वर्ष **Previous Year**
राजस्व/Revenue	17794.66	19596.63	645.63	560.65	18440.29	20157.28
आस्तियां/Assets	206552.14	221963.64	24787.57	22918.89	231339.71	244882.53

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री आर. के. टक्कर

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री चरण सिंह

श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर

9.5 Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri R. K. Takkar

ii) Executive Directors (ED)

Shri Charan Singh

Shri G. Subramania Iyer

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिकों के लेनदेन और अवधि में परिवर्तन I/Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	**अवधि Period**	**मदें Items**	**राशि Amount**
श्री आर. के. टक्कर	01.04.2016 से/ to	पारिश्रमिक,	
प्रबंध निदेशक एवं सीईउ	31.03.2017	परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन	
Shri R. K. Takkar		Remuneration,	26.78
MD & CEO		perquisites & Incentive	
		जमा/Deposits	2.11
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश	
		Investments in UCO Shares	0.01
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	0.13
		उधार/Borrowings	शून्य/Nil
श्री चरण सिंह	01.04.2016 से/to	पारिश्रमिक,	
कार्यपालक निदेशक	31.03.2017	परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन	
Shri Charan Singh		Remuneration,	23.74
ED		perquisites & Incentive	
		जमा/Deposits	10.14
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश	
		Investments in UCO Shares	शून्य/Nil
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	0.66
		उधार/Borrowings	7.50
श्री जी. सुब्रमणिया अय्यर	01.04.2016 से/to	पारिश्रमिक,	
कार्यपालक निदेशक	31.03.2017	परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन	
Shri G. Subramania Iyer		Remuneration,	
ED		perquisites & Incentive	22.71
		जमा/Deposits	0.01
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश	
		Investments in UCO Shares	शून्य/Nil
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	शून्य/Nil
		उधार/Borrowings	शून्य/Nil

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management.

ग) **सहयोगी**

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं:

i) बिहार ग्रामीण बैंक

ii) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

c) **Associates**

Regional Rural Banks (RRB) sponsored by the Bank are as under:

i) Bihar Gramin Bank

ii) Paschim Banga Gramin Bank

d) The transactions with RRB have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस): (एएस -20)

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS)- (AS-20):

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2017	31.3.2016
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	-1850.67	-2799.25
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	155,97,28,157	107,55,91,712
जोखिमधारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	139,23,08,116	107,55,91,712
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्युटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	-13.29	-26.03

9.7 चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अत: आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश का लेखा एएस 23, असतत परिचालन-एएस 24 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग-एएस 25 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.7 As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21- Consolidated Financial Statements, AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements, AS-24 - Discontinuing Operations, AS-25 - Interim Financial Reporting and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹1680.94 करोड़ (₹154.82 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

9.8 Accounting for Taxes on Income (AS-22):

a) During the year net amount of ₹850.40 Crore (₹1680.94 Crore) has been recognized as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	**दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017**	**दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2016**
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
आगे ले जाई हानि / Carried Forward Loss	2229.00	1305.03
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	139.80	129.99
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	86.69	137.44
एएस-15 के लिए प्रावधान/ Provision for AS-15	17.93	16.56
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	291.17	226.71
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	-	20.87
कपट / आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधानProvision for Fraud/ Contingent liability etc.	249.90	224.71
योग:/TOTAL :	**3014.49**	**2061.31**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2016
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	51.92	48.11
निवेश मूल्यन में अंतर Difference in Investment valuations	98.97	0
योग:/TOTAL:	**150.89**	**48.11**
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	**2863.60**	**2013.20**

9.9 अमूर्त आस्तियां (एएस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

9.9 Intangible assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2016
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	33.66	45.24
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	12.36	13.62
घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	12.03	25.20
योग/Total	33.99	33.66
घटाएं: अद्यतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	19.52	14.89
घटाएं: अपसामान्य हानि Less: Impairment Loss	0.00	0.00
वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	14.47	18.77

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2017	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2016
प्रारंभिक शेष/Opening balance	14.89	29.10
जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	शून्य/Nil	शून्य/Nil
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	16.66	10.99
घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	12.03	25.20
अंतिम शेष/Closing Balance	19.52	14.89

9.10 आस्तियों की अनर्जकता :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9.10 Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 अतिरिक्त प्रकटन : / Additional disclosures:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	**चालू वर्ष Current Year**	**पिछले वर्ष Previous Year**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	-55.42	114.08
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	4414.68	6299.34
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	84.12	49.05
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	161.55	-291.21
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	10.84	20.09
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित) Other Provision and Contingencies (with details)		
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	5.89	2.49
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	-146.65	-212.22
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-850.40	-1680.94
न्यूनतम एकांतर कर ऋण / MAT Credit	0	0
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	0	247.31
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	1152.14	1854.65
योग / Total	**4776.75**	**6402.64**

10.2 आकस्मिक देयताएं

क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमश: न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।

ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर,टीडीएस, शास्ति ,ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाईट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹681.61 करोड (₹10.66करोड) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है। के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कलकता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

10.3 अस्थायी प्रावधान शून्य

10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी शून्य

10.2 Contingent Liabilities

a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.

b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to ₹681.61 Crore (₹10.66 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to ₹3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has received no intimation/notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

10.3 Floating Provisions Nil

10.4 Draw Down From Reserves Nil

10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

अ) ग्राहक-शिकायतें :

10.5 Disclosure of Complaints

A) Customer Complaints:

		चालू वर्ष **Current Year**	पिछले वर्ष **Previous Year**
क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या		
A	No. of complaints pending at the beginning of the year	79	54
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
B	No. of complaints received during the year	18991	9049
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
C	No. of complaints redressed during the year	18779	9024
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
D	No. of complaints pending at the end of the year	291	79

नोठ : ग्राहक शिकायतों में एटीएम शिकायतें भी सामिल हैं

Note : Number of customer complaints also includes ATM complaints.

आ) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.17

30 दिन तक **Upto 30 days**	**31 दिन से लेकर 3 माह तक** **31 days to 3 months**	**3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक** **> 3 months to 6 months**	**6 माह से अधिक तक** **> 6 months**	**योग** **Total**
291	0	0	0	291

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

		चालू वर्ष **Current Year**	पिछले वर्ष **Previous Year**
क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या		
a	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0	1
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या		
b	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	0
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या		
c	No. of Awards implemented during the year	0	1
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या		
d	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

घ) एटीएम-शिकायतें :

d) ATM Related Complaints:

		चालू वर्ष **Current Year**	पिछले वर्ष **Previous Year**
क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या		
a	No. of complaints pending at the beginning of the year	4	0
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
b	No. of complaints received during the year	5511	1602
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या		
c	No. of complaints redressed during the year	5453	1598
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		
d	No. of complaints pending at the end of the year	62	4

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार है:

10.6 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

1 वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2016-17	3344.07
2 वर्ष 2016-17 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2016-17	3334.15
3 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2017	1336.66

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

10.7 Provisioning Coverage Ratio

	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) **As on 31.03.2017 (Current Year)**	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) **As on 31.03.2016 (Previous Year)**
प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात/Provisioning Coverage Ratio	61.17%	53.87 %

10.8 बैंकाश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जेनरल इंश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योने निम्नानुसार हैं :

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	**चालू वर्ष Current Year**	**पिछले वर्ष Previous Year**
लाइफ कारोबार / Life Business	4.89	6.02
नॉन-लाइफ कारोबार / Non Life Business	3.77	4.39

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण

10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures

क) जमाराशियों का संकेंद्रण

a) Concentration of Deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष /Current Year	**पिछले वर्ष /Previous Year**
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	24890.62	35463.76
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	12.37 %	17.12 %

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	**पिछले वर्ष Previous Year**
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम /Total advances to twenty largest borrowers	12131.81	13179.34
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	9.21%	8.52%

ग) ऋण का संकेंद्रण **c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	15985.95	22632.70
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	7.70%	13.51%

10.10 **अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण** **10.10 Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	3430.24	3205.92

10.11 **क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां** **10.11 Sector wise Advances**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/ Current Year			पिछले वर्ष/ Previous Year		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advance	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	20092.24	2232.21	11.11	19593	1651	8.43
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	16405.55	1594.54	9.72	14815	1522	10.27
3	सेवा क्षेत्र/Services	15422.72	1080.11	7.00	11217	1092	9.74
4	वैयक्तिक ऋण /Personal Loans	4256.49	745.83	17.52	4323	539	12.47
	उप-योग(अ)/Sub-total (A)	56177.00	5652.69	10.06	49948	4804	9.62
B	गैर प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0	0	0	0	0	0
2	उद्योग/Industry	49247.26	15109.22	30.68	55223	12356	22.37
3	सेवा क्षेत्र/Services	1521.81	321.53	21.13	3672	987	26.88
4	वैयक्तिक ऋण/Personal Loans	8918.07	440.37	4.94	6126	941	15.36
5	अन्य/Others	15790.87	1017.14	6.44	20539	1820	8.86
	उपयोग(आ)/Sub-total (B)	75478.01	16888.26	22.38	85560	16104	18.82
	कुल (अ+आ)/Total (A+B)	**131655.01**	**22540.95**	**17.12**	**135508**	**20908**	**15.43**

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़

10.12 Movement of NPAs (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Assets		
मदें / Item	**2016-17**	**2015-16**
क) दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2016 (Opening Balance)	20907.73	10265.05
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर		
b) Additions (Fresh NPAs) during the year	9928.16	14913.80
plus Exchange Difference	-18.89	28.55
उप योग (अ)/Sub Total (A)	30817.00	25207.40
ग/c) घटाएं:/Less:		
(i) ग्रेड उन्न्यन/Upgradations	4300.45	1357.86
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2038.66	1368.58
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालना Technical/Prudential Write-offs	1249.21	1283.19
(iv) उक्त (iii) के अधीन को छोड़कर बट्टे खाते डालना Write-Off other than those under (iii) above	687.73	290.04
उप योग (आ)/Sub total (B)	**8276.05**	**4299.67**
दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ-आ) (d) Gross NPAs as on 31st March 2017 (Closing Balance) (A-B)	**22540.95**	**20907.73**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का ब्योरा / Details of Technical/Prudential Written-Off Accounts:

विवरण/Particulars	**2016-17**	**2015-16**
दिनांक 01.04.2016 को तकनीकी /विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 01.04.2016	3899.14	2736.14
Add: (i) वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए Technical/Prudential write-offs during the year	1249.21	1283.19
(ii) पुराने खातों से अधिक/Addition to Old Accounts	33.25	15.37
उप योग (अ)/Sub-total (A)	5181.60	4034.70
घटाएं वर्ष के दौरान पहले तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली (आ) Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	158.53	135.56
31.03.2017 को अंतिम शेष Closing balance as at 31.03.2017	**5023.07**	**3899.14**

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /**Overseas Assets, NPA's and Revenue** (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	**2016-17**	**2015-16**
कुल आस्तियां/Total Assets	24787.57	22918.89
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	842.14	801.78
कुल राजस्व/Total revenue	645.63	560.65

10.14 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 मिलान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप हो जाता है। अंतर शाखा लेखे एवं अंतर-बैंक शाखा लेखे में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

10.15 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

दिनांक 31.03.2017 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का मिलान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचंत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2017 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. branch adjustment balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.16 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

10.16 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/**Particulars**	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	93.35	21.17
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	10.61	72.38
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	0.94	0.20
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	103.02	93.35

10.17 **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र**

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर नीति गठित की है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीआई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र युक्त निकायों के एक्सपोज़र के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीआई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीआई) के लिए 31.03.2017 को ₹56.37लाख की देयता का अनुमान लगाया है तथा वर्ष के दौरान का प्रावधान किया है और लाख की उनके घटकों है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप है।

10.17 Unhedged Foreign Currency Exposure:

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of ₹56.37 lacs as on 31.03.2017 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

10.18 चल निधि कवरेज अनुपात

एल सीआर डाटा का गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम

चल निधि कवरेज,बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने परयह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हे 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर के परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

एलसी आर का निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एल सी आर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं :

10.18 Liquidity Coverage Ratio (LCR):

Qualitative Assessment of LCR data and Result:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकासियों पर ध्यान देना Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है निर्भर है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है। The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए): हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

- **स्तर 1 की परिसंपत्तियां**
  1. उपलब्ध तैयार नकदी, जिसमें सीआरआर के अतिरेक में मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरेक में मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 9% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।
- **स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)**
- **स्तर 2क परिसंपत्तियों के अंतर्गत**
  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।
- **स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत**
  1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
  2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
  3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

निधीयन स्रोतों का संकेंद्रण : विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधीयन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यत: शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों की संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलया का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

High Quality liquid Assets (HQLA): Our HQLA comprises of following

- **Level 1 Assets**
  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 9% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- **Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)**
- **Under Level 2A assets**
  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-
- **Under Level 2B assets**
  1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
  2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
  3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

Concentration of Funding Sources: Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit (normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

चलनिधि कवरेज अनुपात/LIQUIDITY COVERAGE RATIO

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/**Quantitative Disclosure:**		(अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)			
		चालू वर्ष/Current Year *		**पिछले वर्ष/ Previous Year****	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	**कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)**	**कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)**	**कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)**
उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/High Quality Liquid Assets					
1	कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां Total High quality Liquid Assets		54636.02		39389.20
	नकदी निकासी/Cash Outflow				
2	रिटेल जमा/Retails Deposit	122289.12	9352.89	104506.05	7971.69
(i)	स्थिर जमा /Stable Deposit	57520.36	2876.02	49578.32	2478.92
(ii)	अल्प स्थिर जमा/Less Stable Depsoit	64768.77	6476.88	54927.73	5492.77
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें Unsecured Wholesale Funding of which	26474.45	14030.03	36364.16	23898.80
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposit (All Counter Parties)	75.95	18.99	95.30	23.82
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operatuonal Deposit (All Counter Parties)	26398.50	14011.04	36268.86	23874.98
(iii)	अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-
4	प्रतिभूत थोक निधीयन /Secured Wholesale Funding		-		0
5	अतिरिक्त जरुरतें, जिनमें Additional Requirements of Which	1474.41	1474.41	1180.27	1180.27
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1474.41	1474.41	1180.27	1180.27
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित निकासी Outlows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-
(iii)	ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	-	-	-	-
6	अन्य संविदा निधीयन दायित्व Other Contractual funding Obligations	674.24	674.24	930.59	930.59
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	26182.81	1016.00	25783.12	1230.74
8	कुल नकदी निकासी/Total Cash Outflows		26547.58		35212.09
	नकदी निकासी/ Cash Inflow				
9	प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repo)	3546.42	-	121.66	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	6705.76	4287.50	12420.05	9505.66
11	अन्य नकदी आगमन/Other Cash inflow	1658.84	1201.78	3021.52	1799.81
12	**कुल नकदी आगमन/Total Cash inflow**	11911.01	5489.27	15563.23	11305.46
		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value	
21	**कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA**		54636.02		39389.20
22	**कुल निवल नकदी निकासी/Total Net Cash Outflow**		21058.31		23906.62
23	**चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio (%)**		259.45%		164.76%

* **पिछलि तिमाही समाप्ति का औसत, यानी जनवरी, 2017 से मार्च, 2017**

** **पिछले 12 माह का औसत, यानी अप्रैल, 2015 से मार्च 2016**

* Daily Average of Last Quarter i.e. January 2017 to March 2017

** Average of Previous 12 Months i.e. April 2015 to March 2016

10.19 अचल आस्तियां

(i) बैंक ने भूमि एवं भवन के लिए पुनर्मूल्यन मॉडल को तथा अन्य अचल आस्तियों के लिए लागत मॉडल को अपनाया है।

(ii) बैंक ने स्वतंत्र सुयोग्य मूल्यांककों द्वारा अंतिम बार 31.03.2016 को अपने परिसर का पुनर्मूल्यन कराया था। बही मूल्य से अतिरिक्त उचित मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है। नियत तिथि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि की कुल राशि (हटाई गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) ₹2507.31 करोड़ (₹2524.82 करोड़) है तथा पुनर्मूल्यित भाग पर लगाया गया अवमूल्यन ₹199.16 करोड़ (₹159.16 करोड़) है। संशोधित एएस 10 के अनुसार भवन के पुनर्मूल्यन के कारण ₹22.93 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के अतिरिक्त अवमूल्यन के बराबर की पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

(iii) मूल्यांकक ने निम्नांकित रीतियों से उपर्युक्त संपत्तियों का मूल्यांकन किया है:

भूमिः नवीनतम लेन-देन के आधार पर स्थानीय पूछताछ द्वारा बाजार दरों पर, और जहाँ भी यह सूचना उपलब्ध नहीं है वहाँ सरकार द्वारा अनुमोदित दर को संदर्भ दर लिया गया है।

भवनः निर्माण प्रकार के आधार पर नवीनतम अनुसूची के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्लिंथ दर पर और भवन की आयु के अनुसार अवमूल्यन घटक लागू किया गया है।

अन्य प्रकटीकरणः

क) एक से अधिक वर्ष से नवीनीकरण हेतु लंबित लीज़ की छह लीज़ धारित संपत्तियों के मामले में बैंक ने नवीनीकरण हेतु आवेदन किया है जो आनेवाले समय में पूरा होगा।

ख) देयताओं की प्रतिभूति रूप से गिरवी रखे गए हक, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर बंधन का अस्तित्व एवं सीमा - शून्य

ग) 31.03.2017 को संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर के अधिग्रहण हेतु निविदा संकल्प - ₹33.18 करोड़

घ) निर्माण प्रक्रिया में संयंत्र उपस्कर की किसी वस्तु की वहनीय मात्रा में लिया गया व्यय - ₹6.08 करोड़

ङ) सक्रिय उपयोग से हटाकर निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की मात्रा

10.20 अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का वर्गीकरण निर्धारित नहीं है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची-9 में कहा गया है, विभिन्न वर्गों के सकल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उसकी कटौती की जाती है ताकि निवल अग्रिम शेष प्राप्त किया जा सके।

10.21 तुलन पत्र की तारीख के बाद होनेवाली घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उपयुक्त प्रकार से समायोजित किया गया है। इससे तुलन-पत्र की तारीख को मौजूद स्थितियों से संबंधित राशियों का अनुमान सुलभ करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध होता है।

10.19 Fixed Assets

(i) Bank has adopted Revaluation Model for Land and Building and Cost Model for other Fixed Assets.

(ii) Bank has revalued its premises last on 31.03.2016 by independent qualified valuers. The excess of fair market value over the book value is credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹2507.31 crore (₹2524.82 crore) and depreciation on the revalued portion charged is ₹199.16 crore (₹159.16 crore). As per revised AS 10, Revaluation Reserve equal to the additional depreciation on account of Revaluation of the Building amounting to ₹22.93 Crore (Previous year NIL) has been transferred to Revenue Reserve.

(iii) The valuer has valued the properties on the following methods :

Land: On market rates by enquiry from the locality based on the latest transactions and wherever this information is not available, Govt. approved rate is taken as reference rate.

Building: On PWD plinth rate as per latest schedule on the basis of type of construction and applying depreciation factor depending on age of the Building.

Other Disclosures :

a) In respect of six(6) lease hold properties, renewal lease is due for more than one year, Bank has applied for renewal of lease in these cases and will be completed in due course.

b) Existence and amount of restriction on title, property, Plant & Equipment pledged as security for liabilities – NIL

c) Contractual commitments for the acquisition of the property, plant & equipment as on 31.03.2017 – ₹33.18 Crore.

d) Expenditure recognized in the carrying amount of an item of plant equipment and property in the course of construction is ₹6.08 crore.

e) Amount of assets retired from active use and held for disposal - NIL

10.20 Breakup of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.

10.21 Assets and liabilities have been suitably adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date.

11. धोखाधड़ी का प्रकटीकरण / Disclosure on Frauds

क्र.सं./ S.No.	
1. दि. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या। No. of frauds reported during the year ended 31.03.2017	58
2. शामिल राशि/ Amount involved	₹ 688.69 करोड़/crores
3. भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के बाद की गई वसूली। Recovery made after reporting the fraud to RBI	₹ 26.24 करोड़/crores
4. बकाया राशि/Balance outstanding	₹ 662.45 करोड़/crores
5. किए गए प्रावधान की मात्रा/Quantum of Provision made	₹ 607.39 करोड़/crores
6. 'अन्य आरक्षित निधि' Quantum of unamortized provision	₹ 55.06 करोड़/crores

12. **एसडीआर का प्रकटीकरण** / Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans (अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अवधि **Period**	लचीली संरचना हेतु चुने गए उधार कर्ताओं की सं **No. of borrowers taken up for flexibly structuring**	लचीली संरचना हेतु ली गई ऋण राशि **Amount of loans taken up for flexible structuring**		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण के औसत अवधि का वित्त भार **Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring**	
		मानक के रूप में वर्गीकृत **Classified as Standard**	एनपीए के रूप में वर्गीकृत **Classified as NPA**	लचीली संरचना लागू करने के पूर्व **Before applying flexible structuring**	लचीली संरचना लागू करने के बाद **After Applying flexible structuring**
पूर्व वित्त वर्ष Previous Financial Year	7	1892.14	952.96	7.79	16.57
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल,16 से मार्च 17) Current Financial Year (From April 16 to March 17)	7	1067.52	NIL	7.42	17.64

13) नियोजित ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)
Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(अंक करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की सं. जिनमें एसडीआर दावा किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	**रिपोर्ट दिनांक को बकाया राशि** Amount outstanding as on the reporting date		**रिपोर्ट दिनांक को बकाया राशि उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन लंबित है** Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		**रिपोर्ट दिनांक को बकाया राशि उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन हुआ है** Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
17	3063.32	1091.97	1138.52	912.84	1924.80	179.13

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

14) एसडीआर योजना के बाहर मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन का निर्णय लिया No. of accounts where banks have decided to effect change in owners hip	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित हैं Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें ऋण का ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों के बंधक का दावा लंबित हैं Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि, उन खातों में जिनमें नए शेयरों के निर्गम या प्रमोटर ईक्विटी की बिक्री द्वारा मालिकाना परिवर्तन किया जाता है Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
3	520.36	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	524.40	शून्य/NIL

15) कार्याधीन परियोजनाओं के मालिकाना परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वे खाते जो वर्तमान में अवरुद्ध अवधि में हैं)

Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परियोजना ऋण खातों की सं. जिनमें बैंकों ने मालिकाना परिवर्तन करने का निर्णय किया है No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य/NIL			

16) 31.03.2017 तक, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए) के सतत ढांजे के लिए योजना पर प्रकटीकरण

Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2017

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

खातों की संख्या जहां एस 4 ए है लागू किया गया है के रूप में वर्गीकृत मानक No. of accounts where S4A has been applied Classified as Standard	कुल बकाया राशि Aggregate amount outstanding	बकाया राशि Amount outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग क में In Part A	भाग ख में In Part B	
2	358.98	दो खातों में एस 4 ए के आमंत्रण के लिए सिद्धांत अनुमोदन में दिया गया है। हालांकि, टीईवी अध्ययन किए जाने के बाद, टिकाऊ और असुरक्षित ऋण का विभाजन किया जाएगा। In principle approval for invocation of S4A in two accounts have been given. However, after TEV study is carried out, the bifurcation to sustainable and unsustainable debt will be done.		
एनपीए रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	शून्य/NIL			

17) आईएनडी एएस पर प्रकटीकरण

पृष्ठभूमि:

कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 जारी किए हैं और 30 मार्च, 2016 को जारी अधिसूचना द्वारा मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2018 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों और एनबीएफसी के लिए भारतीय लेखांकन मानकों (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन का रोडमैप भी अधिसूचित किया है। साथ ही कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा आईएफआरएस/आईएएस में किए गए संशोधनों के अनुरूप आईएनडी एएस में संशोधन भी अधिसूचित किए हैं।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 23 जून, 2016 द्वारा बैंकों को 30 सितंबर, 2016 तक समाप्त छमाही के आईएनडी एएस प्रोफार्मा वित्तीय विवरण दिनांक 30 नवंबर, 2016 तक प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एएस की तकनीकी आवयकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एएस संचालन समिति गठित की गई है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एएस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एएस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

बैंक ने आरबीआई/एमसीए के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन में बैंक के सहयोग के लिए आईएनडी एएस परामर्शदाता के रूप में मेसर्स डेलोआईट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी को नियुक्त किया है।

आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने 30 नवंबर, 2016 को भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर दिया है जिसमें पिछले जीएएपी आंकड़ों के तुलनीय 30 सितंबर 2016 तक के ईक्विटी एवं लाभ परिवर्तनों को समायोजित किया गया है।

प्रोफार्मा आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान बैंक के वित्तीय आंकड़ों पर शुरूआती आईएनडी एएस प्रभाव का आकलन पूरा कर लिया गया है। आईएनडी एएस प्रोफॉर्मा वित्तीय आंकड़ों के साथ ही आईएनडी एएस लेखांकन नीतियों का मसौदा भी बनाया गया।

आवश्यक आईटी परिवर्तन पहचान लिए गए हैं और बैंक आईटी सिस्टम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में है।

बैंक आईएनडी एएस 109 की जरूरतों के अनुरूप अपेक्षित केडिट हानि (ईसीएल) भी विकसित करने की प्रक्रिया में है तथा 01 अप्रैल, 2017 के आईएनडी एएस वित्तीय विवरण खोलने की तैयारी कर रहा है।

18) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों का फिर से समूहन/व्यवस्था/प्रस्तुति की गई है।

17) Disclosure on IND AS

Background:

The Ministry of corporate Affairs (MCA) has issued the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and vide Notification dated March 30,2016 it has also notified the Roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (IND AS) for scheduled Commercial Banks, Insurance Companies and NBFC's from 1st April,2018 onwards and also amendments to IND AS in line with the amendments made in IFRS/IAS vide companies (Indian Accounting Standards) amendment rules,2016.

RBI vide Circular dated June 23rd ,2016 directed banks to submit IND AS proforma financial statements for the half year ended September 30,2016 by 30th November 2016.

Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

Bank has also appointed M/s **Deloitte Haskins & Sells LLP** as IND AS consultant to assist the bank in implementation of Indian Accounting Standard (IND AS) as per RBI/MCA guidelines.

Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND AS Financial statements to Reserve Bank of India on 30th November 2016 with reconciliation of change in Equity & profit as on 30th September 16 compared with the previous GAAP figures.

Initial IND AS Impact assessment on the financials of Bank has been completed during preparation of proforma IND AS financial statements. IND AS Accounting Policies were also drafted along with the IND AS proforma financials.

IT changes required have been identified and Bank is in the process of required changes in the IT system.

Bank is also in the process of developing Expected Credit Loss (ECL) Model in line with the requirements of IND AS 109 and preparing the Opening IND AS Financial Statements as on 1st April 2017.

18) The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों को

To

The Members of UCO Bank

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

Report On The Financial Statements

1. हमने यूको बैंक ('बैंक') की 31 मार्च, 2017 की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31, मार्च, 2017 के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित (एक कोष शाखा सहित) 21 शाखाओं की, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1129 शाखाओं की (सेवा शाखाओं सहित) तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन लेखापरीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में तथा लाभ और हानि लेखे में 1950 शाखाओं की विवरणियां भी सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 7.93 प्रतिशत, जमाराशियों में 36.72 प्रतिशत, ब्याज आय में 12.59 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 34.87 प्रतिशत अंश है।

   We have audited the accompanying financial statements of UCO Bank ('the Bank') as at 31st March 2017, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2017, and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches (inclusive of one treasury branch) audited by us and 1129 branches (including service branches) audited by statutory branch auditors and 4 foreign Branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1950 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.93 percent of advances, 36.72 per cent of deposits, 12.59 per cent of interest income and 34.87 per cent of interest expenses.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखांकन नीतियों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में वित्तीय विवरण, जो महत्वपूर्ण गलत व्याख्या, चाहे कपट या चूक के कारण हो, से मुक्त हों, के तैयार करने की संगत आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, रूपरेखा और उसे लागू करना शामिल है।

   Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखापरीक्षकों का दायित्व /Auditor's Responsibility

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने तक है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के संबंध में यह समुचित आश्वासन मिल जाए कि उनमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है।

   Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. लेखापरीक्षा में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादक पद्धतियां निहित हैं। चयनित पद्धतियां सांविधिक लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के गलत कथन, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटि के, जोखिमों का निर्धारण शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा पद्धतियों की डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण तथा बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है परंतु इसका उदेश्य संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तार्किकता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

   An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

   We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत/Opinion

6. हमारी राय में बैंक की लेखा बहियों में यथाप्रदर्शित तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
In our opinion, as shown by books of the bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(क) दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र सही एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और उसे समुचित रूप में इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 की स्थिति को बैंक के कार्यों की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है;

(a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ख) लाभ और हानि खाता, उसके साथ पठित नोट भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष की हानि का सही शेष दर्शाता है; और

(b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(ग) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।

(c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट
Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act,1949

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथाअपेक्षित एवं उनमें अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अध्यधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए जो भी सूचना एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे हमें प्राप्त हो गए हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(a) We have obtained all the information and explanations, which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(ख) बैंक के जो लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

9. We further report that:

क) इस रिपोर्ट द्वारा उपयोग में लाया गया तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा लेखाबहियों एवं विवरणियों से मिलान रखते हैं;

(a) the Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उनका यथोचित उपयोग किया है।

(b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

ग) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लागू मानक लेखानीतियों के अनुरूप हैं।

(c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं. सनदी लेखाकार, **पंजीकरण सं. 302039ई** **For GUHA NANDI & CO.** Chartered Accountants Registration No. 302039E (सीए डॉ. बी.एस.कुन्डु) भागीदार, **सदस्यता सं. 051221** (CA DR. B. S. KUNDU) Partner, Membership No. 051221	**वास्ते ए. सचदेव एंड कं.** सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001307सी **For A. SACHDEV & CO.** Chartered Accountants Registration No. 001307C (सीए मनीष अग्रवाल) भागीदार, सदस्यता क्र. 078628 (CA MANISH AGARWAL) Partner, Membership No. 078628	**वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 323575ई **For NIRUPAM & ASSOCIATES** Chartered Accountants Registration No. 323575E (सीए एम. चक्रवर्ती) भागीदार, सदस्यता क्र. 059207 (CA M. CHAKRABARTI) Partner, Membership No. 059207

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं. सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001194एन **For O.P.GARG & CO.** Chartered Accountants Registration No. 001194N (सीए विक्रम गर्ग) भागीदार, सदस्यता क्र. 097038 (CA VIKRAM GARG) Partner, Membership No. 097038	**वास्ते तेज राज एंड पाल** सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304124ई For **TEJ RAJ & PAL** Chartered Accountants Registration No. 304124E (सीए पी. वेणुगोपाल राव) भागीदार, सदस्यता क्र. 010905 (CA P. VENUGOPALA RAO) Partner, Membership No. 010905

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars		31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹ ₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹ ₹
अ.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः**		
A.	**Cash flow from operating activities :**		
	कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	(18398277)	(27791671)
	समायोजन / Adjustments for :		
	अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	1531401	1365814
	निवेश पर अवक्षयण हेतु /Depreciation on investments	(1943723)	1140900
	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु		
	Bad debts written off / Provision in respect of non-performing assets	44141144	62993400
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	(298087)	(2912300)
	अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	10258051	2603500
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(3531)	(9743)
	गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग रखा गया)		
	Interest on subordinated debt (treated separately)	1710774	2240492
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (इसे अलग रखा गया)		
	Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	(118502)	(128037)
	टियर-II बाँडों से प्राप्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
	Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	(22338)	(39893)
	एटी-1 बाँडों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
	Interest on AT-1 Bonds (treated separately)	37336	0
	आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
	Interest paid on IPDI (treated separately)	35842	357897
	अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज (इसे अलग रखा गया)		
	Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)	1129985	1465100
	उप-योग/Sub-total	**38060075**	**41285459**
	घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	(500000)	(2940000)
		37560075	**38345459**
	समायोजन/Adjustments for :		
	निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	101494527	(198652469)
	अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	17668001	151461580
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	(30876799)	(24990606)
	उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(77054738)	69878958
	जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	(58337303)	(72184664)
	अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
	Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(28969739)	6361131
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
	Net cash flow from operating activities (A)	**(38515976)**	**(29780611)**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹	₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹	₹
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः				
B. Cash flow from investing activities :				
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(1410708)		(1488706)	
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	19403		48463	
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend received from subsidiaries/others	118502		128037	
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज/Interest received from Tier-II Bonds	22338		39893	
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)				
Net cash flow from investing activities (B)		**(1250465)**		**(1272313)**
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/				
C. Cash flow from financing activities :				
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential issue of Equity Shares	4841364		0	
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	14964593		0	
शेयर एप्लिकेशन शुल्क/Share Application Money	11500000		9350000	
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	0		(2581291)	
एटी-1 बाँडों क निगम / Issue of AT-1 Bonds	7500000		0	
वेसेल III अनुपालक टियर-2 बाँडों का निगम /Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	10000000		0	
आईपीडीआई का मोचन/Redemption of IPDI	(2300000)			
अपर टियर-2 बाँडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	(5000000)			
गौण ऋण का मोचन /Redemption of Subordinated Debts	(2500000)		(8500000)	
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on IPDI	(35842)		(357897)	
एटी-1 बाँडों पर ब्याज/Interest on AT-1 Bonds	(37336)		0	
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(1129985)		(1465100)	

आर. के. टक्कर
प्रबंध निदेशक एवं
R. K. TAKKAR
Managing Director & CEO

चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक
CHARAN SINGH
Executive Director

जी. सुब्रमनिया अय्यर
कार्यपालक निदेशक
G. SUBRAMANIA IYER
Executive Director

सुश्री सिंधु पिल्लई
निदेशक
MS. SINDHU PILLAI
Director

डॉ. अरविंद शर्मा
निदेशक
DR. ARVIND SHARMA
Director

अनिल शर्मा
निदेशक
ANIL SHARMA
Director

ए. के. सिन्हा
महाप्रबंधक
A. K. SINHA
General Manager

एस.एन. महावर
सहायक महाप्रबंधक
S. N. MAHAWAR
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

(000′ को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2017 ₹	₹	31.3.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2016 ₹	₹
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(1710774)		(2240492)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)				
Net cash flow from financing activities (C)	**36092020**		**(5794780)**	
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)				
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	**(3674421)**		**(36847704)**	
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	(919073)		750342	
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**(4593494)**		**(36097362)**	
क्रमश:1 अप्रैल 2016 और 2015 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as on April 1, 2016 & 2015 respectively	**185592325**		**221689687**	
क्रमश: 31 मार्च 2017 और 2016 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as on March 31,2017 & 2016 respectively	**180998831**		**185592325**	
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य				
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5838033		5364828	
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	73661526		77310393	
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/				
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	106092766		139014466	
	185592325		**221689687**	
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य				
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	6357306		5838033	
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	81545192		73661526	
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	93096333		106092766	
	180998831		**185592325**	

वास्ते गुहा नन्दी एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 302039ई
For GUHA NANDI & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 302039E
(सीए डॉ. बी.एस.कुन्डू)
भागीदार
सदस्यता सं. 051221
(CA DR. B. S. KUNDU)
Partner
Membership No. 051221

वास्ते ए. सचदेव एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001307सी
For A. SACHDEV & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001307C
(सीए मनीष अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता क्र. 078628
(CA MANISH AGARWAL)
Partner
Membership No. 078628

वास्ते निरुपम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 323575ई
For NIRUPAM & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Registration No. 323575E
(सीए एम. चक्रवर्ती)
भागीदार
सदस्यता क्र. 059207
(CA M. CHAKRABARTI)
Partner
Membership No. 059207

वास्ते ओ. पी. गर्ग एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001194एन
For O.P.GARG & CO.
Chartered Accountants
Registration No. 001194N
(सीए विक्रम गर्ग)
भागीदार
सदस्यता क्र. 097038
(CA VIKRAM GARG)
Partner
Membership No. 097038

वास्ते तेज राज एंड पाल
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 304124ई
For **TEJ RAJ & PAL**
Chartered Accountants
Registration No. 304124E
(सीए पी. वेणुगोपाल राव)
भागीदार
सदस्यता क्र. 010905
(CA P. VENUGOPALA RAO)
Partner
Membership No. 010905

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 12th मई/May, 2017

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का
बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

तालिका डीएफ - 1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य हैः यूको बैंक

(i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.

ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त **(i)** क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती हैः

अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैंः

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोधः लागू नहीं

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2017

UCO BANK

Table DF - 1:

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.

(i) Qualitative Disclosures:

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank	No	NA	No	NA	NA	NA
India						

a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	Total balance sheet assets *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*
NA	NA	NA	NA

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NA	NA	NA	NA	NA

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NA	NA	NA	NA	NA

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable

तालिका डी एफ - 2
पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(करोड़ ₹ में)
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो	9423.47
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	1129.27
ब्याज दर जोखिम	1040.30
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
ईक्विटी जोखिम	86.72
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	1195.18
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	
(ङ) **सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :**	
सामान्य ईक्विटी टियर 1	7.64%
टियर 1	8.27%
कुल पूँजी अनुपात	10.93%
शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	लागू नहीं

Table DF - 2

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures		
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.	
Quantitative Disclosures		(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk :	
	Portfolio subject to Standardized Approach	9423.47
	Securitization Exposures	Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk :	
	Standardized Duration Approach	1129.27
	Interest Rate Risk	1040.30
	Foreign Exchange Risk (including Gold)	2.25
	Equity Risk	86.72
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)	1195.18
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios:	
	Common Equity Tier I	7.64%
	Tier I	8.27%
	Total Capital ratios	10.93%
	For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	Not Applicable Not Applicable

तालिका डीएफ - 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है –

i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i. ऋण जोखिम अधिग्रहण – कार्यनीति एवं नीतियां
ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरो ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाए जाते हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आते हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	131655.01	14581.49
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	112917.13	9724.49
विदेशी	18737.89	4857.00

(राशि ₹ करोड़ में)

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	**983.30**	**251.21**
क.1 कोयला	229.90	209.66
क.2 अन्य	753.40	41.55
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख5)	3024.20	247.35
ख.1 चीनी	499.89	80.32
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	347.76	142.63
ख.3 चाय	516.29	6.06
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	1660.26	18.34
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	3.16	17.31
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	3.16	17.31
घ. वस्त्र (क से च तक)	2247.17	76.86
क. सूती वस्त्र	1349.24	20.24
ख. जूट	15.08	3.60
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	882.85	53.02
घ (अर्थात कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	63.08	1.53
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	181.49	3.43
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	447.14	15.07
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	3093.13	994.05
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	1439.04	155.12
झ.1 उर्वरक	276.80	56.39
झ.2 औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स	555.58	24.09
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचागत छोड़कर)	88.51	0.98
झ.4 अन्य	518.15	73.66
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	221.66	49.25
ट. कांच एवं कांच के सामान	130.29	15.24
ठ सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	820.47	57.34
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	11533.22	485.32
ड.1 लोहा एवं इस्पात	9717.48	221.41
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1815.74	263.91
ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2	3475.42	532.69
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	1055.37	33.36
ण.2 अन्य	2420.05	499.33
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	779.48	8.98
थ. रत्न एवं जेवर	6141.20	493.18
द. विनिर्माण	2036.01	615.44
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	18101.05	1593.79
क. यातायात (क.1 से क.6)	3746.05	326.48
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	3101.19	324.07
क.2 बंदरगाह	369.18	2.22
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	217.72	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	57.96	0.19

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम		एक्सपोजर	
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख.	ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	10884.10	753.67
	ख.1 बिजली (उत्पादन)	9513.52	217.62
	ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	0.00	0.00
	ख.1.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
	ख.2 बिजली (संचारण)	361.65	0.04
	ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	361.65	0.04
	ख.2.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
	ख.3 बिजली (वितरण)	1008.93	536.01
	ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1008.93	536.01
	ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
	ख.4 तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
	ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.00	0.00
	ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.	जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	587.32	0.00
	ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	586.45	0.00
	ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाईन	0.00	0.00
	ग.3 जलशोधन संयंत्र	0.87	0.00
	ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
	ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
	ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ.	संचार (घ.1 से घ.2)	1539.94	224.49
	घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	27.31	0.00
	घ.2 दूरसंचार टॉवर	1512.63	224.49
ङ	सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से इ.9)	1343.64	289.15
ङ.1	शिक्षण संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)	134.52	0.90
ङ.2	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)	10.16	0.15
ङ.3	1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	881.76	176.19
ङ.4	औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	172.00	71.25
ङ.5	उर्वरक (पूंजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6	बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	124.95	40.66
ङ.7	अंतिम बाजार	20.25	0.00
ङ.8	मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9	शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न.	अन्य उधोग	3740.08	477.47
	समस्त उद्योग (क से न तक)	**58460.59**	**6090.63**

घ) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन/1 Day	606.92	3537.39	1.08	52.36	802.16	891.49
2 से 7 दिन तक/2-7 days	3388.31	1169.71	518.74	501.88	867.01	423.39
8 से 14 दिन तक/8-14 Days	2632.89	1609.73	15.16	-	365.51	686.18
15 से 30 दिन तक/15-30 Days	7096.09	2099.89	336.78	-	2315.38	1187.06
31 दिन से 2 माह तक/31 days to 2 Month	8799.7	3423.73	486.04	972.75	3538.83	2328.75
2 माह से अधिक परंतु 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Month	11384.02	3804.31	320.22	843.48	5733.72	3997.4
3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक/Over 3 Months upto 6 Month	30359.01	8576.51	551.89	1830.08	7088.73	7308.9
6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक/ Over 6 Months upto 1 Year	46258.22	18827.43	2259.46	122.33	3238.08	7550.68
1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक/ Over 1 Year years upto 3 Year	33471.79	10804.91	8838.06	1342.11	2024.08	2644.13
3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक/ over 3 Year years upto 5 Year	11406.23	16739.83	6425.51	1049.94	3507.61	2265.45
5 वर्ष से अधिक/ Over 5 year	45881.32	61061.58	55015.21	2820.03	4267.32	7860.03
	201284.51	**131655.01**	**74768.13**	**9534.96**	**33748.43**	**37143.48**

च) एनपीए की राशि (सकल) : **22540.95** करोड़
- अवमानक : **5007.76** करोड़
- संदिग्ध 1 : **4530.11** करोड़
- संदिग्ध 2 : **9281.28** करोड़
- संदिग्ध 3 : **2574.17** करोड़
- हानि : **1147.63** करोड़

छ) शुद्ध एनपीए : **10703.39** करोड़

ज) एनपीए अनुपातः -
- सकल अग्रिम पर सकल एनपीए : **17.12%**
- शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए : **8.94%**

झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)
- प्रारंभिक शेष : **20907.73** करोड़
- वृद्धि : **9909.27** करोड़
- कमी : **8276.05** करोड़
- अंत शेष : **22540.95** करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़ (राशि करोड़ ₹ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	8002.07	681.50
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	4414.68	228.02
बट्टे खाते डालना	1936.94	शून्य
अतिरेक प्रावधानों को बट्टे खाते से निकालना	शून्य	66.47
प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन**	-27.19	-1.71
अंत शेष	10452.62	841.34

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है
** विनिमय अंतर

ञ) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं	—
(बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	₹154.11 crore

ट) अनर्जक निवेशों की राशि : 309.21 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि : 283.87 करोड़

ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़
- प्रारंभिक शेष : 521.85 करोड़
- अवधि के दौरान किए गए प्रावधान : 293.51 करोड़
- बट्टे खाते डालना : शून्य
- विनिमय अंतराल : -1.29 करोड़
- अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना : 348.93 करोड़
- अंत शेष : 465.14 करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	291.69	125.15
2	खाद्य प्रसंस्करण	1384.36	1099.59
3	वस्त्र	1,412.42	782.36
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	11.56	8.6
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	59.81	59.81
6	कागज एवं कागज उत्पाद	249.31	239.96
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	461.97	110.81
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	211.73	111.4
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	13.42	4.51
10	कांच एवं कांच के सामान	59.81	59.81
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	1.75	0.63
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	6.437.73	3.374.99
13	समस्त इंजीनियरिंग	1864.53	569.7
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	663.53	260.34
15	रत्न एवं आभूषण	159.98	125.23
16	निर्माण	1540.99	650.65

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	21698.81	842.14	22540.95
एनपीए के लिए प्रावधान	9852.21	600.41	10452.62
मानक अग्रिमों के प्रावधान	804.21	37.13	841.34

Table DF - 3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where –

i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

i. Credit Risk acquisition – strategies & policies,
ii. Credit approval processes.
iii. Credit Risk monitoring processes.
iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹25 lacs and ₹1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures			
		Fund Based	Non Fund Based
a)	Total Gross Credit Exposure	131655.01	14581.49
b)	Geographical Distribution of Exposure		
	Domestic	112917.13	9724.49
	Overseas	18737.89	4857.00

c) Industry type distribution of Exposures

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	983.30	251.21
A.1 Coal	229.90	209.66
A.2 Others	753.40	41.55
B. Food Processing (B.1 to B.5)	3024.20	247.35
B.1 Sugar	499.89	80.32
B.2 Edible Oils and Vanaspati	347.76	142.63
B.3 Tea	516.29	6.06
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	1660.26	18.34
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	3.16	17.31
of which Tobacco and tobacco products	3.16	17.31
D. Textiles (a to f)	2247.17	76.86
a. Cotton	1349.24	20.24
b. Jute	15.08	3.60
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00
d. Silk	0.00	0.00
e. Woolen	0.00	0.00
f. Others	882.85	53.02
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
E. Leather and Leather products	63.08	1.53
F. Wood and Wood Products	181.49	3.43
G. Paper and Paper Products	447.14	15.07
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	3093.13	994.05
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	1439.04	155.12
I.1 Fertilizers	276.80	56.39
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	555.58	24.09
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	88.51	0.98
I.4 Others	518.15	73.66
J. Rubber, Plastic and their Products	221.66	49.25
K. Glass & Glassware	130.29	15.24
L. Cement and Cement Products	820.47	57.34
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	11533.22	485.32
M.1 Iron and Steel	9717.48	221.41
M.2 Other Metal and Metal Products	1815.74	263.91
N. All Engineering (N.1 + N.2)	3475.42	532.69
N.1 Electronics	1055.37	33.36
N.2 Others	2420.05	499.33
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	779.48	8.98
P. Gems and Jewellery	6141.20	493.18
Q. Construction	2036.01	615.44
S. Infrastructure (a to d)	18101.05	1593.79
a. Transport (a.1 to a.6)	3746.05	326.48
a.1 Roads and Bridges	3101.19	324.07
a.2 Ports	369.18	2.22
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00
a.4 Airport	0.00	0.00
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	217.72	0.00
a.6 Urban Public Transport		
(except rolling stock in case of urban road transport)	57.96	0.19

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	10884.10	753.67
b.1 Electricity (Generation)	9513.52	217.62
b.1.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	0.00	0.00
b.1.3 Private Sector	0.00	0.00
b.2 Electricity (Transmission)	361.65	0.04
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	361.65	0.04
b.2.3 Private Sector	0.00	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1008.93	536.01
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1008.93	536.01
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.00	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	587.32	0.00
c.1 Solid Waste Management	586.45	0.00
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.87	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c.6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	1539.94	224.49
d.1 Telecommunication (Fixed network)	27.31	0.00
d.2 Telecommunication towers	1512.63	224.49
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1343.64	289.15
e.1 Education Institutions (capital stock)	134.52	0.90
e.2 Hospitals (capital stock)	10.16	0.15
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	881.76	176.19
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	172.00	71.25
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	124.95	40.66
e.7 Terminal markets	20.25	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	3740.08	477.47
All Industries (A to T)	**58460.59**	**6090.63**

d) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)

Particulars	Deposits	Advance	Investment	Borrowing	Foreign Currency - Asset	Foreign Currency - Liability
1 Day	606.92	3537.39	1.08	52.36	802.16	891.49
2-7 days	3388.31	1169.71	518.74	501.88	867.01	423.39
8-14 Days	2632.89	1609.73	15.16	-	365.51	686.18
15-30 Days	7096.09	2099.89	336.78	-	2315.38	1187.06
31 days to 2 Month	8799.7	3423.73	486.04	972.75	3538.83	2328.75
Over 2 Months upto 3 Month	11384.02	3804.31	320.22	843.48	5733.72	3997.4
Over 3 Months upto 6 Month	30359.01	8576.51	551.89	1830.08	7088.73	7308.9
Over 6 Months upto 1 Year	46258.22	18827.43	2259.46	122.33	3238.08	7550.68
Over 1 Year years upto 3 Year	33471.79	10804.91	8838.06	1342.11	2024.08	2644.13
Over 3 Year years upto 5 Year	11406.23	16739.83	6425.51	1049.94	3507.61	2265.45
Over 5 year	45881.32	61061.58	55015.21	2820.03	4267.32	7860.03
	201284.51	**131655.01**	**74768.13**	**9534.96**	**33748.43**	**37143.48**

e) Amount of NPAs (Gross) : 22540.95 Cr
- Substandard : 5007.76 Cr
- Doubtful 1 : 4530.11 Cr
- Doubtful 2 : 9281.28 Cr
- Doubtful 3 : 2574.17 Cr
- Loss : 1147.63 Cr

f) Net NPAs : 10703.39 Cr

g) NPA Ratios :
- Gross NPAs to gross advances : 17.12%
- Net NPAs to net advances : 8.94 %

h) Movement of NPAs (Gross)
- Opening balance : 20907.73 Cr
- Additions : 9909.27 Cr
- Reductions : 8276.05 Cr
- Closing balance : 22540.95 Cr

i) Movement of Specific & General Provision (Amount in ₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	8002.07	681.50
Provisions made during the period	4414.68	228.02
Write-off	1936.94	NIL
Write-back of excess provisions	NIL	66.47
Any other adjustments, including transfers between provisions**	-27.19	-1.71
Closing balance	10452.62	841.34

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

** Exchange difference

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement	—
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	₹154.11 crore

k) Amount of Non-Performing Investments: 309.21 Cr

l) Amount of provisions held for non-performing investments: - 283.87 Cr

m) Movement of provisions for depreciation on investments
- Opening balance : 521.85 Cr
- Provisions made during the period : 293.51 Cr
- Write-off : NIL
- Exchange Difference : -1.29 Cr
- Write-back of excess provisions : 348.93 Cr
- Closing balance : 465.14 Cr

n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	291.69	125.15
2	Food Processing	1384.36	1099.59
3	Textiles	1412.42	782.36
4	Leather and Leather products	11.56	8.6
5	Wood and Wood Products	59.81	59.81
6	Paper and Paper Products	249.31	239.96
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	461.97	110.81
8	Chemicals and Chemical Products	211.73	111.4
9	Rubber, Plastic and their Products	13.42	4.51
10	Glass & Glassware	59.81	59.81
11	Cement and Cement Products	1.75	0.63
12	Basic Metal and Metal Products	6437.73	3374.99
13	All Engineering	1864.53	569.7
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	663.53	260.34
15	Gems and Jewellery	159.98	125.23
16	Construction	1540.98	650.65

o) Geography Wise NPA & Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	21698.81	842.14	22540.95
Provisions for NPA	9852.21	600.41	10452.62
Provisions for Standard Advances	804.21	37.13	841.34

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

1) सीएआरई
2) सीआरआईएसआईएल
3) एफआईटीसीएच
4) आईसीआरए
5) बिक्रवर्क
6) एसएमईआरए

(अकारादि क्रम से सूचविष्ठ)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1)	100% कम का जोखिम भार	-	₹137347.11 करोड़
2)	100% जोखिम भार	-	₹31719.34 करोड़
3)	100% से अधिक का जोखिम भार	-	₹17190.69करोड़
4)	कटौती	-	₹0.00 करोड़
	योग	-	**₹186257.14**करोड़

Table DF - 4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

1) CARE
2) CRISIL
3) INDIA RATINGS
4) ICRA
5) Brickwork
6) SMERA

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1)	Below 100% risk weight	-	₹ 137347.11 Cr.
2)	100% risk weight	-	₹31719.34 Cr.
3)	More than 100% risk weight	-	₹17190.69 Cr.
4)	Deduction	-	₹0.00 Cr
	Total	-	**₹186257.14 Cr.**

तालिका डीएफ - 5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि –

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन है।

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगीः

क) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;

ख) 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

i) निर्माण की प्रकृति

ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती

iii) किराया से होने वाली आय

iv) निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि

v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र

vi) निर्माण की लागत

vii) जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

(क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य

(ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) **एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन**

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

(i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
(ii) संयत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
(iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
(iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
(v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
(vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
ii) कार्पोरेट गारंटी
iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹21200 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ - 6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF - 5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.

iii) Operational requirement for guarantees must be met.

iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;

b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affili ated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

i) Nature of construction

ii) Age of the building and its present strength

iii) Rental yield

iv) Tax amount assessed/paid

v) Area of land and building

vi) Cost of construction

vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

a) Current market price of the share

b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy.

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are –

i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.

ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.

iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds

iv) Assignment of LIC Policies

v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts

vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,

ii) Corporate Guarantee

iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹ 21200 Cr.

Table DF - 6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ - 7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. **उद्देश्य एवं नीतियां:**

   निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. **कार्यनीति एवं प्रक्रिया:**

   यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. **संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठनः**

   निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. **जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**

   देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. **जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :**

   बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(करोड़ ₹ में)
ब्याज दर जोखिम	1040.30
ईक्विटी स्थिति जोखिम	86.72
विदेशी मुद्रा जोखिम	2.25

TABLE DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. **Objective & Policies:**

   To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. **Strategies and Processes:**

   Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. **Structure and organization of the relevant risk management function:**

   Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. **The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:**

   Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. **Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:**

   The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	1040.30
Equity Position Risk	86.72
Foreign Exchange Risk	2.25

तालिका डीएफ - 8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति(सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2017 की स्थिति को बीईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹1195.18 करोड़ की है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEx for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹1195.18 crores as on 31.03.2017.

तालिका डीएफ - 9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जत में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- 162 करोड़
2) आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- 2.12 % जोखिम पूंजी

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for	
	Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹ 162 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for	
	Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- 2.12 % Risk Capital

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) **डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:**

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) **जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:**

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) **जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :**

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्स्पोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्स्पोजर	0.00
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्स्पोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	36200.84	606.23
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	100.00	0.89
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	36300.84	607.12

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the MD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

₹ in Cr

Particulars	Amount
Gross positive value of contracts	0.00
Netting Benefits	0.00
Netted current credit exposure	0.00
Collateral held	0.00
Net derivative credit exposure	0.00

₹ in Cr

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2017
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	36200.84	606.23
Single CCY Interest Rate Swaps	100.00	0.89
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	36300.84	607.12

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

	नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग की जानेवाली बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका (यनी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	पूर्व-बासेल III उपचार के अधीन राशियां	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँज़ी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	80982.3	
2	प्रतिधारित उपार्जन		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	32494.8	
4	*सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)*		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)		
6	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजनों से पूर्व**	**113477.1**	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : नियमनकारी समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	22289.7	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क *जिसमें से:* असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख *जिसमें से:* असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग *जिसमें से:* प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ *जिसमें से:* अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	**सामान्य ईक्विटी टियर** 1 **पूँजी (सीईटीआई)**	91187.4	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत		
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	7500.0	
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	*जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
36	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व**	7500.0	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क +41ख)		
	41क जिसमे से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमे से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**	-	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूँजी** (एटी**1**)	7500.0	
45	**टियर 1 पूँजी** (टी**1 सीईटी 1 अ** एटी**1) (29 अ 44)**	98687.4	
	टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	12720.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	*जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत*		
50	प्रावधान	9181.4	
51	**टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व**	31901.4	
	टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन		

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	137.8	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से		
	बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क +56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख *जिसमें से:* प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	**टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन**		
58	**टियर 2 पूँजी** (टी2)	31763.6	
59	**कुल पूँजी (टीसी** टी1 + टी2) **(45 + 58)**	**130451.0**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60**क + **60**ख + **60**ग)	**1193320.0**	
	60क *जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ*	919363.2	
	60ख *जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ*	141159.3	
	60ग *जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ*	132797.5	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (*जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में*)	7.64%	
62	टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.27%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.93%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1		
	आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम		
	भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: *पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता*		
66	*जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता*		
67	*जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता*		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी तियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
80	क्रमिक विलोपन व्यवस्था के अधीनसी ई टी 1लिखत पर मौजूदा अधिकतम सीमा		
81	अधिकतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई राशि (प्रतिदेयता एवं परिपक्वताओं के बाद अधिकतम सीमा पर अतिरेक)		
82	क्रमिक विलोपन व्यवस्था के अधीनए टी 1 लिखत पर मौजूदा अधिकतम सीमा		
83	अधिकतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई राशि (प्रतिदेयता एवं परिपक्वताओं के बाद अधिकतम सीमा पर अतिरेक)		
84	क्रमिक विलोपन व्यवस्था के अधीनटी 2 लिखत पर मौजूदा अधिकतम सीमा		
85	अधिकतम सीमा के कारण टी 1 से निकाली गई राशि (प्रतिदेयता एवं परिपक्वताओं के बाद अधिकतम सीमा पर अतिरेक)		

Table DF - 11

Composition of Capital

(₹ in million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	80982.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	32494.8	
4	*Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies[1])*		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**113477.1**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	22289.7	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a *of which:* Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b *of which:* Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c *of which:* Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d *of which:* Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments **to Common** equity Tier 1		
29	**Common Equity Tier** 1 **capital (CET1)**	**91187.4**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	7500.0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	*Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1*		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**7500.0**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b) 41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	-	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**7500.0**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CETI + AT1) (29 + 44)**	**98687.4**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	12720.0	
48	Tier 2 instruments (and CETI and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*		
50	Provisions	9181.4	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**31901.4**	

	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	137.8	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a *of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	31763.6	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**130451.0**	
60	**Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1193320.0**	
	60a *of which: total credit risk weighted assets*	919363.2	
	60b *of which: total market risk weighted assets*	141159.3	
	60c *of which: total operational risk weighted assets*	132797.5	
	Capital Ratios & Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.64%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.27%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.93%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus G-SIB buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of *which: capital conservation buffer requirement*		
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*		
67	*of which: G-SIB buffer requirement*		
68	*Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)*		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
	Capital instruments subject to Phase-out arrangements (only applicable between -March 31, 2017 and March 31, 2022		
80	Current cap on CET 1 instruments subject to phase-out arrangements		
81	Amount excluded from CET 1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	Current cap on AT 1 instruments subject to phase out arrangements		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

तालिका डीएफ – 12

पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	**रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र**
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	15597.28	
	आरक्षित एवं अधिक निधि	100437.42	
	अल्प संख्य ब्याज		
	शेयर एप्लीकेशन राशी	11500.00	
	कुल पूंजी	127534.70	
ii	जमाराशि		
	जिसमें से : बैंक जमाराशि	212647.86	
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशि	1800197.25	
	जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)		
iii	उधार		
	जिसमें से: भा.रि. बैंक से	4500.00	
	जिसमें से: बैंकों से	31130.15	
	जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से	11229.53	
	जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर)	1039.94	
	जिसमें से: पूंजीगत लिखत	47450.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	77667.63	
कुल		**2313397.06**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष	87902.50	
	अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	93096.33	
ii	निवेश :		
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति	617311.12	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	564.29	
	जिसमें से : शेयर	5287.22	
	जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड	95523.83	
	जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक	1845.09	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	19659.69	
iii	ऋण एवं अग्रिम		
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम		
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1197244.53	
iv	अचल आस्ति	28494.77	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	28636.10	
	जिसमें से : अन्य	137831.59	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**2313397.06**	

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	15597.28	
	जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	15597.28	
	जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	
	आरक्षित एवं अधिक निधि	100437.42	
	शेयर एप्लीकेशन राशी	11500.00	
	अल्पसंख्य ब्याज		
	कुल पूंजी	127534.70	
ii	जमाराशि		
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशि	212647.86	
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशि	1800197.25	
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)		
iii	उधार		
	जिसमें से : भा.रि. बैंक से	4500.00	
	जिसमें से : बैंकों से	31130.15	
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं	11229.53	
	एवं एजेंसियों से		
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	1039.94	
	जिसमें से : पूंजीगत लिखत	47450.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	77667.63	
	जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी		
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी		
	कुल	**2313397.06**	
ख	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास	87902.50	
	नकदी और शेष		
	अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	93096.33	
	और बैंक के पास शेष		
ii	निवेश		
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	617311.12	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	564.29	
	जिसमें से : शेयर	5287.22	
	जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड	95523.83	
	जिसमें से : सहायक कंपनियां/ संयुक्त	1845.09	
	उद्यम / सहायक		
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक	19659.69	
	पत्र, म्युचुअल फंड आदि)		
iii	ऋण एवं अग्रिम	1197244.53	
	जिसमें से : बैंकों को ऋण		
	एवं अग्रिम		
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण		
	एवं अग्रिम		
iv	अचल आस्तियां	28494.77	
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से : साख और		
	अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	साख		
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर)		
	आस्थगिक कर आस्तियां	28636.10	
	अन्य	137831.59	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**2313397.06**	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	80982.3	
2	प्रतिधारित आमदनी		
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	32494.8	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व	113477.1	
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगिक कर आस्तियां	22289.7	

Table DF – 12

Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	15597.28	
	Reserves & Surplus	100437.42	
	Minority Interest		
	Share Application Money	11500.00	
	Total Capital	127534.70	
ii	Deposits		
	of which: Deposits from banks	212647.86	
	of which: Customer deposits	1800197.25	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	of which: From RBI	4500.00	
	of which: From banks	31130.15	
	of which: From other institutions & agencies	11229.53	
	of which: Others (Outside India)	1039.94	
	of which: Capital instruments	47450.00	
iv	Other liabilities & provisions	77667.63	
	Total	**2313397.06**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	87902.50	
	Balance with banks and money at call and short notice	93096.33	
ii	Investments:		
	of which: Government securities	617311.12	
	of which: Other approved securities	564.29	
	of which: Shares	5287.22	
	of which: Debentures & Bonds	95523.83	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1845.09	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	19659.69	
iii	Loans and advances		
	of which: Loans and advances to banks		
	of which: Loans and advances to customers	1197244.53	
iv	Fixed assets	28494.77	
v	Other assets		
	of which: Goodwill and intangible assets		
	of which: Deferred tax assets	28636.10	
	of which: Others	137831.59	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**2313397.06**	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	15597.28	
	of which: Amount eligible for CET1	15597.28	
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	
	Reserves & Surplus	100437.42	
	Share Application Money	11500.00	
	Minority Interest		
	Total Capital	127534.70	
ii	Deposits		
	of which: Deposits from banks	212647.86	
	of which: Customer deposits	1800197.25	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	of which: From RBI	4500.00	
	of which: From banks	31130.15	
	of which: From other institutions & agencies	11229.53	
	of which: Others (pl. specify)	1039.94	
	of which: Capital instruments	47450.00	
iv	Other liabilities & provisions	77667.63	
	of which: DTLs related to goodwill		
	of which: DTLs related to intangible assets		
	Total	**2313397.06**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with	87902.50	
	Reserve Bank of India		
	Balance with banks and money at call and short notice	93096.33	
ii	Investments		
	of which: Government securities	617311.12	
	of which: Other approved securities	564.29	
	of which: Shares	5287.22	
	of which: Debentures & Bonds	95523.83	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1845.09	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	19659.69	
iii	Loans and advances		
	of which: Loans and advances to banks		
	of which: Loans and advances to customers	1197244.53	
iv	Fixed assets	28494.77	
v	Other assets		
	of which: Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	28636.10	
	Others	137831.59	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**2313397.06**	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	80982.3	
2	Retained earnings		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	32494.8	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	113477.1	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Prudential valuation adjustments	22289.7	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताओं का प्रकटीकरण ढाँचा

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग्र)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं
	नियमनकारी उपचार	नियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी – कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	15597.3
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद
		की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लखतः अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत गौण पूर्णतः प्रदत्त बेसल III अनुपालित सतत ऋण लिखत- अतिरिक्त टियर- I बांड 11.70% शृंखला I

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजीप्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचान कर्ता)	आईएनई 691ए08039 आई एनई 691ए08039
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विधि
	नियमनकारी उपचार	पूंजीलिखत
4	संक्रामी बासेल III नियम	योग्य
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	योग्य
6	एकल/ समूह / समूहऔरएकलका पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी लिखत
8	नियमनकारी पूंजीके लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	7500.00
9	लिखत का सममूल्य	10,00,000/-
10	लेखांकनवर्गीकरण	ऋण राशि
11	जारी करने की मूल तारीख	04.11.2016
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी रुप से
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्वपर्यवेक्षीअनुमोदनकेअधीन जारीकर्ताद्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	04.11.2021
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	उसके पश्चात प्रतिवर्ष
	कूपन / डिविडेंड	*कूपन*
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	11.70%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का / के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	पीओएनवी ट्रिगर इवेंट या सी ई टी 1 ट्रिगर इवेंट, जैसा लागू हो
32	यदि मूल्य- घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	यथानुसारपीओएनवी ट्रिगर/सीईटी1 ट्रिगर के पूर्ण या आंशिक प्रकटन पर
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	दोनों
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	आरबीआई दिशानिर्देशानुसार
35	परिसमापन में अधीनस्थताश्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी के निवेशकों के दावो से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारो के दावों की अपेक्षा गौण होगा।
36	गैर-अनुपालकसंक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत 9.35% शृंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09136
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विनियमन अधिनियम ,1949
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1600.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2007
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.12.2017
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा बैंक के जमाकर्ताओं, सामान्य देनदारों और अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीनस्थ होगा
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09177
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	2500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	25.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	25.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वें वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	25.03.2020
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.90%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09144
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	180.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.75% शृंखला X

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलूमबर्ग)	आईएननई691ए09151
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि	
	(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	880.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.04.2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	9.75%
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलूमबर्ग)	आईएननई 691ए 09169
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	नियमनकारी उपचार	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	2560.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	08.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	08.03.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.92%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखतः अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *नियमनकारी उपचार*	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	5,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बेसल III अनुपालित टियर -II बांड 8.95% शृंखला I

1	जारीकर्ता	यूको बैंक UCO Bank
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजीप्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08047INE691A08047
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम *नियमनकारी उपचार*	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	योन्यडनैयैमनी
6	एकल/ समूह/ समूहऔरएकलका पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	गौणटियर-टियर-III
8	नियमनकारी पूंजीके लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	10000
9	लिखत का सममूल्य	10000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकनवर्गीकरण	देयतौर्चिमैनैाअ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2017
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	31.03.2027
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ताद्वारामांग	हाँएीज
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2022
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	प्रत्येक वर्ष
	कूपन/ डिविडेंड	
17	नियत या चल *डिविडेंड/ कूपन*	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.95% देय 8.95 %
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहींर्श
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहींर्श
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वांईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर की घड़ी आने पर बांडो को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है । पी ओ एन वी ट्रिगर की घड़ी निम्नांकित से पहले आएगीः क) निर्णय कि स्थायी रूपसे बत्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक ह; और ख) पूंजी के सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा।ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का विरलीकरण न हो ।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थताश्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारको के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतो पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधीत संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारो की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएगे । बांड धारको को,दिवालियापन और परिसमापन की स्थिती को छोड़कर होने सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा ।
36	गैर-अनुपालकसंक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	Regulatory treatment	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity – common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	15597.3
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Non -Convertible Unsecured Subordinated Fully paid Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments -Additional Tier-1 Bonds 11.70% Series I (INE691A08039)

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08039
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Eligible
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier 1 Capital In struments
8	Amount recognized in regulatory capital (` in million, as of most recent reporting date)	7500.00
9	Par value of instrument	10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	04.11.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	04.11.2021
16	Subsequent call dates, if applicable *Coupons / dividends*	Every year thereafter Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.70%
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger Event or CET 1 Trigger Event, as applicable
32	If write-down, full or partial	Fully or Partially on occur rence of the PONV Trigger/CET1 Trigger, as applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	As per RBI guidelines
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09136
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1600.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.12.2017
16	Subsequent call dates, if applicable *Coupons / dividends*	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	0
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09177
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2500.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25.03.2020
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09144
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	180.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09151
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordi nated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	880.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.04.2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	9.75%
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09169
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2560.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	08.03.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.92%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08047
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Law
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (` in million, as of most recent reporting date)	10000
9	Par value of instrument	10000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2022
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.95% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	NO
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of: a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full

33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Theclaims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ - 14

नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयरः असंचयी
2	पूर्ण भुगतान किए गये अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत अधीनीकृत बासेल III अनुपालित शाश्वत ऋण लिखत- अतिरिक्त टियर 1 बांड 11.70% शृंखला (आईएनई691ए08039)	निर्गम मात्राः ₹ 750 करोड़, आबंटन की तारीख 04.11.2016, प्रस्तुति एवं आमंत्रण विकल्पः आमंत्रण विकल्प की तारीख 04.11.2021. ब्याज दर एवं बारम्बारता; 11.70% 04 नवम्बर. सूचीकरणः एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रुप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.35% शृंखला III (आईएनई691ए09136)	जारी प्रमात्राः ₹320 करोड़, आबंटन की तारीखः 22.12.2007, प्रतिदान की तारीखः 22.12.2022, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीख 22.12.2017. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.35%, 22 जून एवं 22 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV (आईएनई691ए09177)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 25.03.2010, प्रतिदान की तारीखः 25.03.2025, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीख 25.03.2020. ब्याज दर और आवृत्तिः 8.90%, 25 मार्च एवं 25 सितंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX (आईएनई691ए09144)	जारी प्रमात्राः ₹100 करोड़, आबंटन की तारीखः 31.03.2008, प्रतिदान की तारीखः 30.04.2018, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.50%, 31 मार्च एवं 30 सितंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.75% शृंखला X (आईएनई691ए09151)	जारी प्रमात्राः ₹ 275 करोड़, आबंटन की तारीखः 22.12.2008, प्रतिदान की तारीखः 22.04.2019, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं . ब्याज दर और आवृत्तिः 9.75%, 22 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
7	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI (आईएनई691ए09169)	जारी प्रमात्राः ₹800 करोड़, आबंटन की तारीखः 08.03.2010, प्रतिदान की तारीखः 08.03.2020, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 8.92%, 8 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
8	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्राः ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीखः 28.12.2012, प्रतिदान की तारीखः 28.12.2022, सम मूल्यः ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
9	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.95% शृंखला I (आई एन ई 691ए 08047)	निर्गम मात्राः ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख 31.03.2017, प्रतिदेयता की तारीखः 31.03.2027, सममूल्य ₹1 मिलियन प्रस्तुती एवं आमंत्रण विकल्पः आमंत्रण विकल्प की तारीख 31.03.2022 व्याज दर एवं बारम्बारताः 8.95%, 31 मार्च. सूचीकरणः एन एस ई के पास सूचीकृत, सभी अमूर्त रूप में।

Table DF - 14
Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2	Non -Convertible Unsecured Subordinated Fully paid Basel III Compliant Perpetual Debt Instruments -Additional Tier-1 Bonds 11.70% Series I (INE691A08039)	Issue Size: ₹750 Crore, Date of Allotment: 04.11.2016, Put and Call Option: Call option date 04.11.2021. Rate of Interest and frequency: 11.70%, 04th November. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
3	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III (INE691A09136)	Issue Size: ₹320 Crore, Date of Allotment: 22.12.2007, Date of Redemption: 22.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 22.12.2017. Rate of Interest and frequency:9.35%, 22nd June and 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
4	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV (INE691A09177)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 25.03.2010, Date of Redemption: 25.03.2025, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 25.03.2020. Rate of Interest and frequency:8.90%, 25th March and 25th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
5	Unsecured Redeemable Non- Con vertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX (INE691A09144)	Issue Size: ₹100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2008, Date of Redemption: 30.04.2018, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.50%, 31st March & 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
6	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X (INE691A09151)	Issue Size: ₹275 Crore, Date of Allotment: 22.12.2008, Date of Redemption: 22.04.2019, Par Value:₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.75%, 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
7	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI (INE691A09169)	Issue Size: ₹800 Crore, Date of Allotment: 08.03.2010, Date of Redemption: 08.03.2020, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:8.92%, 8th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
8	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
9	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.95% Series I (INE691A08047)	Issue Size: ₹ 1000 Crore, Date of Allotment: 31.03.2017, Date of Redemption: 31.03.2027, Par Value: ₹1 Million Put and Call Option: Call option date 31.03.2022. Rate of Interest and frequency: 8.95%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

तालिका डीएफ - 15
पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF - 15
Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

तालिका डीएफ-16:
इक्विटी - बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की एक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर □पूँजी आरक्षित निधि□ में विनियोजित किया जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य से तत्वत मिल्ल हो
अनुद्धृत	191.41	191.41	**लागू नहीं**
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	**लागू नहीं**

ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए)		184.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर,जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		6.91

ग. लाभ/हानि विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारित जोखिम दर /@ 250%	41.51
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर,2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारित जोखिम दर /@ 150%	0.93

Table DF - 16

Disclosure for Banking Book Positions

QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

QUANTITATIVE DISCLOSURES

A. Value of Investments

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	191.41	191.41	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

(₹ in crore)

B. Types and Nature of Investments

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		184.50
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		6.91

C. Gain/ Loss Statement

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

(₹ in crore)

D. Capital Requirement for Banking Book

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	41.51
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.93

डीएफ- 17:
लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि ₹ मिलियन में
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2313397.07
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र कार्रवाई से रहित समायोजन	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	13164.76
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	0.00
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	98555.28
7	अन्य समायोजन	(22289.70)
8	लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर	**2402827.41**

डीएफ-18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोज़र	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी बिना, लेकिन संपार्श्विक सहित)	2313397.06
2.	बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ	(22289.70)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोज़र (व्युत्पन्नों और एसएफटी बिना) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2291107.37
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योरय नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	6071.29
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	7093.47
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	0.00
7.	व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती	0.00

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	13164.76
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र	
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी एक्सपोज़र के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति **12** से लेकर **15** का कुल योग)	0.00
	तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र	
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	268068.30
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(169513.02)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	98555.28
	पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20.	टियर 1 पूँजी	98687.40
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	2402827.41
	लीवरेज अनुपात	
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.11%

Table DF - 17

Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	2313397.07
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	13164.76
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	98555.28
7	Other adjustments	(22289.70)
8	Leverage ratio exposure	**2402827.41**

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
	On-Balance sheet exposure	
1.	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2313397.06
2.	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(22289.70)
3.	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2291107.37
	Derivative exposure	
4.	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	6071.29
5.	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	7093.47
6.	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7.	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8.	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	0.00
9.	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	0.00
10.	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11.	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	13164.76
	Securities financing transaction exposures	
12.	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13.	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	0.00
14.	CCR exposure for SFT assets	0.00
15.	Agent transaction exposures	0.00
16.	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
	Other off-balance sheet exposures	
17.	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	268068.30
18.	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(169513.02)
19.	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 1	98555.28
	Capital and total exposures	
20.	Tier 1 capital	98687.40
21.	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2402827.41
	Leverage ratio	
22.	Basel III leverage ratio	4.11%

फार्म "बी"

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

14वीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक 28 जून, 2017

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)
डी. पी. पहचान सं. ग्राहक की पहचान सं. (यदि अमूर्तीकृत है)

मैं/हम, ————————————————, निवासी————————————————, जिला————————,राज्य————————,
जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्द्वारा श्री/श्रीमती ————————————————————————————————,
निवासी ————————————————, जिला ————————, राज्य————————, को या उनकी अनुपस्थिति में
श्री/श्रीमती ————————————————, निवासी ————————, जिला ————————, राज्य ————————
को बुधवार, दिनांक 28 जून, 2017 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, आईबी 201, सेक्टर III, आईए ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की **14वीं वार्षिक आम बैठक** में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

₹ 1 /- का रसीदी टिकट

वर्ष 2017 के की तारीख को हस्ताक्षर किए गए

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेशः

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वहः
   (क)किसी व्यष्टिक शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
   (ख) संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
   (ग) किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
2. कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
3. परोक्षी फार्म और
   (क) मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
   (ख) मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व यानी शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
4. कोइ भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक **फार्म "बी"** के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
5. बैक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
6. विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अनधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
7. जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित है।
8. कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

Form "B"

UCO Bank

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)
14th Annual General Meeting
Dated June 28th, 2017

Regd. folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No. Client ID No. (if Dematerialised)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **14th Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Wednesday the 28th June 2017 at 10.30 A.M. at Eastern Zonal Cultural Centre, IB 201, sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata-700106 and at any adjournment thereof.

₹ 1/- Revenue Stamp

Signed this day of 2017

_____
Signature of Proxy

Name :

Address :

_____
Signature of first named / sole Shareholder

Instructions for Signing and submitting the Proxy form:

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Friday, the 23th June, 2017.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

Printed at : Swapna, Kol-9

सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें :
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,
हैदराबाद - 500 032

If undelivered, please return to :
M/s Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
Hyderabad – 500 032

यूको बैंक / UCO Bank

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

दिनांक : बुधवार, 28 जून 2017, पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, आईबी 201, सेक्टर III, आईए ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 106

Date : Wednesday, 28th June, 2017 at 10.30 a.m.

Venue : Eastern Zonal Cultural Centre, IB 201, Sector III, IA Block, Salt Lake, Kolkata-700106

मैं एतद्द्वारा बैंक की 14वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।

I hereby record my presence at the 14th Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

---

प्रवेश पर्ची / Entry Pass

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

सदस्य/परोक्षी का नाम: (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

---

प्रवेश पर्ची / Entry Pass

(मतदान करने के समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of voting)

सदस्य/परोक्षी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक : 28 जून 2017

Dated : 28th June 2017

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची जारी नहीं किया जाएगी।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.